ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 19 | अक्टूबर 2023 / Issue 01 | मूल्य : ₹ 70

dhyeyaias.com

नारी शक्ति वंदन अधिनियमः विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु ऐतिहासिक कदम

भारत-कनाडा तनावपूर्ण संबंधों के लिए जिम्मेदार कारक और समाधान की राह

कृषक अधिकार संरक्षण की दिशा में जागरूक होती अंतर्राष्ट्रीय सरकारें: भारत में कृषक सुरक्षा के पहलू

ग्रामीण भारत में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार की जरूरत: संबंधित पहल और कार्यवाही

धरोहर संरक्षण की दिशा में तेज कार्यवाही करती केंद्र सरकार

ई-कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने की भारत सरकार की रणनीतिः चुनौतियां और संभावनाएं

भारत के समुद्री सुरक्षा में तटरक्षक बल की भूमिका का मूल्यांकन

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, प्रत्येक 15 दिन में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्रायः सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंततः वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही केस स्टडी खंड के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम PMI (Pre + Mains + Interview) की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-
+91 9369227134
perfect7magazine@gmail.com

आगामी अंक में

- संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कन्वेंशन में सुधार की आवश्यकता
- पर्यावरण को खतरनाक रसायनों से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी
- पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता एवं सुरक्षा में अफस्पा की भूमिका का मूल्यांकन
- भारत में हरित प्रौद्योगिकी की दिशा में बढ़ते कदमः संभावनाएं और गठजोड़
- ओपीएस बनाम एनपीएस से संबंधित मुद्दे और उसके आयाम
- भारत में जातीय जनगणना की मुखर होती आवाजः प्रभाव और मूल्यांकन
- आधार के साथ जुड़ी सुरक्षा और निजता चिंताएं: आयाम और समाधान

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7
यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

इस अंक में ...

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध निदेशक	:	क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	भानू प्रताप
संपादकीय सहयोग	:	दीपक त्रिपाठी
	:	ऋषिका, प्रमोद
	:	प्रत्यूषा, पूर्णांशी
	:	रत्नेश, अर्पित
	:	तपस्या, अर्शदीप
मुख्य समीक्षक	:	ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षक	:	नितिन अस्थाना
	:	शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
एवं डेवलपमेंट	:	पुनीष जैन
सोशल मीडिया	:	केशरी पाण्डेय
मार्केटिंग सहयोग	:	रवीश, प्रियांक
टंकण	:	सचिन, तरून
तकनीकी सहायक	:	वसीफ खान
कार्यालय सहायक	:	राजू, चंदन, गुड्डू
	:	अरूण, राहुल

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

समसामयिकी लेख

1. नारी शक्ति वंदन अधिनियम: विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु ऐतिहासिक कदम — 5-6
2. ग्रामीण भारत में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार की जरूरत: संबंधित पहल और कार्यवाही — 7-8
3. भारत-कनाडा तनावपूर्ण संबंधों के लिए जिम्मेदार कारक और समाधान की राह — 9-10
4. धरोहर संरक्षण की दिशा में तेज कार्यवाही करती केंद्र सरकार — 11-12
5. भारत के समुद्री सुरक्षा में तटरक्षक बल की भूमिका का मूल्यांकन — 13-14
6. कृषक अधिकार संरक्षण की दिशा में जागरूक होती अंतर्राष्ट्रीय सरकारें: भारत में कृषक सुरक्षा के पहलू — 15-16
7. ई-कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने की भारत सरकार की रणनीति: चुनौतियां और संभावनाएं — 17-18

- राष्ट्रीय 19-23
- अंतर्राष्ट्रीय 24-28
- पर्यावरण 29-33
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 34-38
- आर्थिकी 39-43
- विविध 44-48
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 50-54
- समसामयिक घटनाएं एक नजर में 55-56
- ब्रेन-बूस्टर 57-63
- समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 64-67
- प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 68-73
- मुख्य परीक्षा हेतु संभावित अभ्यास प्रश्न 74

नारी शक्ति वंदन अधिनियमः विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु ऐतिहासिक कदम

जिस प्रकार अच्छी दृष्टि के लिए दोनों आँखों का होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार किसी भी समाज या देश में महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार तथा अवसर मिलना भी जरूरी होता है। महिला सशक्तीकरण ऐसी नीतियां बनाने का समर्थन करता है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए जेंडर इक्वलिटी का सर्वोत्तम समर्थन करती हैं। जेंडर इक्वलिटी का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्यों और निदेशक सिद्धांतों में निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय अपनाने का भी अधिकार देता है।

सन्दर्भः

हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने नए संसद भवन में पहले कानून के रूप में लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम नामक शीर्षक वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पेश किया। इस विधेयक को 128वें संविधान संशोधन विधेयक, 2023 के रूप में उल्लिखित किया गया है। इसने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 106वें संविधान संशोधन अधिनियम का रूप लिया।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में:

भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व चिंताजनक रहा है क्योंकि जनसँख्या में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के बावजूद लोक सभा, राज्य की विधान सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15 प्रतिशत से भी कम है। इस असमानता को कम करने के लिए ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है ताकि महिला प्रतिनिधियों को सिर्फ मतदाता न बनाकर, बल्कि कानून निर्माता बनने का अवसर दिया जा सके। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनने के बाद लोकसभा में महिला आरक्षित सीटों की संख्या वर्तमान समय की 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 334 और 239AA में संशोधन करके अनुच्छेद 330A, 332A व 334A जोड़ा गया। इस अधिनियम के तहत किये गये मुख्य प्रावधान निम्न हैं:

- **अनुच्छेद-330A** के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित होंगी। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
- **अनुच्छेद-332A** के तहत प्रत्येक राज्य विधान सभा में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों पर लागू होगा।
- **अनुच्छेद-239AA** में जोड़े गये एक नए खंड के तहत दिल्ली विधान सभा में भी महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी।
- **अनुच्छेद-334A** में कहा गया है कि यह आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा तथा परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही महिलाओं के लिए सीटों का रोटेशन प्रभावी होगा।
- इस संशोधन में किये गये प्रावधान अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा। हालांकि इसमें किसी भी परिवर्तन से पहले परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण करना होगा ताकि उपलब्ध डेटा की जांच की जा सके।
- हालांकि इस अधिनियम के लागू होने की संभावना अगले परिसीमन अभ्यास या निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, 2026 में होने के बाद ही है। इसका मतलब है कि लोकसभा में महिलाओं के कोटा का जल्द से जल्द कार्यान्वयन अगले साल के चुनावों के बजाय 2029 के आम चुनाव में हो सकता है।

-: परिसीमन आयोग :-

परिसीमन का अर्थ है किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में और अनुच्छेद 170(3) राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन का प्रावधान करता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक नियत रखी गयी है अर्थात सीटों की संख्या में बढ़ोत्तरी उसके बाद ही किया जा सकता है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावः

- लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे के भीतर हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति को बढ़ाना रहा है। आज भी देश के भीतर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को देखा जाता है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी महिलाएं अपने लिए स्पेस को बहुत कम पाती हैं, ऐसे में यह कानून दूरगामी प्रभाव डालेगा।
- यह महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होगा क्योंकि इससे महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढेगा तथा महिला प्रतिनिधि संवेदनशील मुद्दों पर विशेषकर महिलाओं और बच्चों से सम्बंधित, खुलकर चर्चा करने के लिए सदन का ध्यानाकर्षण करेंगी। राजनीतिक रूप से एक सशक्त महिला न सिर्फ सामाजिक, बल्कि आर्थिक और वैश्विक स्तर पर भी समावेशी नीतियों के क्रियान्वयन पर जोर देगी। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से अन्य ग्लोबल साऊथ के देशों के लिए एक सकारात्मक सन्देश होगा।
- पंचायतीराज संस्थाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए

आरक्षित करने का सकारात्मक परिणाम यह रहा है कि आज लगभग 45 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। इसी वर्ष मार्च में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 127वीं थी, नए अधिनियम में शामिल प्रावधानों से अमूलचूल परिवर्तन आने की संभावना है।

- जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन में प्रकाशित स्टडी के अनुसार, जिन सरकारों में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है वहाँ भ्रष्टाचार कम होता है। कई स्टडी में यह बात सामने आई है कि यदि महिलाएं देश प्रमुख बनती हैं, तो युद्ध की संभावना बहुत कम हो जाती है।

महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर विभिन्न देशों के आंकड़े (सितंबर 2023 तक)

देश	निर्वाचित महिलाओं का %	संसद में कोटा	राजनैतिक दलों में कोटा
स्वीडन	46%	नहीं	हां
नार्वे	46%	नहीं	हां
दक्षिण अफ्रीका	45%	नहीं	हां
ऑस्ट्रेलिया	38%	नहीं	हां
फ्रांस	38%	नहीं	हां
जर्मनी	35%	नहीं	हां
यूके हाउस ऑफ कॉमन्स	35%	नहीं	हां
कनाडा	31%	नहीं	हां
यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स	29%	नहीं	नहीं
यूएस सीनेट	25%	नहीं	नहीं
बांग्लादेश	21%	हां	नहीं
ब्राजील	18%	नहीं	हां
जापान	10%	नहीं	नहीं

नोट: कई देशों में महिलाओं के लिए कोटा अनिवार्य करने वाला कोई कानून नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करते हैं। स्रोत: अंतर-संसदीय संघ; पीआरएस।

महिला आरक्षण की मांग का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- राजनीति में महिलाओं का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता उपरांत संविधान सभा में भी चर्चा की गई थी। इस मुद्दे ने 1970 के दशक में तब जोर पकड़ा, जब संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के जवाब में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति (CSWI) नियुक्त की। टुवर्ड्स इक्वलिटी शीर्षक से प्राकशित इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में लैंगिक समानता विशेषकर राजनीति के क्षेत्र में बहुत असमान है।
- इसके बाद कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा शुरू की। वर्ष 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया जिसने अपनी सिफारिश में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कुछ प्रतिशत सीटों के आरक्षण की बात की थी। इन सिफारिशों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों का मार्ग प्रशस्त किया जिसके बाद पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण को अनिवार्य किया गया था।
- 12 सितंबर 1996 को प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा की सरकार ने 81वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग की गई थी। कुछ ओबीसी से संबंधित सांसदों के बीच सहमति न बन पाने के कारण यह पास नहीं हो सका।
- प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के समय महिला आरक्षण विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए दो दौर की सर्वदलीय बैठकें हुई, लेकिन इन्द्र कुमार गुजराल की सरकार विश्वास मत खोने से गिर गयी जिससे महिला आरक्षण विधेयक भी लैप्स हो गया।
- वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पहली बार असफल प्रयास के बाद 23 दिसंबर, 1999 को पुनः कानून मंत्री राम जेठमलानी ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 85वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, परन्तु कई विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश किये जाने को अवैध बताते हुए कड़ा विरोध किया गया। अप्रैल 2000 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण पर उनकी राय पूछी।
- यूपीए सरकार ने राज्यसभा में 108वां संविधान संशोधन विधेयक, 2008 पेश किया जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग की गई थी। 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया, परन्तु कैबिनेट के भीतर मतभेदों के कारण विधेयक को लोकसभा में लाया ही नहीं जा सका।

वैश्विक स्तर पर विधायिका में महिला प्रतिनिधियों की स्थिति:

- वैश्विक स्तर पर विधायिका में महिला प्रतिनिधियों के लिए कोई विधिक प्रावधान या निश्चित कोटा कम ही है, बल्कि राजनीतिक दल स्वयं ही जेंडर इक्वलिटी और जेंडर जस्टिस को ध्यान रखकर कोटा तय करते हैं। वैश्विक स्तर पर निम्न सदन या प्रतिनिधि सभा में औसत 26.5 प्रतिशत सांसद महिलाएँ हैं जो 1995 के 11 प्रतिशत से अधिक है।

विश्व के कुछ ही देशों (जिनमें रवांडा-61%, क्यूबा-53%, निकारागुआ-52%, मैक्सिको-50%, न्यूजीलैंड- 50% और संयुक्त अरब अमीरात-50%) की संसद के निचले सदनों में 50 प्रतिशत या अधिक महिला प्रतिनिधि हैं। अन्य 23 देशों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 40 प्रतिशत तक पहुंच गई है जिनमें यूरोप के 13 देश, अफ्रीका के छह, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के तीन तथा एशिया का एक देश शामिल है। वैश्विक स्तर पर 22 देश ऐसे हैं जहां निचले सदन में 10 प्रतिशत से भी कम महिला प्रतिनिधि हैं। पी आर एस की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में महिला प्रतिनिधियों के लिए सदन में कोटा निर्धारित है।

निष्कर्ष:

चाहे नीति हो या नेतृत्व भारत की नारी शक्ति ने साबित किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। सर्वविदित है कि नारी शक्ति के सहयोग व सामर्थ्य के बिना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है। देश की महिला शक्ति को उनका अधिकार देने वाला यह अधिनियम आने वाले समय में एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण का मुख्य स्तंभ बनेगा। यह भी सत्य है कि केवल एक तिहाई सीटों को आरक्षित कर देने मात्र से ही महिला सशक्तीकरण संभव नहीं है। इसके लिए परिवार से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक, शिक्षा से लेकर आर्थिक गतिविधियों में समान अधिकार और अवसर देना होगा।

ग्रामीण भारत में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार की जरूरत: संबंधित पहल और कार्यवाही

"अगर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दो सौ बीस मिलियन लोगों का उत्थान करना है और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करनी है, तो विकास प्रक्रिया को ग्रामीण क्षेत्र तक फैलाना होगा। यही पुरा (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना–PURA) कार्यक्रम है जिसमें भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और आर्थिक कनेक्टिविटी की ओर ले जाने वाला ज्ञान शामिल है।'' – भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

सन्दर्भ:

ग्रामीण भारत में डिजिटल समावेशन और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) ब्रॉडबैंड कनेक्शन विस्तार में असाधारण प्रयासों के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को मान्यता देने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दूरसंचार विभाग ने नौ आईएसपी को मान्यता देने का निर्णय लिया है जिनमें से प्रत्येक श्रेणी ए, बी और सी के तीन-तीन कनेक्शन हैं जिन्होंने एक वर्ष में ग्रामीण एफटीटीएच कनेक्शनों में अधिकतम संख्या में विस्तार किया है।

फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) ब्रॉडबैंड:

- एफटीटीएच का मतलब 'फाइबर टू द होम' है। यह एक प्रकार की ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन तकनीक को संदर्भित करता है जो डेटा संचारित करने के लिए फाइबर-ऑप्टिक केबल का उपयोग करता है। ये केबल कांच या फाइबर के पतले धागों से बने होते हैं जो पूर्ण आतंरिक परिवर्तन द्वारा डाटा को तीव्र गति से संचारित करता है।
- एफटीटीएच कनेक्शन के साथ फाइबर-ऑप्टिक केबल इंटरनेट सेवा प्रदाता के नेटवर्क द्वारा ग्राहक तक सीधे पहुँचते हैं जिससे इंटरनेट का सीधा कनेक्शन मिलता है।
- एफटीटीएच नेटवर्क अन्य प्रकार के ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे डीएसएल या कॉपर की तुलना में कई लाभ प्रदान करते हैं। एफटीटीएच नेटवर्क के कुछ मुख्य लाभों में शामिल हैं:
  - एफटीटीएच नेटवर्क का सबसे बड़ा लाभ बेहद तेज इंटरनेट स्पीड प्रदान करने की उनकी क्षमता है क्योंकि फाइबर-ऑप्टिक केबल बहुत तेज गति से डेटा संचारित करने में सक्षम होते हैं। एफटीटीएच कनेक्शन डाउनलोड और अपलोड गति प्रदान कर सकता है जो अन्य प्रकार के ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तुलना में तेज होता है।
  - एफटीटीएच नेटवर्क अपनी उच्च विश्वसनीयता के लिए भी जाना जाता है। चूँकि फाइबर-ऑप्टिक केबल में विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप का खतरा नहीं होता है जो अन्य प्रकार के केबलों में होता है। इसका मतलब यह है कि मौसम या नेटवर्क से दूरी जैसे कारकों के कारण एफटीटीएच कनेक्शन में रुकावट या मंदी का अनुभव होने की संभावना कम है।
  - एफटीटीएच नेटवर्क अन्य प्रकार के ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तुलना में लंबे समय में अधिक लागत प्रभावी हो सकते हैं। चूँकि फाइबर-ऑप्टिक केबलों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम होती है और अन्य प्रकार के केबलों की तुलना में उनका जीवनकाल लंबा होता है। इसलिए उन्हें समय के साथ कम मरम्मत और प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार की पहल:

- **राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क:** सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 25 अक्टूबर 2011 को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का उपयोग करके मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पंचायतों तक विस्तारित करना है। परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए 25 फरवरी 2015 को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन को शामिल किया गया है।
- भारतनेट दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है जिसे अंतिम छोर तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) तथा गांवों में भारतनेट परियोजना लागू की जा रही है।
- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन पूरे देश में, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं तक सार्वभौमिक तथा न्यायसंगत पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। 'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन' का उद्देश्य 'सभी के लिए ब्रॉडबैंड' को संचालित करना है। एनबीएम का लक्ष्य देश में डिजिटल विभाजन को कम करना, डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास करना, डिजिटल सशक्तीकरण और समावेशन की सुविधा प्रदान करना तथा सभी को सस्ती व सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करना है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ग्राहकों को शुरुआती लागत पर सब्सिडी देकर ग्राम पंचायत क्षेत्रों में उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करता है।
- भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (जो भारत संचार निगम की एक शाखा है) ने कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के साथ साझेदारी की है। यह मॉडल स्थानीय उद्यमी की मदद से फाइबर को घर-घर तक पहुंचाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त पहल:

- **जन सेवा केंद्र (सीएससी):** सीएससी ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल मोड में सरकारी

और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन सीएससी द्वारा 400 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

- **यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (UMANG):** इसके माध्यम से नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उमंग पर 1668 से अधिक ई-सेवाएं और 20,197 से अधिक बिल भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
- **डिजिटल विलेज:** सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने 2018 में 'डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट' शुरू किया। इस परियोजना के तहत प्रति जिले कम से कम एक ग्राम पंचायत के साथ 700 गांवों को सम्मिलित किया गया है। प्रदान की जा रही डिजिटल सेवाओं में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा सेवा, वित्तीय सेवाएँ, कौशल विकास, सरकार से नागरिक सेवाएँ (G2C) सहित सौर पैनल संचालित स्ट्रीट लाइटें शामिल हैं।
- **ई-डिस्ट्रिक्ट एमएमपी:** ई-डिस्ट्रिक्ट एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) है जिसका उद्देश्य जिला या उप जिला स्तर पर पहचानी गई नागरिक केंद्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करना है।
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा):** सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शामिल करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)' नामक एक नई योजना शुरू की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लाभ:

- इंटरनेट एक वास्तविक क्रांति ला सकता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को सशक्त बना सकता है और लोगों को मुख्यधारा से जोड़ सकता है। स्मार्टफोन, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, डिजिटल इंडिया मिशन और भारत नेट जैसी सरकारी योजनाओं की पहुंच ने हमारे देश के दूरदराज के हिस्सों में इंटरनेट पहुंच को सक्षम बनाया है। परिणामस्वरूप अप्रयुक्त मानव क्षमता को स्वयं को साकार करने के लिए जगह मिल रही है। कई कॉरपोरेट, गैर-लाभकारी संगठन और शैक्षिक स्टार्टअप कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा पोषण जागरूकता के साथ ग्रामीण भारत तक पहुंच रहे हैं।
- उदाहरण के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय का ई-श्रम पोर्टल, असंगठित श्रमिकों का एक डिजिटल डेटाबेस तथा डिजिटल उन्नयन का एक अच्छा उदाहरण है। पहली बार ई-श्रम निर्माण और प्रवासी श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित तरीके से रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है।
- डिजिटल कनेक्टिविटी से नए बाजार, अवसर और मूल्य शृंखलाएं बनाकर ग्रामीण आय, उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।
- यह सूचना, सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच में सुधार करके ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को भी बढ़ा सकता है।
- यह संचार और जवाबदेही की सुविधा देकर ग्रामीण भागीदारी, शासन व लोकतंत्र को भी सशक्त बना सकता है।

क्रियान्वयन:

- वर्षों से बनाए गए डिजिटल बुनियादी ढांचे ने न केवल सूचनाओं के निरंतर प्रसारण को सुनिश्चित किया, बल्कि व्यवसायों के डिजिटल होने पर आर्थिक मूल्य भी बढ़ाया। 2015 और 2021 के बीच ग्रामीण इंटरनेट सदस्यता में 200 प्रतिशत की वृद्धि, जबकि शहरी क्षेत्रों में 158 प्रतिशत की वृद्धि, ग्रामीण तथा शहरी डिजिटल कनेक्टिविटी को समान स्तर पर लाने के लिए सरकार द्वारा बढ़ाए गए प्रोत्साहन को दर्शाती है।
- टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर गूगल का 'इंटरनेट साथी कार्यक्रम' महिलाओं को साथी के रूप में प्रशिक्षित करके डिजिटल साक्षरता अंतर को कम कर रहा है। यह खेती व स्वास्थ्य आदि से संबंधित सरकारी डेटा को प्रत्येक पंचायत तक पहुंचाने में भी मदद करता है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक प्रोजेक्ट 'ग्राम मार्ग' डिजाइन किया है जो मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने में मदद कर सकता है।

भारत में इंटरनेट पहुंच की स्थिति:

- नीलसन की 'इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट 2023' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में 425 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता थे जो शहरी भारत की तुलना में 44% अधिक है जिसमें 295 मिलियन लोग नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करते थे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण भारत का लगभग आधा हिस्सा इंटरनेट पर है जिसमें 30% की मजबूत वृद्धि है और भविष्य में विकास की अधिक संभावना है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कहा गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच 2015 और 2021 के बीच 200 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में 158 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

आगे की राह:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका का महत्त्व बढ़ गया है। आने वाले वर्षों में डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।
- इंटरनेट भारत में रोजमर्रा की जिंदगी की रीढ़ बन गया है। चाहे राशन तक पहुंच हो या कोविड-19 वायरस के खिलाफ टीकाकरण हो या ऑनलाइन कार्य करना सामान्य हो गया है, फिर भी प्रौद्योगिकी को सभी तक पहुंचाने से पहले देश को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।
- संचार की दृष्टि से एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ राष्ट्र, एक अच्छी सेवा प्रदाता राष्ट्र की दिशा में पहला महत्त्वपूर्ण कदम होता है। अतः ग्रामीण भारत को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने से शहरी और ग्रामीण भारत के बीच एक पुल का कार्य करेगा।

भारत–कनाडा तनावपूर्ण संबंधों के लिए जिम्मेदार कारक और समाधान की राह

हर देश की विदेश नीति का लक्ष्य अपनी प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा करना है। खालिस्तान आंदोलन तथा उससे जुड़े षड्यंत्र भारत की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए भारत इस मुद्दे को गंभीरता से लेता है। विदेशी धरती पर भारत विरोधी अभियान, दुष्प्रचार, षड्यंत्र के प्रभाव को निष्प्रभावी करना भारत की बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। भारत–कनाडा संबंधों के संदर्भ में इस आवश्यकता को साफ तौर पर देखा जा सकता है।

हाल ही में कनाडा में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने इसमें भारतीय एजेंसियों के हाथ होने का आरोप लगाया। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कनाडा के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता की दुहाई देते हुए और भारत के कथित भूमिका का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार्य बताया लेकिन जस्टिन ट्रूडो को भारत की प्रादेशिक अखंडता तथा संप्रभुता की रक्षा की जरूरत भी समझनी अपेक्षित है। इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर कनाडा को यह अहसास करा दिया है कि कनाडा की धरती भारत विरोध की लेबोरेटरी नहीं है। कूटनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक हर प्रकार के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। भारत इस समय निर्णायक रूप से कार्यवाही करने से पीछे नहीं रह सकता। भारत द्वारा कनाडा के राजनयिकों और उसके नागरिकों को भारतीय वीजा से जुड़े रेगुलेशंस के जरिए कार्यवाही भी की गई है। भारत सरकार अगर किसी के विरोध में है, तो वे हैं खालिस्तानी अलगाववादी और उनको प्रश्रय देने वाली ताकतें।

भारत–कनाडा तनावपूर्ण संबंधों की वजह:

- 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई थी। 18 सितंबर को कनाडा की संसद में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। इसके अलावा कनाडा में अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन ने कहा था कि 'फाइव आइज देशों की मुहैया कार्यवाही इंटेलिजेंस के आधार पर ही ट्रूडो ने भारत को लेकर दावा किया था।' फाइव आइज देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये देश एक-दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करते हैं। ऐसे में भारत और कनाडा के तनावपूर्ण संबंध पर पूरे देश की निगाह है। जिस निज्जर की मौत पर कनाडा भारत से अपने संबंधों को संवेदनशीलता के साथ नहीं देख रहा है, उस निज्जर की भारत विरोधी कार्यवाही से दुनिया वाकिफ है। हरदीप सिंह निज्जर का भले ही सिख समुदाय से संबंध था, कनाडा का नागरिक था, कनाडा की धरती पर रहता था लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि भारत सरकार उसे एक आतंकवादी मानती थी। वह भारत के वांटेड लिस्ट में शामिल था क्योंकि उसने सिखों के लिए एक पृथक देश की स्थापना हेतु काम करना जारी रखा था। वह कनाडा में इस चीज हेतु जनमत संग्रह तक कराने के लिए लगातार सक्रिय था। कनाडा के गुरुद्वारों में मिले पैसों की राजनीतिक फंडिंग करने के आरोप भी निज्जर पर लगाए गए थे। निज्जर और उसके जैसे अन्य खालिस्तानी अलगाववादी पंजाब में नार्को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार थे। खालिस्तान आंदोलन की फंडिंग के लिए ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा देने का काम कनाडा में रह रहे खालिस्तानी अलगाववादियों ने किया। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है और पाकिस्तान के आईएसआई ने कश्मीर तथा पंजाब जैसे इलाकों में ड्रग्स को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है। अवैध ड्रग्स और हथियार की खरीद फरोख्त से बड़े पैमाने पर पैसा प्राप्त किया जाता है, फिर इसका इस्तेमाल अलगाववादी विदेशी धरती पर भारत विरोधी जनमत संग्रह तक के लिए करते हैं।
- कनाडा की ओर से इस प्रकरण पर जैसे ही पूर्वाग्रही होकर एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निकाल दिया गया और कनाडा सरकार द्वारा आरोप लगाया गया कि भारतीय राजनयिक हत्याकांड की जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कनाडा की ओर से भारतीय राजनयिक को निकाले जाने के फैसले का विरोध करते हुए कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया, साथ ही कनाडा के एक वरिष्ठ उच्चायुक्त को निष्कासित किए जाने की जानकारी दी थी। इस राजनयिक को पांच दिन के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश भी दिया गया। इसके अलावा कनाडा के नागरिकों को भारतीय वीजा पर भी रोक लगाई गई।

खालिस्तानियों और आईएसआई के बीच लिंक:

- हाल ही में यह सूचना भी सामने आई है कि खालिस्तानियों और पाकिस्तान के आईएसआई के बीच लिंक है तथा आईएसआई खालिस्तानियों को फंडिंग कर रहा है ताकि भारत विरोधी कार्यवाही की जा सके। 1980 के दशक से ही आईएसआई ने कनाडा में खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए माहौल बनाया। पाकिस्तान की आईएसआई ने मौके का फायदा उठाया और भारत से कनाडा गए अलगाववादियों के साथ मिलकर इसकी आग देश में भड़काई। इसका कारण कनाडा की कानूनी प्रणाली के कमजोर प्रत्यर्पण कानूनों को माना गया। ऐसा माना जाता है कि आईएसआई ने पाकिस्तान में रह रहे अलगाववादी नेताओं को कनाडा में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था। आईएसआई ने कनाडा में पहले से ही रह रहे अलगाववादियों के आंदोलन के लिए वित्तीय सहायता भी जुटाई। पाकिस्तान शुरू से ही इस अलगाववादी आंदोलन को उर्वर भूमि देता रहा। 1971 में उभरे खालिस्तानी नेता जगजीत सिंह चौहान ने खुद को खालिस्तान का प्रमुख घोषित कर दिया था। जगजीत एक दंत चिकित्सक था जो पंजाब छोड़कर लंदन चला गया। पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल याह्या खान ने जगजीत का समर्थन किया। इसी बीच जगजीत न्यूयार्क पहुंचा

और अक्तूबर 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान के उदय की घोषणा करते हुए एक विज्ञापन चलाया था।

कनाडा के पीएम की राजनीतिक विवशता की वजह:

- सिख समुदाय से नजदीकी और भारत विरोधी खालिस्तानियों के मुद्दे पर मौन बनाए रखने के पीछे ट्रूडो की राजनीतिक विवशता क्या है? अगर इसकी तह में जाने की कोशिश करें तो पता चलता है कि वर्तमान में ट्रूडो एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जिसे बहुमत नहीं है, लेकिन उन्हें जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन हासिल है। वर्ष 2019 में समय से पहले चुनाव कराए गए थे और ट्रूडो की लिबरल पार्टी की 20 सीटें कम हो गईं थीं। इसी चुनाव में जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली थीं। जगमीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि पार्टी के नेता बनने से पहले वे खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते थे। राजनीति में बने रहने के लिए ट्रूडो को जगमीत सिंह के सहयोग की जरूरत है। जगमीत सिंह को अब ट्रूडो के ऐसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर देखा जाता है जो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा हो। जस्टिन ट्रूडो महज 44 साल की उम्र में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। साल 2019 में वे दोबारा इस कुर्सी पर बैठे लेकिन उस वक्त तक उनकी लोकप्रियता काफी कम हो चुकी थी। 2019 में कोरोना महामारी आई और ट्रूडो की लिबरल पार्टी को भरोसा था कि इस महामारी से निपटने में उनकी काबिलियत को देखते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स (कनाडा की संसद का निचला सदन) में उन्हें आसानी से बहुमत मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें सिख समुदाय के समर्थन की जरूरत पड़ी।

भारत-कनाडा में टकराव के परिणाम:

- पिछले 20 सालों में कनाडा के सिखों की आबादी दोगुनी हुई है। इनमें से अधिकांश भारत के पंजाब से शिक्षा, करियर, नौकरी जैसे कारणों से ही वहां पहुंचे हैं। कनाडा की जनगणना 2021 के मुताबिक, सिख समुदाय कनाडा की कुल जनसंख्या का 2.1 प्रतिशत हैं और भारत के बाद कनाडा में ही सर्वाधिक सिख आबादी रहती है। भारत सरकार लंबे समय से कनाडा को खालिस्तानी अलगाववादियों पर कार्यवाही करने के लिए कहती रही है।
- भारत का मानना है कि ट्रूडो सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए खालिस्तान पर नरम है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी ये दावा कर चुके हैं। कनाडा से भारत के तनाव का एक फायदा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन को हो सकता है जो भारतीय स्टूडेंट्स अब तक कनाडा पढ़ाई के लिए जाने की सोचते थे, वे अब विकल्प के तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया पर विचार कर रहे हैं। भारतीय स्टूडेंट्स अब तक कनाडा पढ़ाई के लिए जाने की सोचते थे, वे अब विकल्प के तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया पर भी विचार कर रहे हैं।
- कनाडा को एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत के साथ संबंधों को इस तरह तनावपूर्ण करने की जरूरत नहीं थी। भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी वार्ता की जानी थी, परन्तु इस घटनाक्रम ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कनाडा ने कुछ ही समय इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अपनाई थी और भारत के साथ इस दिशा में कार्य करने की बात की थी। खालिस्तानियों का शरण स्थल बने हुए कनाडा ने सहयोग के इन क्षेत्रों पर कहीं न कहीं विराम लगा दिया है। खालिस्तान मुद्दे पर यही तनाव दोनों देशों के बीच आग बना रहा था तो जी-20, जी-7 तथा एपेक जैसे मंचों पर भी दोनों के संबंध कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। कनाडा में भारतीय मानव पूंजी को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए भारत और कनाडा के बीच होमलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट या डायलॉग जैसा पहल समय की मांग है ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा पर बाह्य प्रभावों के नियंत्रण में कनाडा भारत को सहयोग करे। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत को अमेरिका, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ प्रभावी वार्ता और रणनीति पर भी काम करने की आवश्यकता है। भारत ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस दिशा में अधिक अधिकार देकर सक्रिय भी किया है, लेकिन इस मामले पर पंजाब राज्य और उसके नागरिकों को अधिक विश्वास में लेने का प्रयास भी जरूरी है। पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों को हटा कर देखें तो पंजाब राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सदैव तत्पर रहने वाले राज्यों में से एक रहा है।

धरोहर संरक्षण की दिशा में तेज कार्यवाही करती केंद्र सरकार

भारत में धरोहर या स्मारक संरक्षण एक संवैधानिक प्रतिबद्धता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे कानून निर्माण के दौरान राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्त्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करने के पहलुओं का ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि 'यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह देश की संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्त्व दे और उसका संरक्षण करे।' यह भारत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा प्रश्न है जो भारत के सॉफ्ट पॉवर प्रोफाइल को और मजबूत करने में सहायक है। स्मारकों से जुड़े वाद संवाद भारत के नागरिकों को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने में मददगार साबित होते हैं।

सन्दर्भः

हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा 'एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम' में इंडियन हेरिटेज ऐप तथा ई-परमिशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में 3696 स्मारक हैं जो पूरे देश में विस्तृत हैं। ये स्मारक न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए विरासत स्थलों पर समय-समय पर सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता होती है।

'एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम' के बारे में:

- इस कार्यक्रम के तहत एएसआई कॉर्पोरेट हितधारकों को उनके सीएसआर फंड का उपयोग करके स्मारकों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम 2017 में शुरू की गई पिछली योजना का एक नया संस्करण है जो एएमएएसआर अधिनियम 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए आवश्यक सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इंडियन हेरिटेज' नाम से एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया जो भारत के विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करेगा। ऐप में तस्वीरों के साथ-साथ स्मारकों का राज्यवार विवरण, उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाओं की सूची, भू-टैग किए गए स्थान और नागरिकों के लिए फीडबैक तंत्र की सुविधा होगी। स्मारकों पर फोटोग्राफी, फिल्मांकन और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु एक ई-अनुमति पोर्टल भी लॉन्च किया गया। पोर्टल विभिन्न अनुमतियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करेगा जिसमें शामिल परिचालन और लॉजिस्टिक बाधाओं को हल करेगा।

यूनेस्को में भारतीय धरोहर स्थलों को फिर से मान्यता:

- हाल ही में पश्चिम बंगाल में शांतिनिकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल है और भारत विश्व धरोहर सूची में छठे स्थान पर है। इसके अलावा होयसल के पवित्र समूहों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। यह भारत का 42वाँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। होयसलेश्वर मंदिर, हेलेबिदु, चन्नाकेशव मंदिर, बेलूर और केशव मंदिर, कर्नाटक में सोमनाथपुर अद्भुत वास्तुकला तथा कलात्मक रचनात्मकता को दर्शाते हैं।
- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने समय-समय पर मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों और धरोहरों की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वैश्विक स्तर पर भी इस दिशा में जागरूकता के प्रसार के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। इन्हीं भूमिकाओं को सम्मान देते हुए भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु 2022 से 2026 के लिए यूनेस्को के 2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। अंतर सरकारी समिति के लिए ये चुनाव 2003 कन्वेंशन की 9वीं महासभा के दौरान पिछले साल पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में हुए थे।

शांतिनिकेतनः बंगाल के सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक

- 24 दिसंबर 1921 को पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। यह देश के सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान भी घोषित है। शांतिनिकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय की शुरुआत एक आश्रम के तौर पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में 7 एकड़ जमीन पर एक आश्रम की स्थापना की थी जहां बाद में रवींद्रनाथ टैगोर ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया जिसे विज्ञान के साथ कला और संस्कृति की पढ़ाई का उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया।
- 1901 में केवल 5 छात्रों के साथ गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी। 1921 में इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और आज यहां छह हजार से भी ज्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा तंत्रः

- भारत में देश की विरासत की सुरक्षा संविधान की विभिन्न सूचियों में निर्दिष्ट विषयों द्वारा नियंत्रित होती है। संघ सूची का विषय-67, राज्य सूची का विषय-12 और समवर्ती सूची का विषय-40 भारत

की विरासत के संरक्षण से संबंधित मामलों से संबंधित है।

- आजादी से पहले पुरावशेषों को बिना प्राधिकरण के देश से बाहर ले जाने से बचाने के लिए 'पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम' अप्रैल 1947 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरावशेषों का कोई भी निर्यात केवल वैध लाइसेंस के साथ ही किया जाना चाहिए।
- इसके बाद संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करने के लिए प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को विनाश तथा दुरुपयोग से बचाना और भावी पीढ़ियों के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्व स्थल और अवशेष अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है। यह प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्त्विक स्थलों तथा राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों के संरक्षण, पुरातात्त्विक खुदाई संबंधी नियमन और मूर्तियों, नक्काशियों एवं इसी तरह की अन्य वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान करता है।

वैश्विक स्तर पर सुरक्षा तंत्र:

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को ने सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने तथा रोकने के उपायों पर 1970 के कन्वेंशन को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मेलन का उद्देश्य सीमाओं के पार सांस्कृतिक कलाकृतियों और विरासत वस्तुओं के अवैध व्यापार व तस्करी का मुकाबला करना था। इसने अवैध आयात और निर्यात की रोकथाम के साथ-साथ अपने मूल देशों में सांस्कृतिक संपत्ति की बहाली के लिए दिशानिर्देश स्थापित किए।
- यूनेस्को के प्रयासों के अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी संघर्ष क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए। 2015 और 2016 दोनों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सशस्त्र संघर्षों के दौरान सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया। इन प्रस्तावों ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा युद्ध और अस्थिरता के समय इसके विनाश या लूटपाट को रोकने के महत्त्व को मान्यता दी।

विरासत स्थलों का पुनरुद्धार और पुनर्विकास:

- पूरे भारत में विरासत स्थलों के पुनरुद्धार और पुनर्विकास पर निरंतर ध्यान दिया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सहित वाराणसी में कई अन्य परियोजनाएं हैं जिन्होंने शहर की गलियों, घाटों और मंदिर परिसरों को बदल दिया है। वास्तव में वर्ष 1777 में अहिल्याबाई होल्कर के बाद से लगभग 250 वर्षों में काशी में यह पहली परिवर्तनकारी परियोजना है। इसमें 900 किलोमीटर की चार धाम सड़क परियोजना का भी उल्लेख किया जा सकता है जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के चार पवित्र धामों को सभी मौसम में निर्बाध सड़क संपर्क प्रदान करेगी। सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण परियोजना, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर और अयोध्या में चल रहा राम मंदिर निर्माण अन्य उदाहरण हैं जहां भारत अपनी आध्यात्मिक विरासत का पुनर्विकास कर रहा है।

बौद्ध धरोहरों का संरक्षण:

- भारत सरकार बौद्ध विरासत को संरक्षित करने और दुनिया भर में भगवान बुद्ध के संदेश को ले जाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नवंबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महापरिनिर्वाण मंदिर (जहां भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था) तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। मई 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री ने ही महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि पर 100 करोड़ की लागत से लुम्बिनी में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए तकनीकी रूप से उन्नत इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की आधारशिला रखी थी। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन योजना के एक भाग के रूप में कुशीनगर, श्रावस्ती और कपिलवस्तु के आसपास बौद्ध सर्किट विकसित कर रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए कई परियोजनाएं पहले ही पूरी होने वाली हैं।

निष्कर्ष:

यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए 'संपूर्ण सरकार' का दृष्टिकोण भी अपना रही है। कई केंद्रीय मंत्रालय जैसे पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नमामि गंगे और स्वच्छ भारत जैसी पहल आदि सभी भारतीय विरासत की रक्षा के संबंध में समग्र परिणामों के लिए एक साथ आ रहे हैं।

SUBSCRIBE TO OUR
YOUTUBE CHANNEL
DHYEYA TV QR
BATEN UP KI QR

भारत के समुद्री सुरक्षा में तटरक्षक बल की भूमिका का मूल्यांकन

भारतीय तटरक्षक बल भारत के 7516 किलोमीटर लंबी तट रेखा की सुरक्षा के साथ ही देश के बड़े समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की समय समय पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बैठकों में भूमिका रहती है जहां समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। 5 से 8 सितंबर 2023 को इस्तांबुल (तुर्किये) में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19 वीं बैठक (एचएसीजीएएम) में भारतीय तटरक्षक बल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल के नेतृत्व में चार सदस्यीय आईसीजी प्रतिनिधिमंडल ने तटरक्षक एजेंसियों के 23 सदस्यों के साथ इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक के दौरान समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री जीवों की रक्षा और सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण तथा समुद्री रास्तों से दवाओं, हथियारों और मानव तस्करी आदि सहित कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई एवं एजेंडा तैयार करने के रास्ते तलाशे गए। बैठक में एशियाई तट रक्षकों के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया।

एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की शुरुआत:

- यह बहुपक्षीय मंच नवंबर 1999 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा समुद्री डाकू जहाज एमवी अलोंद्रा रेनबो को पकड़ने के बाद क्षेत्रीय तटरक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की जापानी पहल का एक हिस्सा है। एचएसीजीएएम का मुख्य रूप से उद्देश्य तटरक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सदस्य एशियाई देश इस क्षेत्र में सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्रों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल इसके खोज और बचाव (एसएआर) कार्य समूह का अध्यक्ष है तथा अन्य कार्य समूहों का एक सक्रिय सदस्य है जिसमें पर्यावरण संरक्षण, समुद्र में गैरकानूनी कृत्यों को नियंत्रित करना और सूचना साझा करना शामिल है। एचएसीजीएएम का अंतिम संस्करण 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

राहत और बचाव कार्य में इंडियन कोस्ट गार्ड की भूमिका:

- भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) तेज और सुनियोजित कदम उठाते हुए 13 जून, 2023 को प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से बचाव के उपाय के रूप में गुजरात के ओखा से 50 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने 12 जून, 2023 को गुजरात में ओखा से 25 एनएम पश्चिम में स्थित जैक अप रिग 'की सिंगापुर/01' से चालक दल के 50 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) बल से अनुरोध किया था।
- इसके अलावा भारतीय तट रक्षक बल द्वारा मालदीव के समुद्री क्षेत्र से बचाए गए दस भारतीय मछुआरों को 6 मई, 2023 को सुरक्षित रूप से विशाखापत्तनम लाया गया था। ये मछुआरे 16 अप्रैल, 2023 को कन्याकुमारी, तमिलनाडु के पास थेंगापट्टनम से समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। हालांकि उनकी नाव का इंजन फेल हो गया और वे 5 दिनों तक बिना किसी मदद के मालदीव समुद्री क्षेत्र में बहते चले गए। 26 अप्रैल, 2023 को भारतीय तटरक्षक एमआरसीसी यानी समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के समन्वय में मालदीव खोज और बचाव क्षेत्र से एमवी फ्यूरियस द्वारा इन मछुआरों को बचाया गया। तटरक्षक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) को प्राप्त सूचना के आधार पर, आईसीजीएस विग्रह को इन बचाए गए मछुआरों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कैंपबेल खाड़ी से आने वाले व्यापारी जहाज पर चढ़ाने के लिए भेजा गया था।

भारतीय तटरक्षक बल का गठन और उसकी भूमिका:

- 1978 में केवल 7 जमीनी प्लेटफार्मों के साथ एक साधारण शुरुआत से आज इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल 158 जहाजों तथा 70 विमानों के साथ एक अजेय सेना बन चुका है जिसके 2025 तक 200 जमीनी प्लेटफार्मों और 80 विमानों के लक्षित बल प्राप्त करने की संभावना है। दुनिया में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तट को सुरक्षित करने और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1972 में समुद्री कानून पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार सभी तटीय देशों को अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) प्रदान किया गया था। तत्पश्चात् विस्तृत रूप से फैले हुए अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर अपना सार्वभौमिक अधिकार का दावा करते हुए भारत की संघीय सरकार ने भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 का निर्माण किया। भारत ने एक बार में 2.01 मिलियन वर्ग किमी समुद्री क्षेत्र पर सभी जैविक व गैर-जैविक संसाधनों का व्यापक संदोहन करने के लिए अधिकार ग्रहण किया। इस विस्तृत क्षेत्र की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद ही इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना अगस्त 1978 में तटरक्षक अधिनियम, 1978 द्वारा भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सशस्त्र बल, खोज और बचाव एवं समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करता है। प्रभावी कमान एवं नियंत्रण हेतु भारत के समुद्री क्षेत्रों को पाँच तटरक्षक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसमें उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, पूर्व, उत्तर-पूर्व और अंडमान

एवं निकोबार शामिल हैं। इनके मुख्यालय क्रमशः गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं।

- **प्राकृतिक आपदा के दौरान सुरक्षाः** पिछले एक साल में आईसीजी ने समुद्र में 1200 से अधिक लोगों की और अपनी स्थापना के बाद से अब तक 11,000 से अधिक लोगों की जान बचा चुकी है। 'नागरिक प्राधिकरण को सहायता' के अभियानों जैसे बाढ़ के दौरान स्थानीय प्रशासन को सहायता, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाएं तथा हाल ही में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में आई बाढ़ में इसने अब तक लगभग 13,000 कर्मियों को बचाया है। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद आईसीजी प्रतिदिन लगभग 50 जहाजों और 12 विमानों को तैनात करके विशेष आर्थिक क्षेत्र में चौबीसों घंटे निगरानी रखता है।
- **ड्रग्स तस्करी और अवैध मत्स्यन को रोकने में भूमिकाः** अपने क्षेत्र में समुद्री मार्गों के माध्यम से तस्करी की रोकथाम करना भारतीय तटरक्षक बल के प्राथमिक कर्त्तव्यों में से एक है। पिछले एक साल में इसने करीब 4,000 करोड़ रुपये के ड्रग्स और प्रतिबंधित पदार्थ को जब्त किया है। आईसीजी ने अपनी स्थापना के बाद से लगभग 12,000 करोड़ रुपये की ड्रग्स और प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए हैं। इसके अलावा अब तक आईसीजी ने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में शामिल 13,000 से अधिक मल्लाहों का जत्था और 1500 से अधिक नावों को पकड़ा है। 2021 में आईसीजी ने चालीस विदेशी चालक दल और सात नावों को पकड़ा था। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों का मुकाबला करने और अपने अधिकार वाले क्षेत्र के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटवर्ती देशों के साथ सहयोग भी करता है।
- **हिंद महासागर में सागर विजन को मजबूतीः** भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सागर' दृष्टिकोण के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास तथा 'पड़ोसी पहले' (नेबरहुड फर्स्ट) पर भारतीय तटरक्षक बल ने महासागरों में व्यावसायिक संबंधों का विकास किया है। महासागर शांति स्थापना के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ संबंध स्थापित किए हैं।
- **नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिकाः** इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल के समय में श्रीलंका तट पर 'सागर आरक्षा-II' से रासायनिक वाहक एमवी एक्स-प्रेस पर्ल जहाज पर आग बुझाकर प्रमुख पारिस्थितिक आपदाओं को सफलतापूर्वक टाल दिया। इसने प्रमुख अग्निशमन व प्रदूषण प्रतिक्रिया अभियान शुरू करके इस क्षेत्र में 'प्रथम उत्तरदाता या प्रतिक्रियाकर्ता' के रूप में उभरा है।
- भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री और नागरिक उड्डयन खोज तथा बचाव (एसएआर) तंत्र में सामंजस्य स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक भी आयोजित की। यह मजबूत तटीय सुरक्षा तंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियों के साथ निकट समन्वय बनाकर काम करता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त, 2021 को आईसीजी की क्षमता का प्रदर्शन किया गया जब 100 बसे हुए और दूर-दराज के निर्जन द्वीपों पर ध्वजारोहण किया था।
- आईसीजी स्वदेशी संपत्तियों को शामिल करने में अग्रणी रहा है जिसने इसे पूरे वर्ष परिचालन रूप से सक्रिय और उत्तरदायी बने रहने में सक्षम बनाया है। कोविड-19 महामारी के बावजूद इसने पिछले एक साल में अपने बेड़े में पांच नई पीढ़ी के जहाज और आठ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर जोड़े हैं। यह प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के बेहतरीन उदाहरण हैं।
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने समुद्री क्षेत्रों में राष्ट्र के हितों को सुरक्षित करने में निभाई गई उल्लेखनीय भूमिकाओं तथा सेवाओं की सराहना करते हुए भारतीय तटरक्षक बल को राष्ट्र के लिए उसकी उत्कृष्ट सेवा को लेकर समय समय पर उसका उत्साहवर्धन भी किया है।

ध्येयIAS most trusted since 2003
DHYEYA IAS most trusted since 2003
IAS
सामान्य अध्ययन
(PREMIUM BATCH)
हिंदी माध्यम
20 OCTOBER
11:30 AM & 5:30 PM
ऑफलाइन बैच
(निःशुल्क ऑनलाइन सुविधा के साथ)
8853467068
7459911157
SP MARG, CIVIL LINES, PRAYAGRAJ

भारत में किसान अधिकार संरक्षण और किसान सुरक्षा के पहलुओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय सरकारों में जागरूकता

भारतीय किसान भारत की एक जीवंत मूर्ति हैं क्योंकि ये दुनिया के सबसे मेहनती किसानों में से एक हैं जो दिन-रात अपनी फसलों के लिए कड़ी मेहनत करने में सदैव तत्पर रहते हैं। भारत को किसानों की भूमि कहा जाता है क्योंकि देश के अधिकांश लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि 'भारतीय किसान' अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और किसान वास्तव में भारत माता की प्यारी संतान हैं। खेती विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने की प्रक्रिया है जो भारत की सांस्कृतिक विविधता का सूचक है।

सन्दर्भः

भारत के राष्ट्रपति ने आईसीएआर कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र (नई दिल्ली) में 'किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी' का उद्घाटन किया जिसमें 80 देशों से प्रख्यात वैज्ञानिक, किसान और संबंधित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत में किसान अधिकार संरक्षण और किसान सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा तथा विचार-विमर्श करने के लिए 50 देशों ने संगोष्ठी में भाग लिया।

वैश्विक संगोष्ठी के बारे में:

- रोम में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के खाद्य तथा कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी की मेजबानी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण (PPVFR) प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (IARI), आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) तथा आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR) के साथ सहयोग रहा।

भारत में कृषि की स्थिति:

- औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की उच्च विकास दर के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी धीरे-धीरे घटकर 20% से भी कम हो गई है। भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में इस क्षेत्र का महत्त्व इस संकेतक से कहीं अधिक है। भारत के लगभग तीन-चौथाई परिवार ग्रामीण आय पर निर्भर हैं। भारत के अधिकांश गरीब (लगभग 770 मिलियन लोग या लगभग 70%) ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा अनाज की फसलों के उत्पादन के साथ-साथ बढ़ती आय और बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए फलों, सब्जियों और दूध के उत्पादन को बढ़ाने पर निर्भर करती है।

किसानों के सामने चुनौतियाँ:

- **ऋण और वित्त तक पहुँच का अभाव:** छोटे तथा सीमांत किसानों को अक्सर ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। किफायती ऋण की सीमित उपलब्धता आधुनिक कृषि उपकरणों और गुणवत्तापूर्ण बीजों तथा उर्वरकों में निवेश करने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करती है जिससे उनकी उत्पादकता में बाधा आती है।
- **छोटी जोत:** औसत किसान छोटी जोत वाले होते हैं जिसके कारण कृषि पद्धतियाँ खंडित और अलाभकारी होती हैं। इससे उनके लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता कम हो जाती है।
- **पुरानी कृषि पद्धतियाँ:** भारतीय किसानों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पारंपरिक और पुरानी कृषि पद्धतियों पर निर्भर है। जानकारी तक सीमित पहुंच, आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी और परिवर्तन का प्रतिरोध उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने में बाधा डालता है।
- **पानी की कमी और सिंचाई:** भारत की कृषि काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर है जो इसे सूखे और असंगत वर्षा पैटर्न के प्रति संवेदनशील बनाती है। सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच और जल प्रबंधन महत्त्वपूर्ण चुनौतियां हैं, खासकर सीमित जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में।
- **मृदा क्षरण और भूमि क्षरण:** रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और अपर्याप्त मृदा संरक्षण उपाय मिट्टी क्षरण में योगदान करते हैं। इससे कृषि उत्पादकता कम होने के अलावा मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है जिससे कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
- **अपर्याप्त कृषि अवसंरचना:** अपर्याप्त भंडारण और कोल्ड चेन सुविधाएं, अपर्याप्त ग्रामीण सड़कें तथा बाजारों तक सीमित पहुंच फसल के बाद के नुकसान में योगदान करती है। ये बुनियादी ढाँचे की कमी उत्पादन की लागत को बढ़ाती है और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करती है।
- **बाजार में अस्थिरता और मूल्य में उतार-चढ़ाव:** भारत में किसानों को अक्सर प्रभावी बाजार संबंधों, मध्यस्थों और मूल्य की जानकारी की कमी के कारण मूल्य में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। इससे उन्हें मूल्य शोषण और उनके निवेश पर अनिश्चित रिटर्न का खतरा रहता है।
- **जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ:** तेजी से अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, जलवायु परिवर्तन और बाढ़, चक्रवात तथा सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएँ देश के कृषि उद्योग के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करती हैं। इन घटनाओं से फसल की हानि, पशुधन मृत्यु और किसानों के लिए असुरक्षा बढ़ सकती है।
- **प्रौद्योगिकी और अनुसंधान तक सीमित पहुंच:** कृषि विस्तार सेवाओं, आधुनिक प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित पहुंच नवीन प्रथाओं को अपनाने में बाधा डालती है। किसानों को ज्ञान के बेहतर प्रसार, प्रशिक्षण और उनकी आवश्यकताओं के

अनुरूप किफायती प्रौद्योगिकी समाधानों तक पहुंच की आवश्यकता है।

- **किसानों के सशक्तीकरण का अभाव:** नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में किसानों की आवाज और प्रतिनिधित्व अक्सर अपर्याप्त होता है। किसानों के सशक्तीकरण और भागीदारी के सीमित होने के परिणामस्वरूप ऐसी नीतियां बनती हैं जो उनकी विशिष्ट चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं कर पाती हैं।
- **किसान फसल विविधता के संरक्षक के रूप में:** राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में फसल विविधता के अग्रणी संरक्षक के रूप में वैश्विक कृषक समुदाय की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसान एक अनूठी जिम्मेदारी निभाते हैं और सभी की भलाई के लिए महत्त्वपूर्ण विभिन्न पौधों तथा प्रजातियों की किस्मों की सुरक्षा और पुनरुद्धार करने में काफी शक्ति रखते हैं।

किसानों के लिए सरकारी योजनाएँ:

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN):** पीएम-किसान योजना देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ खर्चों का ध्यान रखने में सक्षम हो सकें।

- **कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF):** 1 लाख करोड़ रूपये का एग्री इन्फ्रा फंड जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था।
- **खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन (NMEO):** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2021 में शुरू की गई थी।
- **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM):** यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के प्रचार तथा विकास और मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020 में शुरू किया गया था।

आगे की राह:

- **भारत की समृद्ध कृषि-जैव विविधता:** जैव विविधता के मामले में भारत की अद्वितीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दुनिया के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4 प्रतिशत भूमि होने के बावजूद, भारत 7-8 प्रतिशत प्रजातियों का घर है। उन्होंने पौधों और प्रजातियों की सबसे विस्तृत शृंखला वाले देशों में से एक के रूप में भारत की स्थिति की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू के विचार में कृषि-जैव विविधता की यह संपत्ति एक वैश्विक संपत्ति रही है।
- **किसानों का योगदान:** राष्ट्रपति ने स्थानीय पौधों की किस्मों के संरक्षण, जंगली पौधों को नियंत्रित करने और पारंपरिक किस्मों के पोषण में भारतीय किसानों के अथक प्रयासों को स्वीकार किया। इन योगदानों ने फसल प्रजनन कार्यक्रमों के लिए नींव के रूप में काम किया है जिससे मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए भोजन तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
- **कृषि उन्नति और सुरक्षा पर प्रभाव:** कृषि तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि 1950-51 के बाद से भारत में खाद्यान्न उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, दूध और अंडा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इन प्रगतियों का देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा पर ठोस प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इन सफलताओं का श्रेय कृषि-जैव विविधता संरक्षकों, मेहनती किसानों, समर्पित वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के सहयोगात्मक प्रयासों को दिया जिन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है।
- **विरासत ज्ञान के संरक्षक के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** राष्ट्रपति मुर्मू ने विरासत ज्ञान के प्रभावी संरक्षक और संवर्द्धक के रूप में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान की भूमिका पर विश्वास व्यक्त किया। उनका मानना था कि यह उपाय भारत और दुनिया भर में कृषि उत्कृष्टता की विरासत को संरक्षित तथा विस्तारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।
- **मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में:** किसान अधिकारों को तेजी से मानवाधिकारों के अभिन्न अंग के रूप में देखा जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भारत में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की है और उनके अधिकारों की सुरक्षा का आह्वान किया है।
- **व्यापार और आर्थिक निहितार्थ:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों पर किसान अधिकार संरक्षण तथा सुरक्षा के प्रभाव को जनता है जिसके कारण स्थिर आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना, किसानों को शोषण से बचाना और उन्हें सुरक्षित आजीविका प्रदान करना आवश्यक है।
- सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह प्रतीत होता है कि किसान अधिकारों और किसानों की सुरक्षा तथा उनके विकास के पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही है।

ई-कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने की भारत सरकार की रणनीतिः चुनौतियां और संभावनाएं

"हाल के वर्षों में भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच में तेजी देखी गई है। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम द्वारा संचालित, 2021 में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 830 मिलियन हो गई। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और स्मार्टफोन की पहुंच में तेजी से वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती आय ने भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास में सहायता की है। पिछले तीन वर्षों में भारत में 125 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स बढ़े हैं, साथ ही 2025 तक 80 मिलियन और जुड़ने की उम्मीद है। भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र ने भारत में व्यापार करने के तरीके को बदल दिया है जिसने व्यापार-से-व्यवसाय (बी2बी), प्रत्यक्ष-से-उपभोक्ता (डी2सी), उपभोक्ता-से-व्यवसाय (डी2बी), उपभोक्ता-से-उपभोक्ता (सी2सी) और वाणिज्य के विभिन्न क्षेत्रों को खोल दिया है। समग्र ई-कॉमर्स बाजार के भी 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।" – इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन रिपोर्ट

सन्दर्भः

- डाक विभाग ने देश में ई-कॉमर्स के लिए एक निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की अपनी चल रही पहल के हिस्से के रूप में प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों में से एक 'बिगफुट रिटेल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (शिपरॉकेट)' के साथ एक समझौता किया है। इस सहयोग का उद्देश्य इंडिया पोस्ट की व्यापक उपस्थिति और विश्वसनीय शिपिंग समाधानों का लाभ उठाकर ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ाना है। अमेजॅन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद यह समझौता इंडिया पोस्ट की निर्यात-उन्मुख पहल में नवीनतम जुड़ाव है।
- इस समझौते से डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके) और शिपरॉकेट के बीच तकनीकी एकीकरण होगा। शिपरॉकेट का उपयोग करके भारत स्थित विक्रेताओं को सीधे ई-पीबीई (निर्यात का डाक बिल) और शिपरॉकेट प्लेटफॉर्म से शिपिंग लेबल उत्पन्न करने में सक्षम बनाया जाएगा। निर्यातक पैकेजिंग, लेबल प्रिंटिंग, पिकअप सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से में अपने शिपमेंट को निकटतम डीएनके में भेज सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट (पीबीई) के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग, निर्यात दस्तावेज, अनुपालन और सीमा शुल्क निकासी को आसान बनाया गया है जिसे डीएनके पोर्टल पर दाखिल किया जा सकता है। विभिन्न एजेंसियों और ई-मार्केटप्लेस के साथ डीएनके पोर्टल के एकीकरण से देश के दूरदराज के क्षेत्रों के कारीगरों, शिल्पकारों और एसएमई विक्रेताओं को लाभ होगा।

ई-कॉमर्सः

- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (ई-कॉमर्स) उन कंपनियों और व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो इंटरनेट पर वस्तु तथा सेवाएं खरीदते और बेचते हैं। ई-कॉमर्स विभिन्न प्रकार के बाजार क्षेत्रों में संचालित होता है जिसे कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और अन्य स्मार्ट उपकरणों पर संचालित किया जा सकता है।
- ई-कॉमर्स ने व्यवसायों (विशेष रूप से छोटे व्यवसायों जैसे संकीर्ण पहुंच वाले) को अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए सस्ता और अधिक कुशल वितरण चैनल प्रदान करके व्यापक बाजार तक पहुंच बनाने तथा स्थापित करने में मदद की है।
- ई-कॉमर्स ने लोगों के उत्पादों और सेवाओं की खरीदारी तथा उपभोग के तरीके को बदल दिया है। अधिक लोग सामान ऑर्डर करने के लिए अपने कंप्यूटर और स्मार्ट उपकरणों का सहारा ले रहे हैं जिन्हें आसानी से उनके घरों तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार इसने खुदरा परिदृश्य को अस्त-व्यस्त कर दिया है। अमेजॅन, फ्लिपकार्ट और अलीबाबा जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों ने काफी लोकप्रियता हासिल की है जिससे पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं को अपने व्यापार करने के तरीके में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

ई-कॉमर्स के प्रकारः

- कोई ई-कॉमर्स कंपनी सामान, सेवाओं और संगठन के आधार पर व्यवसाय के अलग-अलग तरीकों से संचालन का विकल्प चुन सकता है।

बिजनेस-टू-कंज्यूमर (बी2सी):

- बी2सी ई-कॉमर्स कंपनियां सीधे अंतिम उपयोगकर्ता को उत्पाद बेचती हैं। किसी मध्यस्थ को सामान वितरित करने के बजाय एक बी2सी कंपनी उपभोक्ता के साथ लेनदेन करती है जो अंततः उस वस्तु का उपयोग करेगा। यह सबसे आम बिजनेस मॉडल है। उदाहरण के लिए अमेजन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट इत्यादि।

बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी):

- बी2सी के समान ही एक ई-कॉमर्स व्यवसाय किसी उपयोगकर्ता को सीधे सामान बेच सकता है। हालाँकि, वह उपयोगकर्ता उपभोक्ता होने के बजाय कोई अन्य कंपनी हो सकती है। B2B लेनदेन में अक्सर बड़ी मात्रा शामिल होती है। उदाहरण के लिए टायर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आमतौर पर विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित करके सीधे ऑटोमोबाइल निर्माताओं को बेचे जाते हैं।

बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (बी2जी):

- कुछ संस्थाएँ सरकारी ठेकेदारों के रूप में सरकारी एजेंसियों को सामान या सेवाएँ प्रदान करने में विशेषज्ञ हैं। B2G ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रस्ताव आवश्यकताओं के लिए सरकारी अनुरोधों को पूरा करना होता है, परियोजनाओं के लिए बोलियां मांगनी होती है और बहुत विशिष्ट उत्पाद या सेवा मानदंडों को पूरा करना होता है।

ई-कॉमर्स के लाभः

- भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजारों में से एक है जो लगातार बढ़ रहा है जिसे हर साल होने वाली संचयी 5%

वृद्धि से देखा जा सकता है। ई-कॉमर्स बाजारों में तीन तरीकों से अर्थव्यवस्था में योगदान करने की अपार क्षमता है: (i) नौकरियों का सृजन (ii) उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार (iii) उपभोक्ता चयन के विकल्प पर जोर देना।

- **सुविधा:** ई-कॉमर्स दिन के 24 घंटे तथा सप्ताह के सातों दिन हो सकता है। विक्रेता के लिए किसी भी समय उत्पाद की बिक्री या अपने स्टोर से दूर रहते हुए भी राजस्व अर्जित करना संभव है।
- **एक ही स्थान पर विकल्पों की उपलब्धता:** कई स्टोर अपने ईंट-और-मोर्टार समकक्षों की तुलना में ऑनलाइन उत्पादों की एक विस्तृतशृंखला पेश करते हैं। कई स्टोर जो पूरी तरह से ऑनलाइन मौजूद हैं, उपभोक्ताओं को विशेष इन्वेंट्री प्रदान कर सकते हैं जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है।
- **कम स्टार्ट-अप लागत:** ई-कॉमर्स कंपनियों को एक गोदाम या विनिर्माण साइट की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उन्हें भौतिक स्टोरफ्रंट की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल रूप से काम करने की लागत अक्सर कम खर्चीली होती है। इसमें किराया, बीमा, भवन रखरखाव और संपत्ति कर आदि के भुगतान से जुड़े खर्च शामिल नहीं हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय बिक्री:** एक ई-कॉमर्स कंपनी सामानों को दुनिया में किसी को भी बेच सकती है जो भौतिक भूगोल तक सीमित नहीं है।
- **ग्राहकों को पुन: लक्षित करना आसान:** जैसे-जैसे ग्राहक डिजिटल स्टोरफ्रंट ब्राउज करते हैं उन्हें विज्ञापनों, निर्देशित विपणन अभियानों या विशेष रूप से किसी उद्देश्य के लिए पॉप-अप की ओर आकर्षित करना आसान होता है।

निर्यात में ई-कॉमर्स की भूमिका:

- वैश्विक बिजनेस टू कंज्यूमर (बी2सी) के साथ ई-कॉमर्स निर्यात 2030 तक 8 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। उच्च-मांग वाले अनुकूलित उत्पादों, विक्रेता आधार का विस्तार और निर्यात की प्रति यूनिट उच्च लाभ मार्जिन में भारत की ताकत इसका लाभ उठाने के लिए प्रमुख स्थिति में है।

निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल:

- हाल के वर्षों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, यूपीआई, एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) आदि ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल इसके विकास में प्रमुख सहायक कारक रही है।
- भारत में एफडीआई नीति के तहत ई-कॉमर्स गतिविधियों पर स्वचालित मार्ग के माध्यम से एफडीआई सीमा 100% निर्धारित की गई है। हालाँकि ई-कॉमर्स स्टार्टअप और संस्थाओं को केवल बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) ई-कॉमर्स में संलग्न होना चाहिए, न कि बिजनेस टू कंज्यूमर (बी2सी) ई-कॉमर्स में।
- वाणिज्य मंत्रालय ने ई-कॉमर्स के माध्यमों से निर्यात को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मासिक कार्यशालाओं का आयोजन किया है। विदेश व्यापार नीति 2023 में ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रमों को नियंत्रित करना और संचालित करना अनिवार्य है।
- ई-कॉमर्स से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अलावा ऑनलाइन माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास के लिए कार्यवाही भी अनिवार्य है।
- भारतीय डाक ने भी हाल ही में कई कदम उठाए हैं जैसे-विदेशी डाकघरों का विस्तार, डाकघरों के माध्यम से वाणिज्यिक निर्यात को सक्षम करने के लिए निर्यात के डाक बिल की शुरूआत, एक प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा का शुभारंभ और देश भर में डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके) की स्थापना।

भारत में ई-कॉमर्स की संभावनाएं:

- ऑनलाइन शॉपिंग के नए सामान्य होने के साथ, भारतीय ई-कॉमर्स के 27 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़कर 2026 तक 163 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है जो समग्र खुदरा बाजार की वृद्धि का लगभग तीन गुना है।
- 2022 में ई-कॉमर्स बाजार का आकार 83 अरब डॉलर आंका गया था। किराने के लिए 2026 तक अधिकांश प्रमुख खुदरा श्रेणियों की बिक्री में ऑनलाइन बिक्री 25 प्रतिशत से अधिक होगी जो आने वाले वर्षों में डिजिटल नेतृत्व के महत्त्व को दर्शाता है।

ई-कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में चुनौतियाँ:

- भारत के ई-कॉमर्स निर्यात का विस्तार बैंकिंग से संबंधित चुनौतियों के कारण बाधित हो रहा है जिसमें वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेनदेन की प्रक्रिया में अनिच्छा और उच्च प्रसंस्करण शुल्क लगाना शामिल है।

आगे की राह:

- ई-कॉमर्स आर्थिक विकास और नवाचार के एक शक्तिशाली चालक के रूप में उभरा है। इंडिया पोस्ट और शिपरॉकेट के इस सहयोग का लक्ष्य व्यापक डाकघर बुनियादी ढांचे का उपयोग करके इसे हासिल करना तथा शिपरॉकेट प्लेटफॉर्म पर अधिक छोटे व्यवसायों को भी भाग लेने में सक्षम बनाना है।
- यह सहयोग दुनिया भर में 200 से अधिक गंतव्यों के लिए तेज, सुरक्षित और अधिक कुशल वैश्विक पार्सल सेवाएं प्रदान करेगा। यह न केवल भारतीय डाक की पहुंच का विस्तार करेगा बल्कि डाक घर निर्यात केंद्रों (डीएनके) के माध्यम से प्रथम-मील लागत और डिलीवरी समय को भी कम करेगा।
- थिंक-टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को 2030 तक ई-कॉमर्स के माध्यम से 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए सरकार को इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अलग नीति अपनानी होंगी। इस क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर करने और 2030 तक ई-कॉमर्स निर्यात में 350 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत है।

1 किसान ऋण पोर्टल और घर-घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री और कृषि मंत्री द्वारा किसान ऋण पोर्टल, घर-घर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) का उद्घाटन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को ऋण प्राप्त करने में मदद करना है।

अभियान की मुख्य विशेषताएं:

- यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान डेटा, ऋण वितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट के दावों तथा योजना उपयोग की प्रगति का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है जो अधिक केंद्रित और कुशल कृषि ऋण के लिए बैंकों के साथ सहज एकीकरण को बढ़ावा देगा।
- सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान रियायती ब्याज दर पर 6,573.50 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित किया है। केसीसी के लाभों को बढ़ाने के लिए घर-घर ऋण अभियान गैर-केसीसी धारकों या लाभार्थियों तक पहुंचेगा।
- यह फसल जोखिम शमन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन के लिए बीमा उद्योग द्वारा चलाए जा रहे गैर-योजना पैरामीट्रिक बीमा कार्यक्रमों के अलावा, मंत्रालय की पैरामीट्रिक फसल बीमा योजना को भी पूरा करता है।

किसान पहल और उनके लाभ:

- **किसान ऋण पोर्टल (KRP):** किसान ऋण पोर्टल (KRP), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा जिससे कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान डेटा, ऋण संवितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट के दावों तथा योजना उपयोग की प्रगति का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है जो अधिक केंद्रित और कुशल कृषि ऋण के लिए बैंकों के साथ सहज एकीकरण को बढ़ावा देगा।
- **घर-घर केसीसी अभियान:** इस अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करके यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को अपनी कृषि गतिविधियों को संचालित करने वाली ऋण सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच प्राप्त हो सके।
- **मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS):** यह पोर्टल बीमा उद्योग द्वारा चलाए जा रहे फसल जोखिम शमन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए गैर-योजना पैरामीट्रिक बीमा कार्यक्रमों के अलावा फसल बीमा योजना में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है?

- किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का शुभारंभ किया गया था।
- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लाभार्थी 300000 रूपये तक का लोन 9% ब्याज पर प्राप्त कर सकते हैं।
- सरकार द्वारा ब्याज पर 2% की सब्सिडी प्रदान की जाती है अर्थात किसान को केवल 7% ब्याज पर लोन प्रदान किया जाता है। यदि किसान समय से लोन चुका देता है तो उसे 3% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है।

आगे की राह:

यह अभियान पोर्टल की कार्यप्रणाली, डेटा व्याख्या और प्रभावी उपयोग की गहन समझ प्रदान करेगा तथा किसानों, नीति निर्माताओं और विभिन्न कृषि संस्थाओं को अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाएगा।

2 कैबिनेट की 4 साल के लिए ई-कोर्ट चरण III को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ चार साल के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट चरण III को मंजूरी दी है। यह योजना 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के दृष्टिकोण के अनुरूप, ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच प्रदान करेगी।

मुख्य विशेषताएं:

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी सक्षमता के लिए ई-कोर्ट परियोजना 2007 से कार्यान्वित है जिसका दूसरा चरण 2023 में समाप्त हुआ।
- भारत में ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण 'एक्सेस एंड इंक्लूजन' पर आधारित है।
- ई-कोर्ट चरण- I तथा चरण- II के लाभों को बढ़ाते हुए चरण-III का उद्देश्य संपूर्ण न्यायालय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की ओर बढ़ते हुए न्याय को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना है।
- यह योजना कानून और न्याय मंत्रालय (भारत सरकार) तथा ई-कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त साझेदारी के तहत संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से न्यायिक विकास के लिए कार्यान्वित की जायेगी।
- यह न्यायिक प्रणाली को अधिक सुलभ, किफायती, विश्वसनीय, पूर्वानुमानित और पारदर्शी बनाने को बढ़ावा देगी।

ई-कोर्ट चरण III का उद्देश्य:

- इसका मुख्य उद्देश्य मामलों को शेड्यूल या प्राथमिकता देते समय न्यायाधीशों और रजिस्ट्रियों के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाने वाले स्मार्ट सिस्टम स्थापित करना।
- यह न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करेगा जो अदालतों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक सहज तथा कागज रहित इंटरफेस होगा।

➤ इसका उद्देश्य सभी अदालत परिसरों को ई-सेवा केंद्रों से जोड़कर ई-फाइलिंग/ई-भुगतान का सार्वभौमिकरण करना है।

ई-कोर्ट चरण III के मुख्य घटक:

➤ इसके मुख्य घटक में पेपरलेस कोर्ट, सिस्टम व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकास, सौर ऊर्जा बैकअप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था, ई फाइलिंग, कनेक्टिविटी, कोर्ट रूम में क्लास, ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR), ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के लिए ई-ऑफिस, अंतर-संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) के साथ एकीकरण करना आदि शामिल है।

योजना के परिणाम:

➤ इसके फलस्वरूप दस्तावेज दाखिल करने में लगने वाले समय और प्रयास की कमी होगी एवं ई-फाइलिंग का विस्तार होगा।

➤ इसके द्वारा स्मार्ट पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा जिससे मशीन लर्निंग (ML), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR) तथा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग होगा।

➤ आभासी अदालतों का विस्तार होने से वादी या वकील की उपस्थिति समाप्त हो जाएगी।

➤ नेशनल सर्विंग एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेज (NSTEP) का विस्तार करके अदालती समन की स्वचालित डिलीवरी पर जोर दिया जायेगा।

आगे की राह:

अदालती प्रक्रियाओं में उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग अधिक कुशल और प्रभावी बनाएगा जिससे लंबित मामलों को कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान मिल सकेगा।

3 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY) की शुरूआत किया है। यह शिल्पकारों को उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी से जोड़ेगी। इस दौरान उन्होंने 'यशोभूमि' नामक 5,400 करोड़ के अत्याधुनिक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन भी किया।

विश्वकर्मा योजना क्या है?

➤ विश्वकर्मा योजना देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।

➤ इसमें बढ़ई, नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाला, कॉयर बुनकर, गुड़िया तथा खिलौना बनाने वाला, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले कारीगरों जैसे 18 पारंपरिक शिल्प को शामिल किया गया है।

प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता:

➤ इसके अंतर्गत प्रशिक्षण के दो प्रकार जिसमें 'बुनियादी प्रशिक्षण और उन्नत प्रशिक्षण' शामिल होंगे।

➤ इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिन 500 रुपए की आर्थिक सहायता, साथ ही औद्योगिक उपकरण खरीदने के लिए 15 हजार रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

➤ इस योजना के तहत पहले वर्ष में पाँच लाख परिवारों को लाभ मिलेगा और पाँच वर्षों में कुल 30 लाख परिवारों को इस योजना से लाभ मिलने का अनुमान है।

लाभार्थी की योग्यता:

➤ इस योजना का लाभ पाने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए तथा योजना में शामिल 18 ट्रेड में से किसी एक से जुड़ा हो।

➤ उम्र 18 वर्ष से अधिक और 50 साल से कम हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आगे की राह:

यह योजना भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, कुशल कारीगरों को सशक्त बनाने और पीढ़ियों से चली आ रही शिल्प कौशल की समृद्ध परंपरा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।

4 रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा 45,000 करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग 45,000 करोड़ रुपये के नौ खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें 12 Su-30 MKI लड़ाकू जेट के साथ-साथ ध्रुव अस्त्र हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और डोर्नियर विमान का उन्नत संस्करण शामिल है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) क्या है?

- सैन्य सामान के खरीद पर निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने 2001 में एक एकीकृत रूप से डीएसी की स्थापना का निर्णय लिया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य बजटीय संसाधनों का उपयोग करके निर्धारित समय सीमा के अन्दर सशस्त्र बलों द्वारा अनुमोदित आवश्यकताओं की शीघ्र खरीद सुनिश्चित करना है।
- रक्षा अधिग्रहण परिषद सभी अधिग्रहणों को मंजूरी देता है जिसमें आयातित और स्वदेशी या विदेशी लाइसेंस के तहत उत्पादित वस्तु दोनों शामिल होते हैं।

परियोजना से सम्बंधित मुख्य बातें:

- भारतीय वायु सेना के लिए 12 Su-30MKI का निर्माण भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
- यह भारतीय हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। विमान में आवश्यकता के अनुसार 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल होगी।
- परिषद ने सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दी है जिससे हाइड्रोग्राफिक संचालन करने में इसकी क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी।
- यह सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से खरीदे जायेंगे जो भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित (IDMM) श्रेणी के तहत होगी। यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा देगी।
- आईडीडीएम परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री की सीमा के बजाय न्यूनतम 60-65 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखना चाहिए।
- सुरक्षा, गतिशीलता, हमले की क्षमता और मशीनीकृत बलों की उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए डीएसी ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहन (LAMV) तथा एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली (ISAT-S) की खरीद को मंजूरी दी है।

12 सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान के बारे में:

- इस विमान को भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित किया जाता है। यह 50 फीसदी स्वदेशी निर्मित विमान है।
- यह एक मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एकसाथ युद्ध लड़ सकता है।
- इस विमान की लंबाई 72 फीट, विंगस्पैन 48.3 फीट, ऊंचाई 20.10 फीट तथा इसका वजन 18,400 KG है।
- यह फाइटर जेट अधिकतम 2120 किमी प्रतिघंटा की गति से 57 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है।

आगे की राह:

भारतीय वायु सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित एएलएच एमके-IV हेलीकॉप्टरों के लिए ध्रुव अस्त्र शॉर्ट रेंज एयर-टू-सरफेस मिसाइल की खरीद को मंजूरी देना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे भारतीय सेना को विभिन्न प्रकार से मजबूती मिलेगी।

5 डाकघर विधेयक 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में नया डाकघर विधेयक 2023 पेश किया गया। यह डाकघरों की बदलती भूमिका के मद्देनजर भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करेगा। यह विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक माध्यम बनेगा, जबकि 1898 के अधिनियम ने केवल मेल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया था।

डाकघर विधेयक 2023 के बारे में:

- यह विधेयक डाक विभाग को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा तथा अपनी सेवाओं की कीमतें तय करने में अपेक्षित लचीलापन प्रदान करेगा। यह बाजार की मांगों पर तुरंत प्रतिक्रिया के साथ ही नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे पर आधारित होगा।
- यह विधेयक किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में किसी भी वस्तु को रोकने, हिरासत में लेने या सीमा शुल्क प्राधिकरण को सौंपने की शक्ति प्रदान करता है।
- यह विधेयक किसी डाक अधिकारी को घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से प्राप्त किसी वस्तु को सीमा शुल्क या किसी संबंधित प्राधिकारी को वितरित करने का अधिकार देगा।

Budgetary support to the Department of Posts

Year	Budgetary Support (Rs crore)
2019-20	15,544
2020-21	18,593
2021-22	19,746
2022-23 (Revised Estimate)	23,656
2023-24 (Budget Estimate)	25,814

Source: Union Budget Documents of various years; PRS.

डाकघर विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधान:

- यह विधेयक डाक सेवाओं से संबंधित आवश्यक नियम बनाने और बाजार की गतिशीलता के आधार पर डाक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देता है जिससे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- इस विधयेक के अंतर्गत डाक अधिकारियों को आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए सीमा शुल्क विभाग को संदिग्ध पार्सल, अवैतनिक शुल्क या अवैध सामग्री की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
- डाकघर विधेयक 2023 डाकघर को डाक टिकट जारी करने का

विशेषाधिकार देता है। यह डाक टिकटों एवं स्टेशनरी की आपूर्ति तथा बिक्री से संबंधित नियमों की रूपरेखा तैयार करेगा।

- यह विधेयक मेल और पार्सल में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा जिसमें ड्रोन डिलीवरी का प्रयोग की संभावना भी शामिल है।
- यह विधेयक नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के लिए डाकघर को एक नेटवर्क में विकसित करने की सुविधा प्रदान करेगा।

भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को क्यों प्रतिस्थापित किया गया?

- भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 डाकघर के कामकाज को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1898 में अधिनियमित किया गया था जो मुख्य रूप से डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली मेल सेवाओं से संबंधित था।
- वर्तमान में डाकघर के माध्यम से सेवाओं में विविधता आ रही है और डाकघर नेटवर्क विभिन्न प्रकार की नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी का माध्यम बन रहे हैं। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ डाक विभाग ने बैंकिंग सेवाओं की भी शुरुआत किया है जिससे नये कानून की आवश्कता थी।

आगे की राह:

नए विधेयक में शामिल प्रावधान डाक पार्सल के माध्यम से दवाओं और अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी तथा गैरकानूनी संचरण की संभावनाओं को रोकेगा। कूरियर फर्मों के लिए एक समान कानून नहीं है। कूरियर/एक्सप्रेस/पार्सल (CEP) उद्योग में भारतीय डाक की बाजार में हिस्सेदारी 15% से कम है। इसलिए डाक प्रसारण के दौरान किसी भी वस्तु को खोलने या रोकने का प्रावधान शामिल किया जायेगा।

6 कलैगनार मगलिर उरीमाई थिट्टम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के संस्थापक सी.एन. अन्नादुरई की जयंती के उपलक्ष्य में परिवार की महिला मुखियाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना 'कलैगनार मगलिर उरीमाई थिट्टम' शुरू की है।

योजना से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- इस योजना के अंतर्गत 1.63 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे और सत्यापन के बाद, योग्यता मानदंडों के आधार पर 1.06 करोड़ परिवार की पात्र महिला मुखियाओं का चुनाव किया गया जिसे 1,000 रुपये का मासिक अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- इसमें सरकार मासिक राशि सीधे परिवारों की महिला मुखियाओं के बैंक खातों में जमा करेगी और चरणबद्ध तरीके से सरकार द्वारा एटीएम कार्ड वितरित किए जाएंगे।
- इस योजना के लिए वार्षिक 12,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी जो सरकार द्वारा किसी सामाजिक कल्याण योजना के लिए सबसे अधिक धनराशि है।
- इस योजना में उन क्षेत्रों में सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जहां योजना शुरू की गई है ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जिनके आवेदन खारिज कर दिए गए ताकि अस्वीकृति के पीछे का कारण बताया जा सके।

योजना की पात्रता:

- इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 15 सितंबर 2002 से पहले जन्मी महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तथा परिवार प्रति वर्ष 3600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च न करता हो।
- इसके लिए फैमिली कार्ड रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, एक कार्ड पर एक ही लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा।
- यदि किसी परिवार में कोई अविवाहित महिला, विधवा या फिर ट्रांसजेंडर मुखिया है तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा अर्थात वे भी योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
- लाभार्थी के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक आर्द्र भूमि या 10 एकड़ से अधिक ड्राई लैंड नहीं होनी चाहिए।

सी.एन. अन्नादुरई के बारे में:

- कांजीवरम नटराजन अन्नादुरई जिन्हें 'अन्ना' के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने मद्रास के पांचवें और अंतिम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने ही 14 जनवरी 1969 को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया था।
- ये द्रविड़ पार्टियों के पहले राजनेता थे जिन्होंने राजनीतिक प्रचार के लिए तमिल सिनेमा का व्यापक रूप से उपयोग किया।

आगे की राह:

इस योजना को लैंगिक समानता की दिशा में सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जिसका उद्घाटन सी.एन. अन्नादुराई की 115वीं जयंती पर उनके जन्मस्थान कांचीपुरम के पचौयप्पन कॉलेज में शुरू किया गया।

7 सांसदों तथा विधायकों को रिश्वत के आरोपों से छूट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है कि क्या आपराधिक अदालत में भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए विधायकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है? यह बड़ी पीठ इस बात का आकलन करेगी कि क्या अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत कानून निर्माताओं को प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपाय उन्हें कथित रिश्वतखोरी में शामिल होने के लिए कानूनी रूप से मुकदमा चलाने से सुरक्षा प्रदान करते हैं?

संसदीय विशेषाधिकार:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105(2) संसद सदस्यों (सांसदों)

को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है जो उन्हें अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय अपने आचरण और अभिव्यक्ति के लिए किसी भी अदालत में कानूनी कार्यवाही का सामना करने से बचाता है।

- इसके अनुरूप अनुच्छेद 194(2) विधान सभा के सदस्यों (विधायकों) को राज्य विधायी मामलों में उनकी भागीदारी के संबंध में एक समान ढाल प्रदान करता है।
- ये प्रावधान गारंटी देते हैं कि सांसदों और विधायकों को संसदीय या राज्य विधायिका सत्रों के साथ-साथ अपने विधायी कर्त्तव्यों के हिस्से के रूप में शामिल होने वाली किसी भी समिति में अपने भाषण या मतदान कार्यों के लिए अभियोजन या कानूनी जवाबदेही से छूट प्राप्त है।

Justice Sanjay Kumar | Justice PS Narasimha | Justice AS Bopanna | CJI DY Chandrachud | Justice M M Sundresh | Justice JB Pardiwala | Justice Manoj Misra

विधायी प्रतिरक्षा का महत्त्व:

- **निडर निर्णय लेना:** विधायी प्रतिरक्षा कानून निर्माताओं को कानूनी कार्यवाहियों से बचाती है, अनुचित उत्पीड़न या धमकी को रोकती है, उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने और घटकों के हितों की सेवा करने में सक्षम बनाती है।
- **प्रभावी शासन को बढ़ावा देना:** विधायकों को आधारहीन कानूनी खतरों से मुक्ति उन्हें प्रभावी शासन को बढ़ाने, कानून बनाने, प्रतिनिधित्व और सरकारी निरीक्षण जैसे आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है।
- **स्वतंत्र और ईमानदार चर्चा:** विधायी प्रतिरक्षा विधायी प्रक्रियाओं में स्वतंत्र भाषण को संरक्षित करती है जिससे कानून निर्माताओं को खुले तौर पर विचारों को साझा करने, मजबूत बहस में शामिल होने और कानूनी परिणामों या सेंसरशिप के बिना असहमति की पेशकश करने, सूचित नीति विकास तथा समावेशी परिप्रेक्ष्य विचार को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया जाता है।
- **शक्तियों के पृथक्करण का संरक्षण:** विधायी प्रतिरक्षा शक्तियों के पृथक्करण की सुरक्षा करती है, कार्यकारी या न्यायिक शाखाओं को विधायी शाखा को प्रभावित करने या हस्तक्षेप करने से रोकती है, लोकतांत्रिक जाँच और संतुलन को बनाए रखती है।
- **लोकतंत्र को बढ़ावा देना:** कानून निर्माताओं को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने और बिना किसी डर के विधायी प्रक्रियाओं में शामिल होने की अनुमति देकर, विधायी प्रतिरक्षा एक स्वस्थ तथा जीवंत लोकतंत्र में योगदान करती है जहां विविध दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है।

चुनौतियां:

- **संभावित दुरुपयोग:** एक उल्लेखनीय चिंता तब उभरती है जब कानून निर्माता आपराधिक आरोपों या असंबंधित जांच जैसी वैध कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अपनी प्रतिरक्षा का दुरुपयोग करते हैं।
- **विश्वास का ह्रास:** जब विधायी प्रतिरक्षा को कानूनी जवाबदेही से भागने के रूप में देखा जाता है, तो यह राजनीति में जनता के विश्वास को कमजोर करता है।
- **विलंबित न्याय:** विधायकों की कानूनी कार्यवाही की विस्तारित अवधि न्याय में देरी कर सकती है जिससे सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिमान्य उपचार की धारणा को बढ़ावा मिलता है।
- **भ्रष्टाचार के जोखिम:** विधायी प्रतिरक्षा का दुरुपयोग भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण को बढ़ावा दे सकता है, सरकारी अखंडता को कमजोर कर सकता है और दंडमुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है।
- **जवाबदेह क्षति:** अत्यधिक या दुरुपयोग की गई विधायी प्रतिरक्षा विधायकों की अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेही में बाधा डाल सकती है। यदि कानून निर्माता मानते हैं कि वे कानूनी परिणामों से प्रतिरक्षित हैं, तो वे सार्वजनिक चिंताओं के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं और अपने कार्यों के लिए कम जवाबदेह हो सकते हैं।

आगे की राह:

- **बाहरी जवाबदेही निकाय:** विधायिका के भीतर हितों के संभावित टकराव को कम करने के लिए विधायकों से जुड़े मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के अधिकार के साथ बाहरी निगरानी संस्थाएं बनाएं।
- **नैतिक निरीक्षण पैनल:** विधायकों द्वारा नैतिक उल्लंघनों की जांच और समाधान करने के लिए विधायी निकायों के भीतर नैतिक समितियों की स्थापना या सुदृढ़ीकरण, पारदर्शी तथा स्वतंत्र रूप से संचालन करना।
- **नियमित मूल्यांकन:** विधायी प्रतिरक्षा कानूनों का समय-समय पर मूल्यांकन करना, उभरती चुनौतियों और सामाजिक अपेक्षाओं को संबोधित करने के लिए उन्हें अपनाना।
- **वैश्विक मानकों की तुलना:** अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के खिलाफ बेंचमार्क विधायी प्रतिरक्षा तथा वैश्विक शासन मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करना।
- **नागरिक समाज सतर्कता:** नागरिक समाज संगठनों और निगरानीकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से विधायी कार्यों की निगरानी करने, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाना।
- **त्वरित कानूनी प्रक्रियाएं:** विधायकों से जुड़े कानूनी मामलों को शीघ्रता से निपटाने, त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और पक्षपात की धारणाओं को दूर करने के उपायों को लागू करें।
- वर्तमान संदर्भ में इसके दुरुपयोग को रोकने और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संसदीय विशेषाधिकार के लिए नियम स्थापित करना अनिवार्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

1 भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) की घोषणा की। इस मेगाप्रोजेक्ट को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

आर्थिक गलियारा से सम्बंधित मुख्य बातें:

- यह पश्चिम एशिया में वैश्विक व्यापार को बढ़ाएगा और वस्तु परिवहन के केंद्र के रूप में इजराइल की स्थिति में भी सुधार करेगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के केंद्र के रूप में कार्य करेगा जो बुनियादी ढांचे को एशिया से यूरोप तक जोड़ेगा।
- इस गलियारे के अंतर्गत भारत के पश्चिमी तट पर जिन बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा उनमें मुंद्रा, कांडला (गुजरात) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (नवी मुंबई) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मध्य पूर्व के पांच बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाहों से जोड़ने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में फुजैराह, जेबेल अली और अबू धाबी के साथ-साथ सऊदी अरब में दम्मम तथा रास-अल-खैर बंदरगाह शामिल हैं।
- इसमें सरकारी स्वामित्व वाले बंदरगाहों के साथ-साथ भारत में मुंद्रा बंदरगाह और इजराइल के हाइफा बंदरगाह को भी शामिल किया गया है जो निजी तौर पर अदानी समूह द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं।
- इसके अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में पांच बंदरगाहों से इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक रेल मार्ग कनेक्टिविटी लिंक को जोड़ने के लिए पहले से मौजूद ब्राउनफील्ड एवं ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को सम्मिलित किया जायेगा।
- यह परियोजना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (PGII) के लिए साझेदारी का हिस्सा है जो यूरेशियन क्षेत्र में चीन के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के रूप में भी काम कर सकती है।

वैश्विक अवसंरचना और निवेश (PGII) क्या है?

- यह छोटे और मध्यम आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मूल्य-संचालित, उच्च-प्रभाव और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी है।
- इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार और सहयोग को बढ़ाने के लिए सड़कों, बंदरगाहों, पुलों, संचार सेटअप आदि जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देशों को सुरक्षित वित्त पोषण में मदद करना है।
- जर्मनी में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में मदद करने के लिए पीजीआईआई को आधिकारिक तौर पर एक संयुक्त पहल के रूप में लॉन्च किया गया था।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे का महत्त्व:

- यह परियोजना भारत से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल तथा यूरोप तक वस्तु और सेवाओं के परिवहन को सक्षम करेगा, गलियारा दक्षता बढ़ाएगा, लागत कम करेगा, आर्थिक एकता बढ़ाएगा, नौकरियां पैदा करेगा और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करेगा जिससे एशिया, यूरोप एवं मध्य पूर्व में एकीकरण स्थापित होगा।

आगे की राह:

इससे भारत की रणनीतिक स्थिति एवं वैश्विक भू-राजनीति मजबूत होगी व परिवहन लागत कम होगा जिससे भारतीय व्यवसायों और निर्यात को लाभ होगा तथा पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

2 अजरबैजान सेना का आतंक विरोधी अभियान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अजरबैजान ने नागोर्नो कारबाख क्षेत्र में आर्मेनिया सेना के विरुद्ध आतंकवादी अभियान शुरू किया है।

हालिया संघर्ष के प्रमुख कारण:

- अजरबैजान का कहना है कि नागोर्नो कारबाख क्षेत्र में एक बारुदी सुरंग विस्फोट से उसके चार पुलिस अधिकारी सहित दो आम नागरिक की मौत के विरुद्ध यह अभियान है।
- इस अभियान के दौरान आर्मेनिया की राजधानी के आसपास के क्षेत्र पर भारी गोलीबारी से दो आम नागरिक मारे गए और कई लोग घायल हुए।
- आर्मेनिया ने इसी महीने अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास किया था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बनाने वाले रोम कन्वेंशन की पुष्टि करके रूस को एक कड़ा संदेश दिया है।
- यह शत्रुता आर्मेनिया और उसके लंबे समय से सहयोगी रूस के बीच उच्च तनाव के बीच का परिणाम माना जा रहा है।

- वर्ष 2020 के अंत में 2000 रूसी शांति सेना संघर्ष विराम की निगरानी कर रही थी लेकिन यूक्रेन संघर्ष से मास्को को पूरी शक्ति यूक्रेन पर केन्द्रित करनी पड़ी।
- पिछले कुछ महीनों से अजरबैजान ने आर्मेनिया के एकमात्र प्रवेश मार्ग पर प्रतिबंध लगा रखा है। आर्मेनिया ने इसको लेकर बार-बार शिकायत भी की लेकिन रूस की 2000 शांति सेना इस सड़क मार्ग खुला रखने में इच्छुक नहीं थी।

विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत वर्ष 1918 में तब हुई जब दोनों रुसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए।
- सोवियत शासन के दौरान दोनों देशों के बीच नागोर्नो कारबाख स्वायत क्षेत्र घोषित किया गया था।
- वर्ष 1988 में नागोर्नो कारबाख की विधायिका ने आर्मेनिया में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह करवाया जिसे अजरबैजान ने आज अस्वीकार कर दिया।
- वर्ष 2016 में इस क्षेत्र में हिंसक संघर्ष हुआ जिसे 'फोर डे वार' के रूप में जाना जाता है।
- वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच पुनः संघर्ष शुरू हुआ जो 6 सप्ताह तक चला एवं यह 1990 के दशक के बाद से सबसे तेज घातक संघर्ष था।

आगे की राह:

अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को इस बात की आशंका है कि दोनों देशों के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध फिर से न शुरू हो जाएं जैसा 2020 में हुआ था। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाये रखने के लिए विश्व समुदाय को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

3 जहाजों की न्यायिक बिक्री के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन, सऊदी अरब, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड सहित 15 देशों ने जहाजों की न्यायिक बिक्री के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जहाजों की 'न्यायिक' बिक्री के प्रभावों के लिए एक समान व्यवस्था स्थापित करके वैश्विक स्तर पर कानूनी पूर्वानुमान और निश्चितता बढ़ाने के लिए किया गया है।

बीजिंग कन्वेंशन के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, जहाजों की न्यायिक बिक्री पर बीजिंग कन्वेंशन को 5 सितंबर को बीजिंग में एक समारोह में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग द्वारा वास्तविक नए मालिकों और जहाजों की खरीद का वित्तपोषण करने वालों की समस्या का समाधान करने के लिए विकसित किया गया था।

कन्वेंशन कैसे काम करता है?

- यह कन्वेंशन न्यायिक बिक्री की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले घरेलू कानून और उन परिस्थितियों को संरक्षित करते हुए न्यायिक बिक्री को अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण शासन स्थापित करता है जिसमें न्यायिक बिक्री स्वच्छ शीर्षक प्रदान करती है।
- इसका उद्देश्य उस कीमत को अधिकतम करना है जो जहाज बाजार में आकर्षित करने में सक्षम है, लेनदारों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध आय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेविगेट करते समय खरीददार द्वारा जहाज में प्राप्त किए गए शीर्षक के लिए कानूनी निश्चितता सुनिश्चित करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है।

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) इन नोटिसों और न्यायिक बिक्री के प्रमाणपत्रों के लिए भंडार के रूप में कार्य करेगा। जहाजों की लंबित और पूर्ण न्यायिक बिक्री की जानकारी आईएमओ के

ग्लोबल इंटीग्रेटेड शिपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

सम्मेलन के प्रमुख प्रावधानः

- कन्वेंशन का मूल नियम यह है कि एक देश पक्ष में की गई न्यायिक बिक्री (जिसका क्रेता पर स्वच्छ स्वामित्व प्रदान करने का प्रभाव होता है) का हर दूसरे राज्य पक्ष पर समान प्रभाव हो। यह केवल सार्वजनिक नीति अपवाद (अनुच्छेद 10) के अधीन है।
- कन्वेंशन के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि यह अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के तीसरे साधन को जमा करने की तारीख के 180 दिन बाद लागू होगा।
- कन्वेंशन शासन अतिरिक्त नियम निर्धारित करता है जो यह स्थापित करता है कि न्यायिक बिक्री पूरी होने के बाद कैसे प्रभावी होती है?

आगे की राहः

ऐसा माना जाता है कि विश्व स्तर पर व्यापार किए जाने वाले सभी उत्पादों का 90% से अधिक का परिवहन समुद्र के द्वारा किया जाता है जिससे समुद्री परिवहन विश्वव्यापी व्यापार में एक प्रमुख शक्ति बन जाता है। इसके कारण जहाज एक आवश्यक संसाधन है जो वैश्विक व्यापार के विकास के लिए आवश्यक है। हालाँकि वैश्विक सामंजस्य की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग से संबंधित कानूनी मुद्दे अक्सर मौजूद रहते हैं। यह सम्मेलन इस पहलू को संबोधित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

4 अमेरिका तथा चीन के बीच नये शीत युद्ध जैसी स्थिति

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी नौसेना 1950 के बाद से अपने शीर्ष गुप्त समुद्री निगरानी नेटवर्क में सबसे बड़ा बदलाव कर रही है क्योंकि चीन की नौसैनिक शक्ति में लगातार वृद्धि से पूरे प्रशांत क्षेत्र में दबाव बढ़ रहा है। यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का कारण है।

घटनाक्रम की स्थितिः

- सिएटल से 50 मील उत्तर व्हिडबे दीप जासूसी स्टेशन का नाम बदलकर अंडर सी सर्विलांस कमान कर दिया गया है जो अमेरिकी सैन्य परियोजना में बदलाव की ओर इशारा करता है।
- इस जासूसी स्टेशन को 1950 के दशक में सोवियत रूस के खिलाफ जासूसी करने के लिए स्थापित किया गया था जिसका 1985 में नाम बदलकर इंटीग्रेटेड अंडर सी सर्विलांस सिस्टम (IUSS) किया गया था।
- यद्यपि वर्तमान समय में दो ही समुद्री निगरानी स्थल बचे हैं। पहला वॉशिंगटन राज्य के नेवल एयर स्टेशन व्हिडबे दीप और दूसरा वर्जीनिया के डेम नेक में नौसैनिक स्टेशन।

अमेरिका-चीन की नौसैनिक समुद्री निगरानी नेटवर्क प्रतियोगिताः

- प्रशांत क्षेत्र के क्वॉड गठबंधन की बैठक में जापान, भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया समुद्र के नीचे हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल केबल की सुरक्षा के निर्माण हेतु साझेदारी व समान तकनीकी बेचने के लिए सहमत हुए हैं।
- चीन भी अपने स्वयं के समुद्री जासूसी कार्यक्रम पर काम कर रहा है जिसे ग्रेट अंडरवाटर वॉल के रूप में जाना जाता है।
- इंडो पेसिफिक क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी ताइवान के प्रति बीजिंग की बढ़ती आक्रमकता व दक्षिणी चीन सागर में उकसाने वाली नीतियों से प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।
- इसी वर्ष फरवरी में समुद्र के नीचे दो इंटरनेट केबल कट जाने से इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से थप पड़ गई थी जिसमें चीन की भूमिका पर अप्रत्यक्ष संदेह को स्पष्ट करता है।
- पेंटागन की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ी नौसेना है जिसमें चीन अधिक उन्नत परमाणु संचालित पनडुब्बियों को शामिल कर रहा है।

आगे की राहः

शीत युद्ध के दौरान बने वैश्विक नेटवर्क समुद्री निगरानी अभियान अमेरिका के लिए एक स्वर्णिम अवसर था जिसे अब इंडो पेसिफिक क्षेत्र में अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ पुनर्जीवित करके मजबूत बना रहा है।

5 फाइव आइज ग्रुप

चर्चा में क्यों?

कनाडा ने अमेरिकी राजनयिक से फाइव आइज ग्रुप के बीच साझा खुफिया जानकारी की पुष्टि की। कनाडा के प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका के संबंध में आरोप लगाए।

फाइव आई ग्रुप के बारे में:

- फाइव आईज एक रणनीतिक खुफिया जानकारी साझा करने वाला गठबंधन है। इसमें पांच 'संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड' अंग्रेजी भाषी देश शामिल हैं।
- फाइव आइज समूह का एक मुख्य उद्देश्य बड़ी मात्रा में साझा खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT) संचालन डेटा में सहयोग करना है।
- 2016 में फाइव आई इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल अस्तित्व में आई। फाइव आइज पार्टनर गहरे स्तर का विश्वास साझा करता है जिसने जानकारी साझा करने, आपसी सम्मान और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश स्थापित किए हैं। इसके अलावा सदस्य देश अन्य खुफिया क्षेत्रों में भी सहयोग करते हैं जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस (HUMINT), इमेजरी इंटेलिजेंस (IMINT) और जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस (GEOINT)।
- यह बहुआयामी दृष्टिकोण उन्हें एक व्यापक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है।

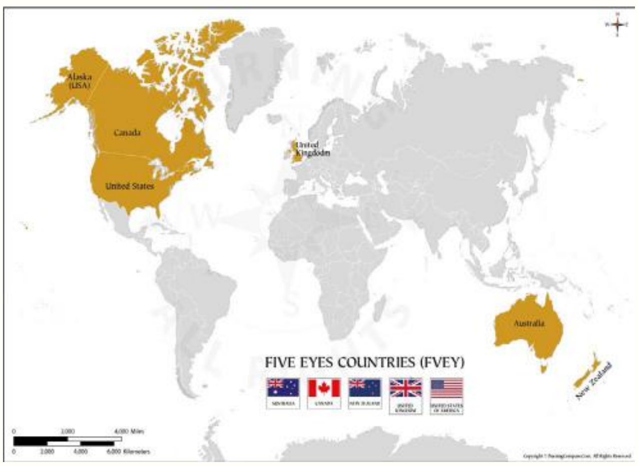

गठबंधन की उत्पत्ति:

- इस गठबंधन की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध से मानी जाती है जब ब्रिटेन और अमेरिका ने जर्मन तथा जापानी कोड को सफलतापूर्वक तोड़ने हेतु खुफिया जानकारी साझा करने का फैसला किया।
- इसकी शुरुआत ब्रिटेन-यूएसए (ब्रूसा) समझौते के रूप में हुई जो बाद में यूके-यूएसए (यूकेयूएसए) समझौते में विकसित हुआ जिसमें 1949 में कनाडा और 1956 में न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए।

वर्तमान स्थिति:

- हाल के वर्षों में चीन के उत्थान को संतुलित करने जैसे सामान्य हितों ने फाइव आईज देशों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। कुछ लोगों ने उनकी निकटता का कारण एक समान भाषा और आपसी विश्वास को बताया है। बावजूद इसके 2021 से न्यूजीलैंड हांगकांग में चीनी कार्यों और शिनजियांग क्षेत्र में उइघुर अल्पसंख्यकों के साथ उसके व्यवहार की निंदा करने में अनिच्छुक रहा है। इसकी एक बड़ी वजह चीन के साथ गहरे व्यापारिक रिश्ते हैं।

आगे की राह:

किसी भी मामले को कूटनीतिक तरीके से और आपसी साझा खुफिया जानकारी तथा सबूतों के आधार पर हल किया जाना चाहिए। किसी भी देश पर बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है।

6 इंडिया-यूएन ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इस पहल की घोषणा न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की उपस्थिति में ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट नामक एक विशेष कार्यक्रम के दौरान हुई जो क्षमता-निर्माण पहल साझेदार देशों के साथ व्यापक सहयोग पर आधारित एक मंच है।

भारत और संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल:

- भारत और संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक-दक्षिण में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य व्यापक-क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के माध्यम से वैश्विक-दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास संबंधी सफल प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करना है।
- भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल भागीदार देशों के साथ विकास और क्षमता निर्माण के मौजूदा व्यापक सहयोग पर आधारित है। यह इंडिया संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष के माध्यम से भारत-संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी का भी पूरक है जिसने पिछले 6 वर्षों में 61 देशों की 75 विकास परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है।
- इसके अलावा यह पहल 'यूएन इंडिया टीम' और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच सहयोग का गवाह बनी जो भारत के

तकनीकी और आर्थिक सहयोग मंच का लाभ उठाते हुए दुनिया भर में अपनी अंतर्दृष्टि तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करेगी।

- इस आशय के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वक और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के बीच इरादे की एक संयुक्त घोषणा को औपचारिक रूप दिया गया है।
- विशेष रूप से यह पहल भारत के जी-20 प्रेसिडेंट के अध्यक्ष के विकास केंद्रित उद्देश्यों को क्रियान्वित करेगी जिसमें सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने और तकनीकी परिवर्तन में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की जी-20 कार्य योजना शामिल है।

आगे की राह:

यह ग्लोबल साउथ के साथ अपनी विकासात्मक साझेदारी को मजबूत करने की जी-20 प्रेसिडेंसी की सफलताओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करने की दिशा में अग्रेषित है। इसने जी-20 के भीतर ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता से उठाया और इस प्रभावशाली समूह में अफ्रीकी संघ का भी स्वागत किया गया है।

7 नेपाल के प्रधानमंत्री की बीजिंग यात्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बीजिंग की सात दिवसीय यात्रा पर गए जिसमें उन्होंने चीन के साथ 12 सूत्रीय समझौता पर हस्ताक्षर किए। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री बनने वाले पुष्प कमल दहल प्रचंड ने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली चीन समर्थक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीतिक रूप से दूरी बनाने के बाद भारत, अमेरिका तथा चीन की यात्रा की।

इस समझौते के प्रमुख बिंदु:

- चीन के सुधार आयोग व नेपाल के राष्ट्रीय आयोग के बीच समझौते हुए।
- चीनी आयोग और नेपाल के वानिकी तथा पर्यावरण मंत्रालय के बीच कम कार्बन विकास के सहयोग पर ज्ञापन समझौता हुआ।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग को बढ़ाना।
- कृषि, पशुधन और मत्स्य विभाग पर सहयोग को बढ़ावा देना।
- वर्ष 1981 में व्यापार और भुगतान समझौता की समीक्षा करना।
- नेपाल में चीनी चिकित्सा के लिए फोटोसैनेटनी आवश्यकता ज्ञापन पर समझौता हुआ।
- शास्त्रीय ग्रंथो का अनुवाद और उसके प्रकाशन पर समझौता किया गया।
- नेपाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के लिए उत्पादन जीवित सामग्री पर समझौता ज्ञापन हुआ।
- शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच नवाचार के क्षेत्र में बढ़ावा देना।
- हिलसा सिमकोट सड़क के निर्माण पर दोनों देशों के बीच समझौता होना।
- चिमिल केरुगं पावर ग्रिड प्रोजेक्ट के बीच समझौता हुआ।
- बुनियादी ढांचे सड़क रेलवे एविएशन टेलीकम्युनिकेशन बिजली से जुड़े नेटवर्क को मजबूत करने पर ज्ञापन समझौता हुआ।

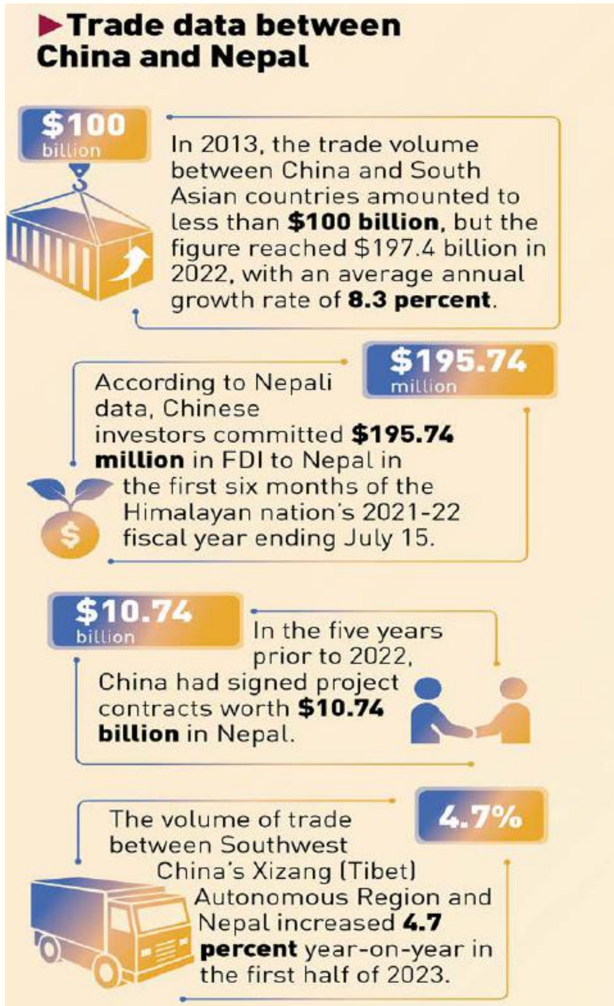

आगे की राह:

नेपाल पहले ही चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होकर भारत की असहजता को बढ़ा दिया था, जबकि इन समझौते के परिणामस्वरूप नेपाल की राजनीति में चीन का दखल ओर बढ़ जाएगा। इससे भारत के महत्त्व को कम आंका जाएगा, साथ ही भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन व सत्ता के शासन तंत्र में कम्युनिस्टों की भागीदारी से चीन की तरफ झुकाव बढ़ा है। दूसरी तरफ 2015 में हुए भारत के द्वारा आर्थिक नाकेबंदी से संबंध अपने सबसे निचले स्तर के दौर में चले गए थे। भारत को अपने पड़ोसी देश नेपाल के संदर्भ में विदेशी नीति को फिर से नए सिरे से सोचने की जरूरत है जिससे नेपाल व भारत के रिश्तों को नई ऊंचाईयों पर ले जाया जा सके।

पर्यावरणीय मुद्दे

1 दुनिया को 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए सालाना 2.7 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत- रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कंसल्टेंसी वुड मैकेंजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने और इस सदी में तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने से रोकने के लिए प्रति वर्ष 2.7 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक निवेश की आवश्यकता है।

रिपोर्ट से सम्बंधित मुख्य बातें:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए दुनिया को इस सदी में वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की आवश्यकता है तथा सदी के मध्य तक उत्सर्जन को शून्य तक कम करने को कहा गया है।
- रिपोर्ट में पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिक बिजली आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- वर्तमान समय में ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए प्रति वर्ष $1.9 ट्रिलियन खर्च किया जाता है, परन्तु ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए इस खर्च को $2.7 ट्रिलियन प्रति वर्ष करना होगा।
- परिवहन के विद्युतीकरण और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए पवन तथा सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को दुनिया की बिजली आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनने की जरूरत है।

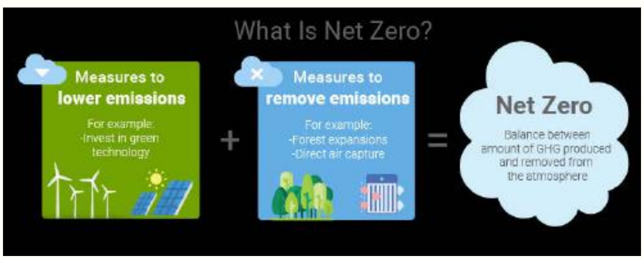

शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य क्या है?

- यह मुख्य रूप से कार्बन तटस्थता है जिसका तात्पर्य है कि किसी निश्चित समय में किसी देश का कुल कार्बन उत्सर्जन शून्य होना चाहिए।
- नेट जीरो से तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन में शून्य कार्बन कटौती करना है। उदाहरण के लिए किसी भी शेष उत्सर्जन को महासागरों और जंगलों द्वारा वायुमंडल से पुनः अवशोषित कर लिया जाता है।
- यदि कोई देश प्रत्येक वर्ष एक निश्चित मात्रा में कार्बन उत्सर्जित करता है, तो उसे वन अवशोषण या कार्बन कैप्चरिंग या कार्बन क्रेडिट खरीदकर इसकी भरपाई करनी होगी।
- भूटान और सूरीनाम दुनिया के ऐसे दो देश हैं जिनका हरित आवरण तथा बहुत कम आबादी के कारण शुद्ध उत्सर्जन कार्बन अवशोषण क्षमता से कम है।

भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य:

- भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक पूर्ण करने का रखा है।
- भारत का मानना है कि इससे विकासशील देशों में आर्थिक विकास प्रभावित होता है जिसकी भरपाई विकसित देशों को करना चाहिए।
- भारत का आरोप है कि विकासशील देशों को अमीर देशों द्वारा किये गये अधिक उत्सर्जन का बोझ वहन करना पड़ता है जो जलवायु संकट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। नेट जीरो में प्रत्येक देश की ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की समान जिम्मेदारी है जो कि न्यायसंगत नहीं है।

आगे की राह:

शून्य कार्बन विकल्प विकसित होने पर आपूर्ति को फिर से विकसित करने पर जोर देना है क्योंकि हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर मौजूदा उत्सर्जन कटौती को कम नहीं किया गया तो वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकने में विफल रहेंगे और संभवतः 2050 तक दुनिया 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी।

2 62 नए हाथी गलियारों की पहचान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने 62 नए हाथी गलियारों की पहचान की जिससे ऐसे गलियारों की कुल संख्या 150 हो जायेगी।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के मुताबिक यदि राज्यों के लिहाज से देखें तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक हाथी गलियारे हैं जिनकी कुल संख्या 26 है जो देश में पहचाने गए कुल हाथी गलियारों का 17 फीसदी है। इसी तरह देश के पूर्वी मध्य क्षेत्र में सबसे अधिक 52 गलियारे हैं जो कुल गलियारों का करीब 35 फीसदी है।
- इसके बाद उत्तर पूर्व क्षेत्र आता है जो 48 गलियारों के साथ देश में कुल गलियारों में 32 फीसदी की हिस्सेदारी रखता है, वहीं दक्षिणी भारत में हाथी गलियारों की संख्या 32 है जो कुल का 21 फीसदी हैं, जबकि उत्तरी भारत में सबसे कम 18 गलियारे हैं जो देश में कुल गलियारों का महज 12 फीसदी हैं।

क्या है हाथी गलियारा?

- हाथी गलियारा जंगली या अन्य भूमि का विस्तार है जो बड़े आवासों को हाथियों की आबादी से जोड़ता है और आवासों के बीच जानवरों की आवाजाही के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह प्रजातियों के अस्तित्व और प्रजनन में सहायता करता है।
- अभी तक भारत में 88 हाथी गलियारों की पहचान की गई थी।

हाथी गलियारों की आवश्यकता:

- मौसम बदलने पर हाथियों को घूमने, भोजन खोजने और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है।
- आज भारत में मानव-हाथी संघर्ष एक गंभीर समस्या है जिसके लिए जरूरी है कि हाथियों को गमन के लिए अधिक भूमि की पूर्ति की जाए।
- राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में नामित होने और कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद, हाथी आज भारत में गंभीर संकट में है।

हाथी गलियारों को खतरा:

- भवन, सड़क, रेलवे और सौर ऊर्जा संचालित विद्युत बाड़ की स्थापना जैसी विकास गतिविधियों के कारण निवास स्थान पर संकट है।
- भारत में हाथी गलियारों के लिए दो 'सबसे बड़े खतरे' कोयला खनन और लौह अयस्क खनन हैं।

सुरक्षा के लिए रणनीतियाँ:

- गलियारों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र या संरक्षण रिजर्व घोषित करें।
- भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 में स्पष्टतः हाथी के शिकार पर रोक लगाई गयी है जिसका अनुपालन जरूरी है।

आगे की राह:

हाथी एक किस्टोन प्रजाति है ऐसे में हाथियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है। प्रमुख आवासों के बीच उनकी निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करें और ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट गलियारों को कानूनी रूप से सुरक्षित तथा संरक्षित किया जाना चाहिए।

3 ऑनलाइन खाद्य डिलीवरी में ग्रीन नज से प्रदूषण पर लगाम

चर्चा में क्यों?

चीन में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि ऑनलाइन खाद्य डिलीवरी में 'ग्रीन नज' को लागू करने से प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

ग्रीन नज (Green Nudge) के बारे में:

- चीन में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि ऑनलाइन खाद्य वितरण में 'ग्रीन नज' को लागू करने से प्रदूषण में महत्त्वपूर्ण कमी आ सकती है, विशेष रूप से एकल-उपयोग कटलरी (एसयूसी) कचरे के संदर्भ में।

अध्ययन क्या कहता है?

- अध्ययन में बताया गया कि जब ग्रीन नज पेश किए गए तो कटलरी के बिना ऑर्डर की आवृत्ति में 648% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि डिफॉल्ट सेटिंग को बदलने और प्रोत्साहन की पेशकश का परिणाम थी।
- अध्ययन में डिफरेंस-इन-डिफरेंस मॉडल का उपयोग किया गया जिसमें ग्रीन नज (प्रायोगिक समूह) और बिना नियंत्रण समूह (नियंत्रण समूह) वाले शहरों के बीच समय के साथ परिणामों की तुलना की गई।
- अल्पकालिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने वाले पिछले कुछ संकेतों के विपरीत, इस अध्ययन में पाया गया कि हरे रंग के संकेतों का व्यक्तियों के आदेश देने वाले व्यवहार पर स्थायी प्रभाव पड़ा।
- अध्ययन अवधि के दौरान, एकल-उपयोग कटलरी के उपयोग में कमी के परिणामस्वरूप अपशिष्ट में महत्त्वपूर्ण कमी आई और संभावित रूप से हजारों पेड़ों को कटने से बचाया गया।
- अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत में जोमैटो जैसे खाद्य वितरण प्लेटफार्मों द्वारा इसी तरह के उपायों को लागू किया गया है जिसके कटलरी अपशिष्ट को कम करने में सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

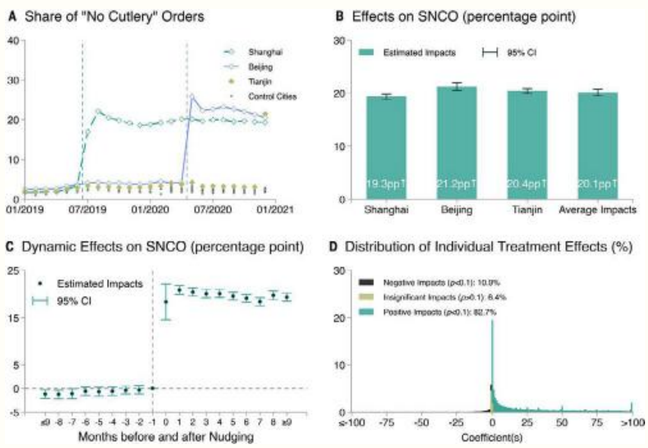

ग्रीन नज का उद्देश्य:

- रेस्तरां उद्योग में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की खपत में 30% की कमी को प्रोत्साहित करें।
- चीन के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें जो ऑनलाइन खाद्य वितरण प्लेटफार्मों को ऑर्डर में एकल-उपयोग कटलरी (एसयूसी) को शामिल करने से रोकते हैं जब तक कि स्पष्ट रूप से अनुरोध न किया गया हो।
- अलीबाबा ऐप के उपयोगकर्ताओं को भोजन का ऑर्डर करते समय अधिक पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें जिसमें एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं से बाहर निकलना और हरित विकल्प चुनना शामिल हो सकता है।
- ग्रीन पॉइंट सिस्टम के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उनके स्थायी कार्यों, जैसे कि वृक्षारोपण रिकॉर्ड तथा अन्य पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के लिए निगरानी और पुरस्कृत करें।

भारत में ग्रीन नज क्या काम करते हैं?

- भारत में एक प्रमुख ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अगस्त 2021 में डिफॉल्ट चयन को 'नो-कटलरी' में बदलकर ग्रीन नज लागू किया। इस परिवर्तन से कटलरी कचरे में उल्लेखनीय

कमी आई है।

- जोमैटो का ग्रीन नज न केवल प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव पर जोर देते हुए समग्र सामग्री अपशिष्ट को भी कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी वाले मंच पर इस तरह के हरित प्रयासों की सफलता से पता चलता है कि इन पहलों को भारत में अन्य समान सेवाओं द्वारा बढ़ाये और अपनाये जाने की संभावना है जिससे पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सके।

आगे की राह:

ग्रीन नज ने भारत में अपनी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से कटलरी कचरे को कम करने और उपभोक्ताओं के बीच टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देने में। इसने पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक समाज में योगदान देने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

4 ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान और UNFCCC COP28 से पहले, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सचिवालय ने 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों द्वारा की गई प्रगति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

'ग्लोबल स्टॉकटेक' क्या है?

- ग्लोबल स्टॉकटेक एक अभ्यास है जो पेरिस समझौते के बाद से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने में प्रगति का विश्लेषण करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार होने की उम्मीद है।
- पेरिस समझौते में देशों ने सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने से रोकने और सर्वोत्तम परिदृश्य में 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
- इसके साथ ही वे शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयासों की समय-समय पर समीक्षा करने या उसका जायजा लेने पर भी सहमत हुए। इसके लिए अलग-अलग देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- रिपोर्ट में 17 प्रमुख निष्कर्षों को रेखांकित किया गया है जो कुल मिलाकर सुझाव देते हैं कि दुनिया पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर नहीं है।
- इसने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उत्सर्जन पर अंकुश लगाने में कमी है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 43% और 2035 में 60% तक कम करने तथा 2050 तक शुद्ध शून्य CO_2 उत्सर्जन तक पहुंचने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा एनडीसी 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर तापमान वृद्धि को रोकने के लिए अपर्याप्त हैं। अगर इसे पूरी तरह से लागू किया जाए तो भी यह केवल 2-3 बिलियन टन CO_2 में कटौती करेगा जो कि पेरिस समझौते के अनुरूप कटौती के लिए आवश्यक 23 बिलियन टन CO_2 से बहुत कम है।
- हालाँकि इसने देशों को लक्ष्य निर्धारित करने और जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता को पहचानने के लिए प्रेरित किया है। वैश्विक तापमान वृद्धि अब 2.4-2.6°C के बीच होने की उम्मीद है जो 2010 में 3.7-4.8°C के पहले अनुमान से एक महत्त्वपूर्ण सुधार दिखाता है।
- इसके साथ-साथ इसने नवीकरणीय ऊर्जा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए वित्त की वृद्धि दर्ज की है।

रिपोर्ट की सिफारिशें:

- इसमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने, वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों तथा विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों में जलवायु वित्त तक न्यायसंगत पहुंच का सुझाव दिया गया।

आगे की राह:

जलवायु संकट से निपटने के लिए अनुकूलन प्रयासों पर पारदर्शी रिपोर्टिंग एक महत्त्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए योजना और कार्यान्वयन के सभी पहलुओं में जलवायु परिवर्तन के खतरों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

5 केरल में एंटिलिआन की दो नई प्रजातियां खोजी गईं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल की शोध टीम ने कासरगोड जिले के रानीपुरम और इडुक्की जिले के वल्लाकादावु तथा मरयूर के वन क्षेत्र में पाए जाने वाली एंटिलिआन (Antlion) की दो नई प्रजाति 'नेमोलियन घोषी' और

प्रसिद्ध मदायिपारा के पास मदायिप्पारा में पाए जाने वाले 'नेमोलियन मैडायेंसिस' की खोज की है।

शोध से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- यह प्रजाति न्यूरोप्टेरा सिरीज के मायर्मेलेओन्टिडे परिवार से सम्बन्ध रखती है।
- यह प्रजाति शिकार के लिए शंक्वाकार गड्ढों का निर्माण करने वाली एंटिलिआन प्रजातियों के विपरीत होती है। ये नेमोलियन सीधी धूप, हवा और बारिश से बचने के लिए गीली मिट्टी के अंदर रहती हैं।
- यह प्रजाति केरल से रिपोर्ट की गई 5वीं और 6वीं एंटिलिआन प्रजाति है, जबकि भारत की 125वीं और 126वीं प्रजाति है।
- एंटिलिआन प्रजाति मुख्य तौर पर विश्व भर में शुष्क तथा रेतीले क्षेत्रों में पायी जाती हैं। इस अनुसंधान को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) से वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई है।

इस प्रजाति का नामकरण:

- नेमोलियन घोषी नाम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. सनथ कुमार घोष के सम्मान में इस प्रजाति का नाम रखा गया है। 'नेमोलियन मैडायेंसिस' क्षेत्र की विशिष्ट जैविक विविधता के कारण ऐसा किया गया है।

एंटिलिआन प्रजाति के बारे में:

- एंटिलिआन शब्द का अर्थ अभी निश्चित नहीं है। हालाँकि इसे मृग चींटियों के रूप में जाना जाता है जो कीट का शिकार करते हैं।
- एंटिलिआन प्रजाति लगभग 2.5 से 5 सेमी या 1 से 2 इंच नीचे और 2.5 से 7.5 सेमी तक एक चैनल निर्मित गड्ढा खोद सकता है।
- गैर-वर्गीकरण के कारण मृगों के वयस्कों को उनकी रूपात्मक समानता के कारण डेमसेल्फ्ली के रूप में जाना जाता है।

आगे की राह:

एंटीलियंस को उनके लंबे एंटीना द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। यह न्यूरोप्टेरा के अंतर्गत आता हैं जिसमें होलोमेटाबोलस कीड़े शामिल हैं, जबकि डेमसेल्फाइज ऑर्डर ओडोनाटा के अंतर्गत आते हैं जिसमें हेमीमेटाबोलस कीड़े शामिल हैं।

6 तटीय मत्स्य पालन को फिर से जीवंत करने के लिए कृत्रिम चट्टान का निर्माण

चर्चा में क्यों?

मत्स्य पालन विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के 'एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांवों' के तहत एक उप-गतिविधि के रूप में 126 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 10 तटीय राज्यों के लिए 732 कृत्रिम चट्टान इकाईयों को मंजूरी दी है।

कृत्रिम रीफ (Artificial Reef) के बारे में:

- कृत्रिम चट्टान एक मानव निर्मित पानी के नीचे की संरचना है जो मीठे पानी या समुद्री वातावरण में बनायी जाती है। ये संरचनाएं आम तौर पर समुद्री जीवन को बढ़ावा देने और कटाव नियंत्रण, तटीय सुरक्षा, जहाज के मार्ग में बाधा डालने, ट्रॉलिंग को रोकने, रीफ बहाली का समर्थन करने, जलीय कृषि को बढ़ाने तथा स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग जैसी मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ावा देने सहित विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फीचर रहित सीबेड वाले क्षेत्रों में बनाई जाती हैं।

कृत्रिम रीफ के क्या लाभ हैं?

पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि:

- केल्प वनों और मूंगा चट्टानों सहित समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ाता व पुनर्स्थापित करता है।
- जैव विविधता को बढ़ावा देता है और विभिन्न समुद्री प्रजातियों को समर्थन देता है।
- बड़ी शिकारियों को आकर्षित करते हुए छोटी मछलियों को आश्रय और भोजन स्थान प्रदान करता है।

मत्स्य पालन प्रबंधन:

- मनोरंजक और व्यावसायिक रुचि की प्रजातियों सहित मछली की आबादी बढ़ जाती है।
- मछली पकड़ने की पैदावार को बढ़ाता है जो मनोरंजक, कारीगर या वाणिज्यिक मत्स्य पालन का समर्थन करता है।

तटीय सुरक्षा:

- तरंग ऊर्जा को अवशोषित करके तटीय कटाव को रोकने में मदद करता है।
- तूफानी लहरों के खिलाफ बफर प्रदान करता है।

पारिस्थितिकी-पर्यटन और मनोरंजन:

- गोताखोरों और पर्यटकों को आकर्षित करके इको-टूरिज्म का समर्थन करता है।
- स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग जैसी गतिविधियों के लिए मनोरंजन के अवसर पैदा करता है।

कार्बन पृथक्करण:

- बायोमास में वृद्धि करके कार्बन पृथक्करण की क्षमता प्रदान करता है।
- जलवायु परिवर्तन शमन में सहायता करते हुए नीले कार्बन भंडारण में योगदान कर सकता है।

पर्यावरण अनुसंधान:

- समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता के अध्ययन के अवसर प्रदान करता है।

- पारिस्थितिक अनुसंधान के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है।

कचरा प्रबंधन:

- पुराने जहाजों, कारों और कंक्रीट ब्लॉकों जैसी बेकार हो चुकी सामग्रियों का पुन: उपयोग किया जाता है।
- कचरे से संरचित निवास स्थान बनाकर समुद्र में डंपिंग को कम करता है।

आवास बहाली और शमन:

- मूंगा प्रत्यारोपण और लार्वा पुनर्वास के माध्यम से निवास स्थान बहाली के प्रयासों का समर्थन करता है।
- अन्य गतिविधियों के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति की भरपाई कर सकता है।

पीएमएमएसवाई के बारे में:

- मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना लागू कर रही है। यह भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से रुपये के अनुमानित निवेश पर नीली क्रांति लाने की एक योजना है। मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 20050 करोड़ रूपये का प्रावधान वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया।

आगे की राह:

कृत्रिम भित्तियों की प्रभावशीलता और लाभ उनके डिजाइन, स्थान तथा रखरखाव के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृत्रिम चट्टानों से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएँ और चुनौतियाँ हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए ताकि सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जा सके।

7 यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा कहा गया है कि व्यापार के माध्यम से ग्रीनहाउस उत्सर्जन को रोकने के प्रयासों से उत्पन्न चुनौती को एक अवसर में बदलने का प्रयास करते हुए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) या कार्बन टैक्स से भारतीय उद्योग और विनिर्माण की रक्षा हो सके।

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र क्या है?

- 2005 में स्थापित यूरोपीय यूनियन का उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) एक बाजार आधारित तंत्र है जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।
- CBAM कार्बन उत्पादों के आयात पर ईटीएस के तहत यूरोपीय संघ के उत्पादकों द्वारा वहन की जाने वाली समान लागतों को लगाने का प्रस्ताव करता है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य 'कार्बन रिसाव' को रोकना है तथा यूरोपीय संघ द्वारा निर्माता कम कठोर जलवायु नीतियों वाले क्षेत्र के बाहर कार्बन-सघन उत्पादन को स्थानांतरित करना है।
- यह तंत्र यूरोपीय संघ के देशों में उत्पादकों को अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं को हरित करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ कार्बन रिसाव की संभावना को रोकने के लिए है। यह आयात और यूरोपीय संघ के उत्पादों के बीच एक समान अवसर भी सुनिश्चित करता है।
- यह तंत्र 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 55% की कमी हासिल करने और 2050 तक यूरोप को जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनने का प्रयास करेगा।

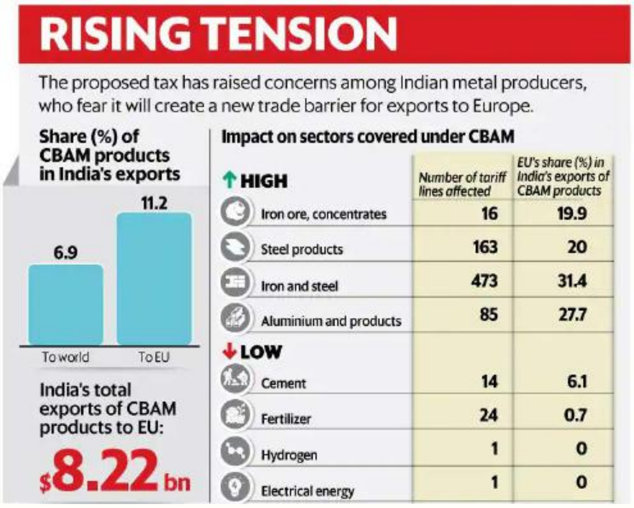

यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का भारत पर प्रभाव:

- यूरोपीय संघ को वनों की कटाई-मुक्त उत्पाद विनियमन (EU- DR) के कारण यूरोपीय संघ को सालाना 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के कॉफी, चमड़े की खाल और पेपरबोर्ड जैसे उत्पादों से भारत का निर्यात प्रभावित होता है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) में यूरोपीय संघ की भागीदारी से 2.2 प्रतिशत की सहमति से लौह, इस्पात एल्यूमीनियम उत्पादों के लिए 20-35 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा जिससे लागत बढ़ेगी और परिणामस्वरूप अरबों डॉलर के निर्यात का नुकसान हो सकता है।
- यूरोपीय संघ 2026 से स्टील, एल्यूमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली की प्रत्येक खेप पर कार्बन टैक्स वसूलना शुरू कर देगा जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के नुकसान होने की सम्भावना है।

आगे की राह:

यूरोपीय संघ द्वारा शुरू की गई कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यावरण के जटिल मुद्दों पर प्रकाश डालती है। व्यापार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है। सीबीएएम के निहितार्थ को समझना और पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधानों की दिशा में काम करना सभी हितधारकों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1 डब्ल्यूएचओ ने हाई बीपी के वैश्विक प्रभाव पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि उच्च रक्तचाप (BP) से पीड़ित प्रत्येक पांच में से लगभग चार लोगों का पर्याप्त इलाज नहीं किया जाता है। अगर सभी देशों में पर्याप्त इलाज का दायरा बढ़ा दिया जाये, तो 2023 और 2050 के बीच 76 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है।

रिपोर्ट से सम्बंधित मुख्य बातें:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मृत्यु और विकलांगता के लिए उच्च रक्तचाप एक महत्त्वपूर्ण जोखिम कारक है परन्तु 2016-2020 के दौरान भारत में एक-चौथाई से भी कम उच्च रक्तचाप वाले रोगियों का रक्तचाप नियंत्रण में था। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अधिक असमानता मौजूद है।
- 2019-2020 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) ने पुरुषों में 24% और महिलाओं में 21% उच्च रक्तचाप की सूचना दी जो पिछले दौर (2015-16) से क्रमशः 19% तथा 17% की वृद्धि दिखाता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च रक्तचाप दुनिया भर में तीन में से एक वयस्क व्यक्ति को प्रभावित करता है जो स्ट्रोक, दिल का दौरा, दिल की विफलता, गुर्दे की क्षति और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है।
- रिपोर्ट के अनुसार उच्च रक्तचाप से पीड़ित केवल 37 प्रतिशत लोगों का ही निदान हो पाता है और केवल 30 प्रतिशत ही इलाज करा पाते हैं।
- उच्च रक्तचाप (140/90 mmHg या इससे अधिक रक्तचाप के लिए दवा लेने वाले) से पीड़ित लोगों की संख्या 1990 से 2019 के बीच 650 मिलियन से 1.3 बिलियन हो गई जो दोगुनी स्थिति को दर्शाता है।

उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण:

- उच्च रक्तचाप का सटीक कारण अज्ञात है परन्तु इसके मुख्य कारणों में धूम्रपान, शराब का सेवन, अत्यधिक सोडियम का सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी व तनाव आदि हो सकते हैं।
- अधिक वजन होने या मोटापे से रक्तचाप बढ़ने की संभावना अधिक होती है। रक्त से ऊतकों को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए रक्त प्रवाह की मात्रा बढ़ जाती है जिससे धमनियों पर दबाव पड़ता है।
- स्लीप एप्निया से भी व्यक्ति के शारीरिक रक्तचाप में वृद्धि होती है।

उच्च रक्तचाप से बचने के उपाय:

- भोजन में नमक की मात्रा का सेवन संतुलित करना चाहिए एवं फलों और सब्जियों का निरंतर सेवन करना चाहिए। शराब के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि यह उच्च रक्तचाप को बढ़ाता है या बनाए रखता है और नियंत्रण को कठिन बना देता है।
- शारीरिक गतिविधि, अच्छी नींद की आदतें, वायु प्रदूषण के संपर्क में कमी तथा योग, ध्यान और संगीत से रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है।

आगे की राह:

वर्तमान में उच्च रक्तचाप से पीड़ित केवल 15 प्रतिशत लोगों में ही यह नियंत्रित है। हालाँकि देश में दिल का दौरा जैसी हृदय संबंधी बीमारियों के कारण होने वाली आधी से अधिक मौतों (52 प्रतिशत) का कारण उच्च रक्तचाप के कारण होता है।

2 शोधकर्ताओं ने सांप के जहर से रोगाणु रोधी पेप्टाइड विकसित किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर के शोधकर्ताओं ने सांप के जहर से एक रोगाणुरोधी पेप्टाइड अणु SP1V3_1 को विकसित किया है जो ई. कोली, पी. एरुगिनोसा, निमोनिया और एमआरएसए (मेथिसिलिन-प्रतिरोधी स्टैफिलोकोकस ऑरियस) जैसे ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया को मार सकता है।

पेप्टाइड क्या होते हैं?

- अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाओं को पेप्टाइड कहते हैं। कई पेप्टाइड मिलकर प्रोटीन का गठन करते हैं। प्रोटीन एवं पेप्टाइड में आकार का ही अंतर है जो अमीनो अम्ल द्वारा जुड़े होते हैं जिसे पेप्टाइड बंध कहते हैं।
- पेप्टाइड मोलेक्यूल बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स के साथ मिलकर एक संरचना का निर्माण करतें है जो बैक्टीरिया को खत्म करता है।

शोध से सम्बंधित मुख्य बातें:

- शोध का उद्देश्य सांप के जहर के रोगाणुरोधी गुण को बरकरार रखकर उसके विषैलेपन को कम करना तथा पेप्टाइड को घाव पर कीटाणुनाशक और उपचार के लिए एक इंजेक्शन के रूप में या एक एरोसोलिज्ड फार्मूलेशन के रूप में चिकित्सीय रूप से उपयोग करना।
- शोधकर्ताओं ने सांप के जहर की जीवाणुरोधी क्षमताओं का उपयोग किया है जो सूक्ष्मजीव-विरोधी गुणों को हटाए बिना इसके विषाक्त तत्वों को कम कर सकता है।
- SP1V3_1, जीवाणु कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश करके और उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट करने के लिए एक लघु पेप्टाइड का उपयोग करेगी।
- पेप्टाइड SP1V3_1 एक एंटीप्रोटोजोअल या एंटीफंगल अणु के रूप में दिखाता है जिसके रोगाणुरोधी तथा इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मोटिफ के कारण इसे भविष्य में एक एंटी कैंसर अणु के रूप में भी परीक्षण किया जा सकता है।

- एंटीमाइक्रोबिअल रोगाणुरोधी की लगातार बढ़ती समस्या और वर्तमान में एंटीबायोटिक दवाओं की सीमितता में रोगाणुरोधी पेप्टाइड्स नवीन बायोसेडल एजेंट जैवनाशक के रूप में महत्त्वपूर्ण हैं।

साँप के जहर की औषधीय क्षमता:

- साँप के जहर प्रोटीन के मूल घटकों का मिश्रण होता है जिन्हें 4 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे:
  - » थ्री-फिंगर टॉक्सिन्स (3FTX)
  - » फॉस्फोलिपेज ए 2 (PLA2)
  - » स्नेक वेनम मेटेलोप्रोटीज (SVMP)
  - » स्नेक वेनम सेरीन प्रोटीज (SVSP)
- सांप के जहर को प्रोटीन और पेप्टाइड्स का एक जटिल मिश्रण माना जाता है जिसमें दवा के डिजाइन और विकास की काफी संभावनाएं होती हैं जो नैदानिक उपयोग का कारण बन सकता है।

आगे की राह:

पेप्टाइड मोलेक्यूल को गैर विषैले की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि म्यूरिन माडल में इस पेप्टाइड को शीघ्र घाव भरने और एमआरएसए द्वारा शल्य चिकित्सा के बाद घाव पर संक्रमण को रोकने में भी मददगार पाया गया।

3 इनहेलर से अब दवा का शत प्रतिशत इस्तेमाल संभव: स्टडी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी के शोधकर्ताओं ने मैकेनिकल एंड मेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय सिडनी के साथ मिलकर ड्राई पाउडर इनहेलर (DPI) के औषधि वितरण पर शोध किया है। इनहेलर से दवा का अब शत प्रतिशत इस्तेमाल होगा तथा फेफड़ों में दवा की पूरी मात्रा पहुंच सकेगी जिससे बीमारी का उपचार भी आसान होगा।

इनहेलर क्या है?

- इनहेलर एक छोटा उपकरण है जो सीधे फेफड़ों तक दवा पहुंचाने के काम आता है।
- इनहेलर सूखा पाउडर है जो वायुमार्ग को खोलने या फेफड़ों में सूजन को कम करने में मदद करता है।
- इनहेलर और नेब्युलाइजर दोनों ऐसी दवाएं प्रदान करते हैं जो फेफड़ों की स्थितियों का इलाज करती हैं, लेकिन इनहेलर एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसे बिजली की आवश्यकता नहीं होती है।
- इनहेलर के प्रकारों में प्रेशराइज्ड मीटर्ड डोज इनहेलर (PMDI), ड्राई पाउडर इनहेलर (DPI) और सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर (SMI) शामिल हैं।

शोध से सम्बंधित मुख्य बातें:

- शोधार्थियों का दावा है कि इस नई तकनीक से दमा रोगी के फेफड़ों तक 100 प्रतिशत तक दवा पहुंचाने वाले इनहेलर डिजाइन करने में मदद मिलेगी तथा दवा मुंह व श्वसन नली में भी नहीं चिपकेगी। इससे दुष्प्रभाव कम होगा एवं दमा व श्वास रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।
- शोध में पाया गया है कि एक निश्चित श्वास प्रवाह पर ही दवा छोटे कणों में टूटती है। यदि प्रवाह कम हो तो दवा इनहेलर के अंदर ही छूट जाती है।
- दमा रोगियों के उपचार में वर्तमान में जिस डीपीआइ का प्रयोग हो रहा है, उससे फेफड़ों तक 20 से 30 प्रतिशत दवा ही पहुंच पाती है।
- मुंह व श्वास नली में दवा अटकने से रोगी के अंदर धीरे-धीरे कई दुष्प्रभाव विकसित होते हैं। डीपीआइ की नई तकनीक से रोगियों को बहुत लाभ मिलेगा।
- शोध में पाया गया है कि 70 प्रतिशत या उससे अधिक दवा के कण, उपकरण की दीवार, मुंह या ऊपरी वायुमार्ग पर चिपक जाते हैं जिससे रोगी के अंदर धीरे-धीरे कई दुष्प्रभाव विकसित होने लगते हैं, इसलिए अधिकतर रोगी इनहेलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

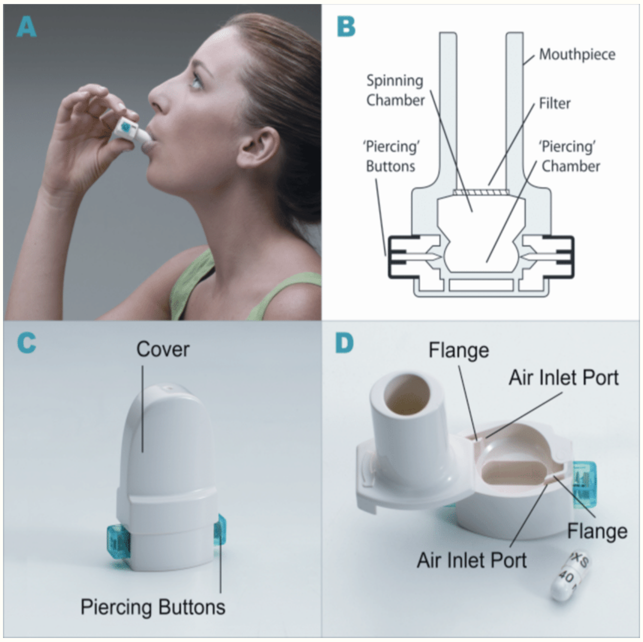

ड्राई पाउडर इनहेलर (DPI) के बारे में:

- ये दवा को कैप्सूल या अन्य कंटेनरों के अंदर पाउडर के रूप में संग्रहित करते हैं और इनहेलर का उपयोग करने के लिए तैयार करता है।
- डीपीआई आमतौर पर ट्यूब या डिस्क के आकार के होते है जिसमें एक माउथपीस होता है।
- ड्राई पाउडर इनहेलर उपकरणों में ट्विस्टहेलर, फ्लेक्सहेलर, एलिप्टा, ब्रीजहेलर शामिल होता है।

आगे की राह:

अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर (COPD) जैसी पुरानी फेफड़ों की स्थिति वाले लोग जिन्हें सांस लेने में समस्या होती

हैं। वे अपने लक्षणों को रोकने या प्रबंधित करने के लिए दैनिक इनहेलर का उपयोग करते हैं।

4 साइबर जांच उपकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक साइबर अपराध जांच उपकरण रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं (TTP) तैयार किया गया है जो जल्द ही मनुष्यों को लक्षित करने वाले साइबर हमलों को ट्रैक करने में सक्षम होगा जैसे बीमा धोखाधड़ी व ऑनलाइन वैवाहिक धोखाधड़ी आदि।

रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं (TTP) क्या हैं?

- यह साइबर सुरक्षा पेशेवरों द्वारा खतरों को उत्पन्न करने तथा साइबर हमलों में शामिल होने के लिए किसी खतरे का उपयोग किए जाने वाले व्यवहार, प्रक्रियाओं, कार्यों और रणनीतियों की एक संरचना है।
- यह किसी भी साइबर हैकर या खतरा समूह से जोड़ने और हमले की रूपरेखा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।
- यह उभरते खतरों की पहचान करने और हमले के जवाबी उपाय विकसित करने में भी सहायक होगा।

रणनीति	किसी हमले के पीछे का समग्र लक्ष्य या तकनीकी उद्देश्य
तकनीक	हमले में शामिल होने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ और रणनीतियाँ
प्रक्रियाएं	किसी हमले को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और प्रक्रियाएं

मुख्य विशेषताएँ:

- टीटीपी (रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं) आधारित साइबर अपराध जांच नामक उपकरण मामले को सुलझाने के लिए आवश्यक सबूतों की श्रृंखला की पहचान करने साइबर अपराधों को ट्रैक करने, वर्गीकृत करने और अपराधियों को दोषी ठहराने के लिए सबूतों को फ्रेमवर्क पर मैप करने में मदद करेगा।
- साइबर क्राइम की घटनाओं से प्रतिदिन 1 करोड़ रुपये का नुकसान होता है और अधिकतर, महिलाओं, वृद्धों तथा गरीब लोगों को निशाना बनाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप भारी आर्थिक हानि होता है।
- भारत में साइबर अपराध जांचों की संख्या साइबर अपराध रिपोर्टों की संख्या से काफी कम है। ऐसे अपराधों की जांच पीड़ितों द्वारा दी गई एफआईआर पर निर्भर करती है जिनकी साइबर-साक्षरता आमतौर पर बेहद कम होती है।
- वर्तमान में साइबर अपराध की जांच के लिए एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है जो पीड़ित को रिपोर्ट किए गए साइबर अपराध पर पर्याप्त जानकारी प्रदान करे ताकि इसे व्यवस्थित और विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया जा सके।

साइबर अपराध जांच क्या है?

- साइबर अपराध जांच कंप्यूटर आधारित अपराधों और साइबरस्पेस में होने वाली दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें कम करने की प्रक्रिया है।
- इसमें हैकिंग, फिशिंग, मैलवेयर, डेटा उल्लंघन और पहचान की चोरी जैसे विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की जांच के लिए विशेष उपकरणों तथा तकनीकों का उपयोग शामिल होता है।

साइबर क्राइम हमले के प्रकार:

- **फिशिंग और घोटाला:** फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जो उपयोगकर्ता को लक्षित करता है और संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली संदेश तथा ईमेल भेजकर उसे धोखा देता है।
- **रैंसमवेयर अटैक:** रैंसमवेयर हमला एक बहुत ही सामान्य प्रकार का साइबर अपराध है। यह मैलवेयर का एक प्रकार का है जो उपयोगकर्ताओं को सिस्टम पर उनके सभी व्यक्तिगत डेटा को एन्क्रिप्ट एवं एक्सेस करने से रोकने की क्षमता रखता है और फिर एक्सेस देने के लिए फिरौती मांगता है।

आगे की राह:

टीटीपी आधारित जांच अत्यधिक प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह जांच किए जाने वाले रूपों और तरीकों की संख्या को कम करेगा तथा मुख्य रूप से अपराधियों के टीटीपी पर निर्भर करेगा जिससे साइबर अपराधियों को सटीक और त्वरित सजा मिल सकेगी।

5 गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता और आकाशगंगा विकास के बीच संबंध- स्टडी

चर्चा में क्यों?

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (आईआईए) द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह समझने में मदद मिल सकती है कि गुरुत्वाकर्षण संबंधी अस्थिरताएं आकाशगंगा के विकास से कैसे जुड़ी हैं?

अध्ययन के बारे में:

- अध्ययन का संचालन आईआईए के पोस्ट-डॉक्टरल फेलो के. आदित्य द्वारा किया गया था। शोधकर्ताओं ने स्पिट्जर फोटोमेट्री और एक्यूरेट रोटेशन कर्व्स (एसपीएआरसी) डेटाबेस से डेटा का उपयोग किया।
- अध्ययन का उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता तथा विभिन्न कारकों जैसे तारा निर्माण दर, गैस अंश व गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता के विकास के लिए समय का पैमाना और आकाशगंगाओं की आकृति विज्ञान के बीच संबंधों की जांच करना था।
- शोधकर्ताओं ने निकटवर्ती आकाशगंगाओं में गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता

की वृद्धि के लिए तारा निर्माण दर, गैस अंश और समय पैमाने की तुलना की। उन्होंने SPARC डेटाबेस से 175 आकाशगंगाओं के नमूने के स्थिरता स्तर का भी आंकलन किया।

- अध्ययन ने आकाशगंगाओं की स्थिरता के स्तर को विनियमित करने में काले पदार्थ की भूमिका का पता लगाया। इसमें यह समझने की कोशिश की गई क्या तारे और गैस स्थिरता के इन स्तरों को स्व-विनियमित कर सकते हैं?

सर्पिल आकाशगंगाओं के लिए निष्कर्ष:

अध्ययन में पाया गया कि सर्पिल आकाशगंगाएँ जैसे 'मिल्की वे' निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं:

- उच्च माध्यिका तारा निर्माण दर।
- निम्न स्थिरता स्तर।
- कम गैस अंश।
- गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता के विकास के लिए एक छोटा समय पैमाना।

गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता के परिणाम:

- निष्कर्षों से पता चलता है कि सर्पिल आकाशगंगाओं में गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता तेजी से गैस की एक महत्वपूर्ण मात्रा को तारों में बदल देती है जिससे गैस भंडार कम हो जाते हैं।
- अध्ययन ने आस-पास की आकाशगंगाओं की स्थिरता के स्तर की तुलना उच्च रेडशिफ्ट पर देखी गई आकाशगंगाओं से की जो स्थानीय ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के अग्रदूत हैं। यह तुलना इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है कि गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता आकाशगंगा के विकास से कैसे जुड़ी है?

तारा निर्माण की गति:

- सीमांत स्थिरता स्तर वाली आकाशगंगाएँ कम समय के पैमाने पर तीव्र तारा निर्माण गतिविधि से गुजरती हैं जिससे उनके गैस भंडार कम हो जाते हैं।
- इसके विपरीत, अत्यधिक स्थिर आकाशगंगाएँ लंबे समय के पैमाने पर धीमी गति से तारे के निर्माण का अनुभव करती हैं जो धीरे-धीरे उपलब्ध गैस को तारों में परिवर्तित करती हैं।
- अध्ययन विभिन्न रेडशिफ्ट्स में आकाशगंगाओं के रूपात्मक विकास पर गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता के प्रभाव की भविष्य की जांच की आवश्यकता पर जोर देता है।

- सीमांत स्थिरता स्तर वाली आकाशगंगाएँ थोड़े समय के पैमाने पर तीव्र तारा निर्माण गतिविधि से गुजरती हैं जिससे उनके गैस भंडार कम हो जाते हैं।
- इसके विपरीत, अत्यधिक स्थिर आकाशगंगाएँ लंबे समय के पैमाने पर धीमी गति से तारे के निर्माण का अनुभव करती हैं जो धीरे-धीरे उपलब्ध गैस को तारों में परिवर्तित करती हैं।

आगे की राह:

यह अध्ययन गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता और आकाशगंगा विकास के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंधों पर प्रकाश डालता है, खासकर आकाशगंगा जैसी सर्पिल आकाशगंगाओं के संदर्भ में। यह तारे के निर्माण और आकाशगंगाओं की गैस सामग्री को आकार देने में काले पदार्थ की भूमिका तथा विभिन्न स्थिरता स्तरों के परिणामों पर प्रकाश डालता है।

6 भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता

चर्चा में क्यों?

भू-स्थानिक इंटेलिजेंस उपग्रहों, मोबाइल सेंसर, ग्राउंड-कंट्रोल स्टेशन और हवाई छवियों सहित सभी प्रौद्योगिकियों के नेटवर्क से डेटा का संग्रह तथा एकीकरण है।

भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता के बारे में:

- भू-स्थानिक इंटेलिजेंस (GEOINT) अध्ययन का एक शब्द और क्षेत्र है जिसमें मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए भू-स्थानिक जानकारी के डेटा का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या शामिल है। GEOINT भूगोल, इमेजरी और भू-स्थानिक डेटा से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है जिसका उपयोग रक्षा, सरकार तथा व्यावसायिक खुफिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।

भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता के मुख्य घटक:

- GEOINT में शाब्दिक इमेजरी का विश्लेषण होता है जिसमें उपग्रहों, ड्रोन और अन्य रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई तस्वीरें तथा दृश्य डेटा शामिल हैं। विश्लेषक बहुमूल्य जानकारी निकालने के लिए इस कल्पना की व्याख्या करते हैं।
- भू-स्थानिक डेटा में पृथ्वी की सतह तथा उसकी विशेषताओं, जैसे भूमि उपयोग, परिवहन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे से संबंधित जानकारी शामिल है। यह डेटा मानचित्र, डिजिटल डेटाबेस या भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) डेटा के रूप में हो सकता है।
- GEOINT में वर्णक्रमीय (जैसे-विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम), स्थानिक (जैसे-भौगोलिक स्थान) और अस्थायी (जैसे-समय संबंधित) डेटा

का प्रसंस्करण, शोषण तथा विश्लेषण शामिल है। यह व्यापक विश्लेषण समय के साथ परिवर्तनों और पैटर्न को समझने में मदद करता है।

- जियोइंट स्थिर और गतिमान दोनों लक्ष्यों से डेटा एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर तथा सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) सहित विभिन्न सेंसर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। इन सेंसरों को उपग्रहों, विमानों या जमीन-आधारित प्लेटफार्मों पर लगाया जा सकता है।
- तकनीकी डेटा संग्रह विधियों के अलावा, GEOINT क्षेत्र में कर्मियों द्वारा प्राप्त डेटा पर भी विचार करता है जिसे अक्सर मानव बुद्धि (HUMINT) स्रोतों के रूप में जाना जाता है। इसमें जमीनी स्तर पर व्यक्तियों द्वारा एकत्र की गई जानकारी शामिल होती है।

अनुप्रयोग:

- GEOINT सैन्य और खुफिया एजेंसियों के लिए खतरों का आंकलन करने, संवेदनशील क्षेत्रों में गतिविधियों की निगरानी करने और सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- GEOINT प्रभावित क्षेत्रों पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके तूफान, भूकंप और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं का आंकलन तथा प्रतिक्रिया करने में मदद करता है।
- शहर के योजनाकार भूमि उपयोग, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए भू-स्थानिक डेटा का उपयोग करते हैं।
- व्यवसाय क्षेत्र में GEOINT का उपयोग स्थान-आधारित सेवाओं, बाजार विश्लेषण और आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए किया जाता है। यह व्यवसायों को ग्राहकों को लक्षित करने, कुशल लॉजिस्टिक्स की योजना बनाने और डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद करता है।
- भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता से उच्च-रिजॉल्यूशन इमेजरी का उपयोग स्वायत्त वाहनों के विकास में किया जाता है। यह जमीन पर सड़क चिह्नों और गलियों जैसी सुविधाओं का पता लगाने तथा उनका मानचित्रण करने में मदद करता है जिससे सुरक्षित और अधिक कुशल परिवहन में योगदान मिलता है।

आगे की राह:

भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता हमारी गतिशील दुनिया की निगरानी करके उसे समझने, निर्णय लेने में सहायता करने और विभिन्न संदर्भों में सुरक्षा में योगदान देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

7 गैलेक्टिक ज्वार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी के महासागरों की तरह भी ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं में भी बहुत बड़े पैमाने पर ज्वार-भाटा आता है।

गैलेक्टिक ज्वार के बारे में:

- गैलेक्टिक ज्वार गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं जिनका अनुभव हमारी अपनी आकाशगंगा सहित आकाशगंगाओं के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से प्रभावित वस्तुओं द्वारा किया जाता है।

गैलेक्टिक ज्वार का प्रभाव:

गैलेक्टिक टकराव:

- आकाशगंगा टकराव में ज्वारीय बल शामिल आकाशगंगाओं के निकटतम परिवेश में सबसे मजबूत होते हैं।
- टकराती हुई आकाशगंगाएँ एक-दूसरे की ओर या एक-दूसरे से दूर की ओर इंगित करने वाले अक्षों के साथ एक-दूसरे को विकृत करती हैं जिससे ज्वारीय पूंछ बनती है।
- ज्वारीय पूँछें अक्सर घुमावदार होती हैं जिनका स्वरूप विक्षुब्ध आकाशगंगा के द्रव्यमान के आधार पर भिन्न हो सकता है।
- टकराने वाली आकाशगंगाओं के बीच ज्वारीय पुल बन सकते हैं लेकिन ज्वारीय पूंछों से अंतर करना मुश्किल हो सकता है।
- ज्वारीय लूप, जहां पूंछ एक मूल आकाशगंगा के दोनों सिरों पर जुड़ती है, आकाशगंगा टकराव के दुर्लभ परिणाम हैं।

उपग्रह संपर्क:

- उपग्रह आकाशगंगाएँ बड़ी आकाशगंगाओं के निकट होने के कारण आकाशगंगा ज्वार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं।
- ज्वारीय प्रभाव उपग्रह आकाशगंगाओं के भीतर क्रमबद्ध गति पैदा कर सकते हैं जिससे उनकी आंतरिक संरचना और गति प्रभावित हो सकती है।
- उपग्रह आकाशगंगाओं के किनारों से तारों और गैस को हटाया जा सकता है तथा ज्वारीय बलों के कारण साथी तारों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है।
- मेजबान आकाशगंगा के सापेक्ष उपग्रह का आकार ज्वारीय मलबे की पूंछों की समरूपता और त्वरण को प्रभावित करता है।
- बड़े उपग्रहों के साथ ज्वारीय अंत:क्रिया से असममित पूंछ बन सकती है जो उनकी कक्षाएँ बदल सकती हैं।

आकाशगंगा के भीतर निकायों पर प्रभाव:

- ज्वारीय प्रभाव आकाशगंगाओं के भीतर भी होते हैं जो तारों और ग्रह प्रणालियों के निर्माण को प्रभावित करते हैं।
- अपने सिस्टम के भीतर तारे मुख्य रूप से अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं, लेकिन सिस्टम के बाहर गैलेक्टिक ज्वार महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।
- लंबी अवधि के धूमकेतुओं का स्रोत गैलेक्टिक ज्वार से प्रभावित होता है।
- गैलेक्टिक ज्वार गोलाकार ऊर्टक्लाउड (Oort Cloud) को विकृत कर देता है जिससे यह गैलेक्टिक केंद्र की ओर खिंच जाता है।
- यह विकृति ऊर्टक्लाउड ग्रहों की कक्षाओं को परेशान कर सकती है जिससे कुछ ग्रह सूर्य के करीब आ सकते हैं और धूमकेतु बन सकते हैं।
- गैलेक्टिक ज्वार ग्रहों की कक्षाओं में परिवर्तन करके ऊर्टक्लाउड के निर्माण में योगदान दे सकता है।

आर्थिक मुद्दे

1 टाटा स्टील ने पोर्ट टैलबोट प्लांट में 500 मिलियन पाउंड निवेश की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने टाटा स्टील के साथ £1.25 बिलियन के संयुक्त निवेश पैकेज की घोषणा की जिसमें वेल्स में पोर्ट टैलबोट के संचालन को सुरक्षित करने के लिए £500 मिलियन का सरकारी अनुदान भी शामिल है।

पोर्ट टैलबोट प्लांट के बारे में:

- पोर्ट टैलबोट प्लांट वेल्स में स्थित एक एकीकृत इस्पात उत्पादन संयंत्र है जो प्रति वर्ष लगभग 5 मिलियन टन स्टील स्लैब का उत्पादन करता है।
- पोर्ट टैलबोट में स्टीलवर्क्स का स्वामित्व अप्रैल 2007 से टाटा स्टील के पास है।
- यह यूके का एक प्रमुख इस्पात संयंत्र है जिसमें 4,000 से अधिक लोग काम करते हैं।
- पोर्ट टैलबोट आयरन एंड स्टील वर्क्स के बगल में स्थित है जो डॉक्स साइट के उत्तर में पोर्ट टैलबोट शहर (मोटरवे) मुख्य लाइन रेलवे और पीडीआर के साथ पूर्वी सीमा बनाता है।

परियोजना से सम्बंधित मुख्य बातें:

- यह निवेश परियोजना रोजगार को संरक्षित करेगा तथा दक्षिण वेल्स में हरित प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा।
- यह यूके की इस्पात सुरक्षा को मजबूत करेगी और एक दशक में प्रत्यक्ष उत्सर्जन में 50 मिलियन टन की कमी लाएगी जिससे मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलेगा।
- यह मैनचेस्टर में हेनरी रॉयस इंस्टीट्यूट और इंपीरियल कॉलेज लंदन में इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी के दो अतिरिक्त केंद्र स्थापित करने के लिए 4 वर्षों में लगभग 20 मिलियन पाउंड का निवेश भी करेगी।
- इस परियोजना का उद्देश्य यूके के संपूर्ण कार्बन उत्सर्जन को लगभग 1.5 प्रतिशत तक कम करना है।
- टाटा स्टील यूके में लगभग 8,000 लोगों को रोजगार देती है जिनमें से 4,000 पोर्ट टैलबोट में हैं।

टाटा आयरन एवं स्टील:

- टाटा स्टील की स्थापना 1907 में एशिया की पहली एकीकृत निजी स्टील कंपनी के रूप में भारत में हुई थी। इस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला औद्योगिक शहर विकसित किया।
- टाटा स्टील के पास कैप्टिव खदानें हैं जो कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति के माध्यम से लागत-प्रतिस्पर्धा और उत्पादन क्षमता बनाए रखने में मदद करती है।
- यह नियमित रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और बांग्लादेश को स्टील निर्यात करती है।

आगे की राह:

यूके सरकार ने कहा कि इस समझौते से यूके के संपूर्ण व्यापार और उद्योग कार्बन उत्सर्जन में 7%, वेल्स के समग्र उत्सर्जन में 22% और पोर्ट टैलबोट साइट के उत्सर्जन में 85% की कमी आने की उम्मीद है।

2 निर्यात में गिरावट लगातार 10वें महीने भी जारी रही- वाणिज्य विभाग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कम बाहरी मांग के कारण भारत का व्यापारिक निर्यात लगातार कम हुआ जो आधार पर 6.86 प्रतिशत घटकर अगस्त महीने में 34.5 बिलियन डॉलर रह गया। दूसरी ओर व्यापार घाटा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अधिक घरेलू मांग के कारण 10 महीने के उच्चतम स्तर 24.16 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया।

आंकड़ों की मुख्य विशेषताएँ:

- वस्तु और सेवाओं सहित भारत का कुल निर्यात 5.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60.87 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 5.97 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72.50 अरब डॉलर रहा।
- 2022-23 में सेवा निर्यात 26.7% की दर से बढ़ने और धीमी मांग के बीच अब तक स्थिर रहने के बाद अगस्त में 0.4% घटकर 26.39 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
- व्यापारिक आयात बिल अगस्त में 5.23% गिरकर $58.64 बिलियन हो गया जो जुलाई के $52.9 बिलियन के आयात से 10.85% अधिक था।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्यात 11.9 प्रतिशत घटकर 172.95 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात 12 प्रतिशत गिरकर 271.83 अरब डॉलर रह गया।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोने का आयात लगभग 40 प्रतिशत

बढ़ा जबकि सोने के शिपमेंट का मूल्य एक वर्ष पहले 3.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 4.9 बिलियन डॉलर हो गया।

- वैश्विक मांग में कमी के कारण 2023 की पहली छमाही के दौरान भारत का विदेशी व्यापार 800 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है।
- आंकड़ों में यूक्रेन में चल रहे युद्ध, उच्च मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति और वित्तीय अनिश्चितता के कारण 2023 के लिए विश्व व्यापार दृष्टिकोण कमजोर होने का अनुमान लगाया है।

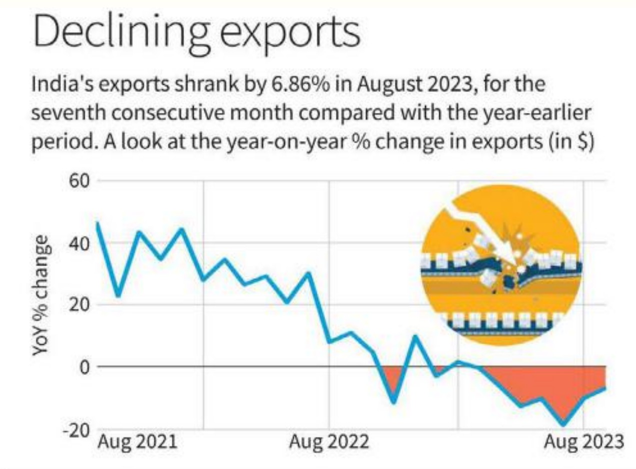

तेल की कीमतों से निर्यात प्रभावित:

- रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष निर्यात में लगभग आधी गिरावट पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है, पेट्रोलियम उत्पादों की निर्यात मात्रा 6% बढ़ी थी, लेकिन कीमतें एक साल पहले की तुलना में 27% कम थीं।

अन्य वस्तुओं के व्यापारिक निर्यात पर प्रभाव:

- निर्यात का लगभग 23% हिस्सा रखने वाली 13 वस्तुओं में शिपमेंट के मूल्य में गिरावट के बावजूद वृद्धि देखी गई है जिनमें पेट्रोलियम उत्पाद (-30.61 प्रतिशत), रत्न और आभूषण (-21.94 प्रतिशत), रेडीमेड परिधान (-8.15 प्रतिशत), कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन (-18.83 प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक सामान (26.29 प्रतिशत), इंजीनियरिंग सामान (7.73 प्रतिशत), कोयला (-43.47 प्रतिशत), कच्चा पेट्रोलियम (-23.76 प्रतिशत) और कीमती पत्थर (-15.82 प्रतिशत) शामिल हैं।

आगे की राह:

भारत की विदेश व्यापार स्थिति का एक व्यापक अवलोकन वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में गिरावट, तेल की गिरती कीमतों का प्रभाव, चालू खाता घाटे के बारे में चिंताएं तथा वैश्विक व्यापार स्थितियों के रूप में भविष्य के बारे में सतर्कता शामिल है।

3 राज्यों का ओपीएस की तरफ बढ़ना राजकोष के लिए प्रतिकूल प्रभाव-RBI

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना पर लौटने से राज्यों पर बढ़ने वाला राजकोषीय बोझ, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का लगभग साढ़े चार गुना होगा।

राजकोषीय तनाव के दीर्घकालिक प्रभाव:

- 2050 में ओपीएस के तहत पेंशन व्यय एनपीएस के तहत 4 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचने का अनुमान है।
- आरबीआई के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में बदलाव करने से राज्यों के लिए दीर्घकालिक लागत बढ़ सकती है।
- यदि राज्य एनपीएस से ओपीएस में परिवर्तन करना चुनते हैं, तो राज्यों पर कुल पेंशन बोझ औसतन लगभग 4.5 गुना बढ़ने का अनुमान है।
- हालांकि ओपीएस के कदम से अल्पावधि में पेंशन व्यय में कमी आ सकती है, लेकिन यह कमी भविष्य में वित्त रहित पेंशन देनदारियों में पर्याप्त वृद्धि से ऑफसेट से कहीं अधिक होगी। इससे पता चलता है कि ओपीएस से जुड़ा वित्तीय बोझ समय के साथ काफी बढ़ जाएगा।
- बुलेटिन में चेतावनी दी गई है कि पेंशन देनदारियों में इस वृद्धि से राजकोषीय तनाव हो सकता है जो संभावित रूप से राज्यों की राजकोषीय स्थितियों को अस्थिर स्तर तक पहुंचा सकता है।

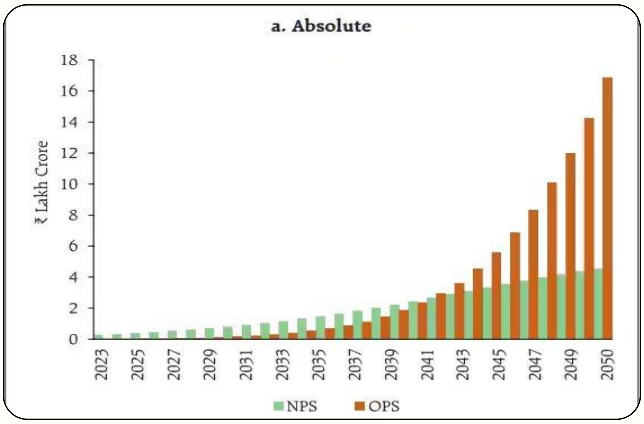

पुरानी पेंशन योजना के बारे में:

- पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है।
- सरकार सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पूरी पेंशन राशि का भुगतान करती है।
- कर्मचारियों को पेंशन योगदान के लिए उनके वेतन से कोई कटौती नहीं होती है।
- ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ते (डीए) में संशोधन का लाभ मिलता है।
- ओपीएस सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के वर्षों के

दौरान आय का एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में:

- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) एक सरकार प्रायोजित सेवानिवृत्ति बचत और निवेश योजना है जो 2004 में शुरू की गई तथा 2009 में सभी नागरिकों को शामिल करने के लिए विस्तारित की गई।
- एनपीएस को शुरुआत में 2004 में मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक संरचित और विनियमित सेवानिवृत्ति बचत प्रणाली बनाने के लिए लॉन्च किया गया था।
- सरकारी कर्मचारियों को अपने एनपीएस खाते में महंगाई भत्ते (डीए) के साथ अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करना अनिवार्य है।
- सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य नागरिकों के लिए एनपीएस में न्यूनतम मासिक योगदान 500 रुपये निर्धारित है।
- एनपीएस निवेश विकल्प चुनने में लचीलापन प्रदान करता है जिससे ग्राहकों को उनकी जोखिम सहनशीलता तथा वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर इक्विटी, निश्चित आय और सरकारी प्रतिभूतियों के फंड के बीच चयन करने की अनुमति मिलती है।

आगे की राह:

पेंशन योजनाओं के बारे में निर्णय लेते समय राज्यों को दीर्घकालिक राजकोषीय बोझ के खिलाफ अल्पकालिक लाभ का सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य और सरकारी कर्मचारियों की भलाई दोनों को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक सुधारों पर फोकस करना चाहिए।

4 बीमा सुगम पोर्टल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने मेगा टेक परियोजना द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के पूरे स्पेक्ट्रम का अनावरण किया। आईआरडीएआई का दावा है कि प्रस्तावित बीमा सुगम पोर्टल बीमा क्षेत्र के लिए एक 'गेम चेंजर' और 'यूपीआई मोमेंट' है।

बीमा सुगम पोर्टल के बारे में:

- बीमा सुगम IRDAI द्वारा बीमा क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से पेश किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र और सेवाओं के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार बनना है।

बीमा सुगम पोर्टल की विशेषताएं:

- यह पॉलिसीधारकों के लिए एक कुशल और सहज ऑनलाइन प्रक्रिया में खरीद, सर्विसिंग तथा दावों को निपटाने सहित उनकी बीमा जरूरतों को प्रबंधित करने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
- बीमा सुगम विभिन्न बीमा कंपनियों से जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा (जैसे मोटर व यात्रा बीमा) सहित बीमा विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
- प्रारंभ में बीमा योजना का विवरण एक बीमा भंडार के माध्यम से मंच में संग्रहीत किया जाता है जिसके बाद नीतियों की सूची बनाई जाती है।
- बीमा सुगम के लिए आवंटित बजट को लगभग 85 करोड़ रुपये के शुरुआती बजट से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- प्लेटफॉर्म बनाने के लिए IRDAI द्वारा एक समिति नियुक्त की गई है जिसमें सेवा प्रदाता का चयन करने के लिए प्रस्तावों (RFPs) के लिए अनुरोध जारी किए जाएंगे।
- बीमा पॉलिसियों पर कमीशन कम होने की उम्मीद है जिससे ग्राहकों के लिए लागत बचत होगी।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के बारे में:

- भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (IRDAI अधिनियम 1999) के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में बीमा क्षेत्र की देखरेख और विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IRDAI का प्रधान कार्यालय हैदराबाद में स्थित है।

आईआरडीएआई की रूपरेखा:

- IRDAI ने अपने लिए एक मिशन निर्धारित किया है जिसमें पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना, अखंडता और क्षमता के उच्च मानकों को लागू करना, दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना शामिल है। बीमा से संबंधित वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है।
- IRDAI जीवन बीमा कंपनियों, सामान्य बीमा कंपनियों (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों), पुनर्बीमा कंपनियों, एजेंसी चैनलों व बिचौलियों जैसे कॉर्पोरेट एजेंटों तथा दलालों सहित विभिन्न संस्थाओं को नियंत्रित करता है।
- IRDAI बीमा संचालन के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले नियमों तथा परिपत्रों को जारी करता है जिसमें पॉलिसीधारक संरक्षण, बीमाकर्ताओं का पंजीकरण और बिचौलियों का लाइसेंस, उत्पाद निकासी, लेखा अभ्यास, निवेश दिशानिर्देश, सॉल्वेंसी शामिल हैं।

आगे की राह:

बीमासुगम में ग्राहकों के लिए बीमा को अधिक सुलभ, कुशल और लागत प्रभावी बनाकर भारत में बीमा उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है। हालाँकि इसका सफल कार्यान्वयन तकनीकी प्रगति और नवाचार पर निर्भर करेगा।

5 भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने की उम्मीद- एशियाई विकास बैंक

चर्चा में क्यों?

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वर्ष (2023) के लिए भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 6.4% से घटाकर 6.3% कर दिया है।

संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान का कारण:

- कमजोर निर्यात और अनियमित वर्षा पैटर्न को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है जो कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- एडीबी ने इस वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान अप्रैल में लगाए गए 5% के पिछले अनुमान से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है।
- एडीबी ने निजी निवेश और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद करते हुए 2024-25 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा है।
- धीमा निर्यात और अनियमित वर्षा पैटर्न भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए चुनौतियाँ हैं। इस वर्ष के लिए संशोधित विकास पूर्वानुमान 6.3% है।
- अल नीनो से प्रभावित मानसूनी वर्षा के कारण मौसम का पैटर्न अनियमित हो गया है जिसमें कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कम बारिश भी शामिल है। इससे धान की फसल को नुकसान हुआ है और खरीफ सीजन में दालों की बुआई कम हुई है।

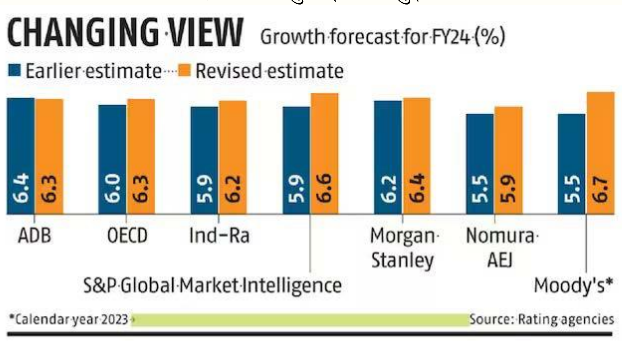

- एडीबी ने मानसून से संबंधित मुद्दों के कारण इस वर्ष के लिए अपने कृषि क्षेत्र की वृद्धि की उम्मीदों को लगभग 1% कम कर दिया है।
- पहली तिमाही में शुद्ध एफडीआई प्रवाह में गिरावट के बावजूद, एडीबी भारत में निवेश की संभावनाओं को लेकर आशावादी बना हुआ है।
- केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन से निवेश को बढ़ावा मिला है जिससे राज्य भी 78% तक निवेश बढ़ा रहे हैं।
- निजी पूंजीगत व्यय के संकेत पहली तिमाही में बैंक ऋण में 19% की वृद्धि, बैंकों के गैर-निष्पादित ऋणों में गिरावट और कई उद्योगों में क्षमता उपयोग दरों में बढ़ोतरी के साथ स्पष्ट हैं जिसका श्रेय अधिक अनुकूल नीतिगत माहौल को जाता है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में:

- एशियन डेवलपमेंट बैंक एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा गरीबी में कमी के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी जिसका परिचालन 1967 में शुरू हुआ था।
- इसका मुख्यालय मनीला (फिलीपींस) में है।
- एडीबी मुख्य रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों को सेवा प्रदान करता है जिसमें पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीप समूह शामिल हैं।
- एडीबी के 68 सदस्य देश हैं जिनमें एशियाई और गैर-एशियाई दोनों देश शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के सबसे बड़े उपदेशों में से हैं।
- एडीबी गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अपने प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है।

आगे की राह:

पहली तिमाही में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में गिरावट के बावजूद, एडीबी भारत में निवेश की संभावनाओं को लेकर आशावादी है। उन्हें उम्मीद है कि मजबूत घरेलू खपत, सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि और निजी निवेश में वृद्धि से विकास को गति मिलेगी।

6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाणपत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत दुनिया का 13वां देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी (OIML) जारी कर सकता है।

OIML प्रमाणपत्र के बारे में:

- OIML पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र वजन और माप की अंतरराष्ट्रीय बिक्री के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह वैश्विक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान संगठन (OIML):

- इसकी स्थापना 1955 में हुई थी जिसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत 1956 में OIML का सदस्य बना।
- OIML एक अंतर्राष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकाय है। यह कानूनी मेट्रोलॉजी प्राधिकरणों तथा उद्योग द्वारा उपयोग के लिए मॉडल विनियम, मानक तथा संबंधित दस्तावेज विकसित करता है।
- यह नैदानिक थर्मामीटर, अल्कोहल सांस विश्लेषक, रडार गति मापने वाले उपकरण, बंदरगाहों पर पाए जाने वाले जहाज टैंक और पेट्रोल वितरण इकाईयों जैसे मापने वाले उपकरणों के प्रदर्शन पर राष्ट्रीय कानूनों तथा विनियमों को सुसंगत बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- अन्य देश जो यह प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं जिनमें वे ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूके, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया शामिल हैं।

महत्त्व:

- इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक प्रकार से मदद मिलेगी जिसमें निर्यात में वृद्धि और विदेशी मुद्रा का अर्जन शामिल है।
- इसके माध्यम से बीपी मीटर, ऑक्सीमीटर और कपड़े के तराजू

जैसे वजन तथा माप उपकरणों के घरेलू निर्माता अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने से पहले उपकरणों का परीक्षण भारत में ही करा सकेंगें।

- इससे अतिरिक्त परीक्षण शुल्क को रोका जा सकेगा और लागत बचत में मदद मिलेगी।
- इसके अलावा भारत अपने प्रमाणित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (RRSLs) से विदेशी निर्माताओं को ओआईएमएल पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिससे विदेशी मुद्रा से आय उत्पन्न हो सकती है।
- सुव्यवस्थित प्रमाणन प्रक्रिया से अतिरेक कम होगा तथा मूल्यवान संसाधनों की बचत होगी जिससे प्रमाणन प्रक्रिया और अधिक कुशल हो जाएगी।

आगे की राह:

OIML नीति-निर्माण में भारत की भागीदारी और ओआईएमएल प्रमाणपत्रों की मान्यता विश्व स्तर पर प्राप्त होगा तथा प्रमाणपत्रों के आधार पर राष्ट्रीय-प्रकार के अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा को बढ़ाएगी।

7 पहली तिमाही की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रही- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल, मई, जून) के लिए आर्थिक वृद्धि के आंकड़े जारी किए जिससे पता चला है कि Q1 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी है।

भारत की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि:

- FY24 के अप्रैल से जून तक जीडीपी विकास दर को कवर करने वाले Q1 डेटा में 8% की नाममात्र विकास दर और 7.8% की वास्तविक विकास दर का दावा किया गया है।

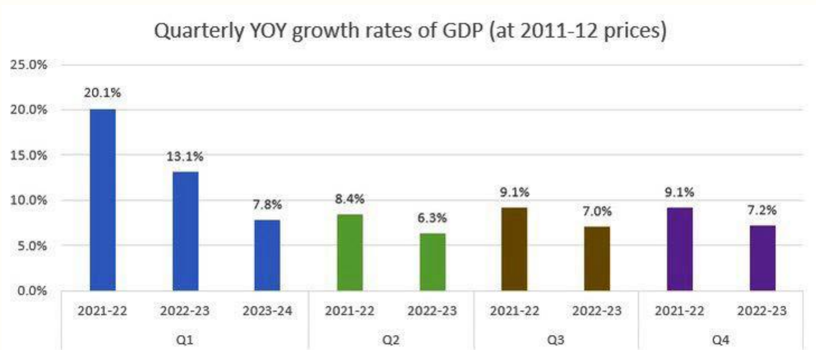

- कृषि क्षेत्र में वर्तमान में 3.5% की दर से वृद्धि देखी जा रही है। हालाँकि, अल-नीनो घटना के दबाव के कारण इसके बरकरार रहने की संभावना नहीं है।
- वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं सहित सेवा उद्योग 12.2% की दर से बढ़ रहा है।
- चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर लगभग 6.5% रहने की उम्मीद है।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना:

- जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम कीमतों का योग है।
- इसकी गणना उत्पादन संरचना में परिवर्तन, सापेक्ष मूल्य निर्धारण और आर्थिक गतिविधि के बेहतर दस्तावेजीकरण के लिए नियमित आधार पर की जाती है।

जीडीपी वृद्धि दर के लिए एनएसओ द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि:

- एनएसओ ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए व्यय विधि के स्थान पर आय दृष्टिकोण को चुना है।
- **आय दृष्टिकोण:** इस पद्धति में उत्पादन के कारकों जैसे वेतन, लाभ, किराया और ब्याज से सभी राष्ट्रीय आय का योग शामिल है। इसमें कर, मूल्यह्रास और शुद्ध विदेशी कारक आय जैसे अन्य तत्व भी शामिल हैं।
- **व्यय दृष्टिकोण:** इसके विपरीत व्यय दृष्टिकोण उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात सहित अर्थव्यवस्था के सभी व्ययों को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है।

भारत के विकास आंकड़ों को प्रभावित करने वाले कारक:

- **विकास के आंकड़ों में विसंगति:** आय दृष्टिकोण के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% बताई गई है, जबकि व्यय दृष्टिकोण 4.5% की वृद्धि दर का सुझाव देता है। यह विसंगति इस्तेमाल की गई विधियों की सटीकता और निरंतरता पर सवाल उठाती है।
- **मूल्य अपस्फीतिकारक का उपयोग करके मुद्रास्फीति समायोजन:** मूल्य अपस्फीतिकारक का उपयोग विकास के आंकड़ों को समायोजित करने के लिए किया जाता है। जब वे या तो मुद्रास्फीति से अधिक या कम बताए गए होते हैं।
- **विनिमय दर पर प्रभाव:** भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। कमजोर रुपये से आयात लागत बढ़ सकती है, विशेषकर कच्चे पेट्रोलियम जैसी वस्तुओं के लिए।
- **कच्चे तेल की कीमतें:** तेल की बढ़ती कीमतें भारत के आयात बिल को बढ़ा सकती हैं जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है।

आगे की राह:

महामारी के बाद के युग में भारत के आर्थिक सुधार को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए इन कारकों की निगरानी करना तथा उन्हें उचित रूप से संबोधित करना महत्त्वपूर्ण होगा।

1 नुआखाई महोत्सव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा में नुआखाई नामक कृषि त्यौहार कालाहांडी जिले के बहादुरपदर, पालकापाड़ा और पथरला गांवों में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। यह चार चरणों में आयोजित होने वाला 40 दिनों का महोत्सव है।

नुआखाई महोत्सव से सम्बंधित मुख्य बातें:

- नुआखाई एक संबलपुरी त्यौहार है जो पश्चिमी ओडिशा में अत्यधिक लोकप्रिय है। यह क्षेत्र आदिवासी लोगों की घनी आबादी वाला है।
- इस अवसर पर मग बारा, रस बारा, मग माडा, सूजी माडा, चैल माडा, काकरा पीठा, खीरी, दालमा दाल सहित अन्य पारंपरिक उड़िया व्यंजन जैसे रसगुल्ला, जलेबी और पायस तैयार किए जाते हैं।
- ओडिशा के बोलनगिरी में पाटनेस्वरी, सोनपुर में सुरेश्वरी, सुंदरगढ़ में शेखरबासिनी तथा कालाहांडी के मणिकेश्वरी में नुआखाई त्यौहार बहुत धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है।
- इस दिन लोग अपने संबंधित देवताओं को नई कटी हुई 'नबान्हा' फसल चढ़ाते हैं, जबकि संबलपुर में देवी समलेश्वरी की पूजा की जाती है।
- नुआखाई का शाब्दिक अर्थ है 'नुआ' या नया और 'खाई' का अर्थ है खाना।
- यह त्यौहार हमारी संस्कृति में एकता, भाईचारा और जुड़ाव को दर्शाता है।
- यह त्यौहार लोक गीतों, नृत्यों, स्थानीय संस्कृति और समाज के विभिन्न परंपरा को व्यक्त करने वाले नाटक के साथ संपन्न होता है।

नुआखाई का उद्देश्य:

- इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को गति देना है। यह गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद किसानों द्वारा मनाया जाता है।
- इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग नए कपड़े पहनकर, प्रार्थना करके और विशेष भोजन बनाकर त्यौहार मनाने के लिए एक विशेष स्थान पर इकट्ठा होते हैं।
- इस त्यौहार की उत्पत्ति वैदिक काल से हुई है जहाँ ऋषि पंचयज्ञ पर चर्चा करते थे। यह यज्ञ नई फसल काटने और देवी मां की प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है।
- इस उत्सव का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को कृषि की प्रासंगिकता और देश के विकास में किसानों की भूमिका के बारे में सीख प्रदान करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- इस त्यौहार को 12वीं शताब्दी ईस्वी से मनाने की एक परंपरा रही है। लोग इस त्यौहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। यह त्यौहार राजा रामाई देव द्वारा पाटनागढ़ में मनाया जाता है जो अब ओडिशा के बोलांगीर जिला में पड़ता है।
- उस समय के राजा राज्य के आर्थिक विकास में कृषि के महत्त्व को समझते थे। इसलिए उन्होंने पश्चिमी ओडिशा में शिकार और संग्रहण की प्रथा को कृषि आधारित जीवन शैली में बदलना सुनिश्चित किया।

आगे की राह:

इस त्यौहार के दौरान क्षेत्र के लोग भरपूर फसल, अच्छी बारिश और खेती के लिए अनुकूल मौसम हेतु आभार व्यक्त करने के लिए अपने ईष्ट देवताओं की पूजा करते हैं।

2 ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। लगभग छह साल पहले संकल्पित 'स्टैच्यू ऑफ वननेस' में शंकराचार्य को 12 साल के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है।

प्रतिमा के बारे में:

- यह बारह ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है जिसे शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है।
- 100 टन वजनी इस मूर्ति के डिजाइन की परिकल्पना चित्रकार वासुदेव कामथ ने की थी जिन्हें राजा रवि वर्मा के शंकराचार्य के चित्रण से प्रेरणा मिली थी।

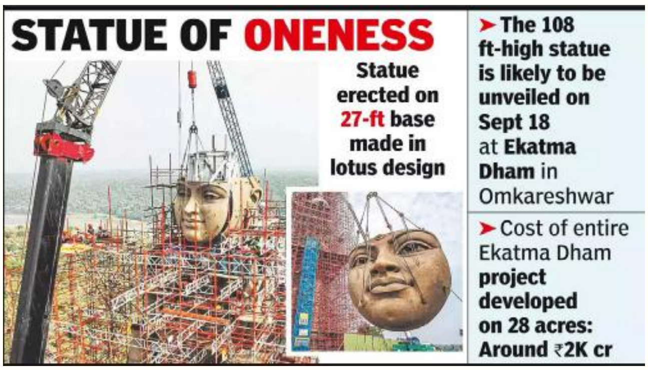

- धातु की ढलाई चीन के नानचांग शहर में की गई और कई बैचों में मुंबई भेजी गई।
- 75 फुट के मंच पर स्थापित यह मूर्ति कांस्य से बनी है जिसमें 88% तांबा, 4% जस्ता और 8% टिन है। इसकी आंतरिक संरचना उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनी है।
- लगभग छह साल पहले संकल्पित 'स्टैच्यू ऑफ वननेस' में शंकराचार्य को 12 साल के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है।

➢ 2,200 करोड़ रुपये के 'अद्वैत लोक' की आधारशिला भी रखी गयी जिसमें एक संग्रहालय होगा जो ओंकारेश्वर मांधाता पहाड़ी पर स्थित है जहां से नर्मदा नदी दिखाई देती है।

➢ संग्रहालय में एक 3डी होलोग्राम प्रोजेक्शन गैलरी, नौ प्रदर्शनी गैलरी, एक इनडोर वाइड-स्क्रीन थिएटर और अद्वैत नर्मदा विहार नामक एक सांस्कृतिक नाव की सवारी शामिल होगी।

आदि शंकराचार्य के बारे में:

➢ वह एक भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री, शंकर (जगतगुरु) थे तथा प्राचीन हिंदू धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे।

➢ आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है।

➢ उन्होंने गुरु गोविंद भगवतपाद से मार्गदर्शन लिया जिनके अधीन उन्होंने 'गौड़पादीयकारिका', 'ब्रह्मसूत्र', वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया।

➢ शंकर ने 'अद्वैत वेदांत' और 'दशनामी संप्रदाय' का प्रचार किया।

➢ **अद्वैत वेदांत**- यह वेदांत का एक संस्करण है जिसका अनुवाद अद्वैतवाद के रूप में किया गया है।

आगे की राह:

इस परियोजना को 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग को 'इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन को भी भारी बढ़ावा मिलेगा जिसके तहत भविष्य में हर दिन 1.5 से 2 लाख से अधिक लोगों की आवाजाही की उम्मीद है।' उज्जैन, महेश्वर और मांडू के साथ यह क्षेत्र एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पर्यटन सर्किट बन सकता है।

3 शांतिनिकेतन और होयसल मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिम बंगाल का शांतिनिकेतन (41वां) तथा कर्नाटक का होयसल मंदिर (42वां) यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किये गए जो कि भारत के लिए 'अधिक गर्व' की बात है।

शांतिनिकेतन के बारे में:

➢ शांतिनिकेतन को भुबडांगा के नाम से जाना जाता था।

➢ शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक शहर है।

➢ 1862 में देबेंद्रनाथ टैगोर ने लाल मिट्टी और हरे-भरे धान के खेतों का परिदृश्य देखा जहां एक 'आश्रम' बनाने का फैसला किया।

➢ यहीं पर शांतिनिकेतन की स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी।

➢ शांतिनिकेतन का अर्थ 'शांति का निवास' है जिसका कार्य 1901 में प्रारम्भ हुआ था, यहीं पर टैगोर ने बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी।

➢ कवि ने इसे 'जहां दुनिया घोंसले में घर बनाती है' के रूप में वर्णित किया है।

होयसल मंदिर के बारे में:

➢ 'होयसल के पवित्र समूह' 15 अप्रैल, 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हैं।

➢ होयसल मंदिर पहले से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षित स्मारक हैं।

➢ होयसल मंदिर एक मौलिक द्रविड़ आकृति विज्ञान को दर्शाते हैं जो मध्य भारत में प्रचलित भूमिजा शैली, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत की नागर परंपराओं और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्नाटक द्रविड़ शैलियों के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं।

➢ इनका निर्माण होयसल साम्राज्य द्वारा किया गया था जिसने 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था।

➢ होयसल राजा कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई मंदिरों और अन्य धार्मिक संरचनाओं का निर्माण किया।

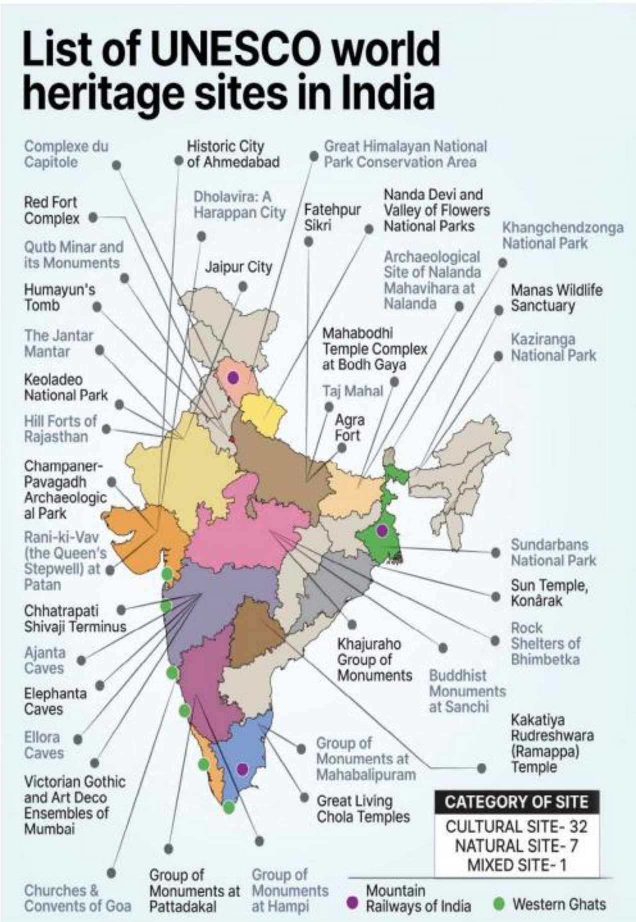

यूनेस्को के बारे में:

➢ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है।

➢ इसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

➢ यूनेस्को की स्थापना 1945 में राष्ट्र संघ की बौद्धिक सहयोग पर

अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी।

- इसमें 193 सदस्य देश और 11 सहयोगी सदस्य हैं, साथ ही गैर-सरकारी, अंतर-सरकारी तथा निजी क्षेत्र में भी भागीदारी समूह शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में स्थित है।
- यह पांच प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्रों के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करता है:
  - शिक्षा
  - प्राकृतिक विज्ञान
  - सामाजिक/मानव विज्ञान
  - संस्कृति
  - संचार/सूचना

आगे की राह:

जब कोई देश विश्व धरोहर सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता बन जाता है और उसके स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है, तो इससे अक्सर उसके नागरिकों तथा सरकार दोनों के बीच विरासत संरक्षण के लिए मान्यता और प्रशंसा बढ़ जाती है। इसके अलावा देश इन बहुमूल्य स्थलों की सुरक्षा के उद्देश्य से प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विश्व धरोहर समिति से वित्तीय सहायता और विशेषज्ञ मार्गदर्शन का लाभ उठा सकता है।

4 जीपीएस ट्रैकर द्वारा जेल में भीड़-भाड़ कम करने का सुझाव

चर्चा में क्यों?

गृह मामलों की संसदीय समिति ने 'जेल-स्थितियाँ, बुनियादी ढाँचा और सुधार' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस संसदीय समिति ने जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए जीपीएस ट्रैकर का सुझाव दिया है।

भारत में जेलों की स्थिति:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2021 के लिए प्रकाशित जेल सांख्यिकी के अनुसार, भारत में 1,319 जेल हैं जिनकी कुल क्षमता 4,25,609 कैदियों की है। वास्तविक कैदी 5,54,034 हैं जो दर्शाता है कि अधिभोग क्षमता दर 130.2% है। इसी स्थिति को देखते हुए समिति अभिनव उपायों का सुझाव दे रही है।

सिफारिशें:

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** जमानत को अक्सर तीन प्राथमिक कारणों से अस्वीकार कर दिया जाता है:
  - विचाराधीन कैदी गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
  - देश से भागने का प्रयास कर सकता है।
  - अतिरिक्त अपराध कर सकता है।
- इस समस्या को दूर करने के लिए पैनल का कहना है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग लागत प्रभावी ब्रेसलेट या पायल ट्रैकर बनाने के लिए किया जा सकता है जिन्हें उन कैदियों द्वारा पहना जा सकता है जिन्होंने जमानत ले ली है और जमानत पर जेल से बाहर हैं।
- हालाँकि इस पद्धति का उपयोग कैदियों की सहमति प्राप्त करने के बाद स्वैच्छिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्यों को सलाह दी थी कि वे अधिकतम सात साल की सजा वाले अपराधों के लिए अपराधियों को गिरफ्तार न करें।

चिंताएँ:

- सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि यह विचाराधीन कैदी की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है जो एक मौलिक अधिकार है।
- एक बार जब विचाराधीन कैदी को जीपीएस का उपयोग करके ट्रैक किया जाता है तो उसका डेटा सर्वर में सहेजे जाने की संभावना होती है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम अज्ञात डेटा या गैर-व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को कवर नहीं करता है।
- इसकी बैटरी को काम करते रहने के लिए नियमित रूप से चार्ज करना पड़ता है।
- जीपीएस ट्रैकर तकनीकी गड़बड़ियों के प्रति संवेदनशील होते हैं।

आगे की राह:

भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था की विसंगतियों को देखते हुए यह अभिनव विचार भारतीय जेलों में विचाराधीन एवं कम सजा वाले कैदियों की संख्या में कमी ला सकती है, साथ ही कैदियों की सामाजिक अलगाव की समस्या का निदान किया जा सकता है। इससे जुड़ी चिंताएं कैदियों की निजता पर संकट एवं तकनीकी गड़बड़ियों का समाधान आवश्यक है।

5 भारतीय लाइटहाउस महोत्सव

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने 23 सितंबर 2023 को पणजी के ऐतिहासिक किले अगुआड़ा में 'भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव' के पहले संस्करण का उद्घाटन किया।

प्रकाशस्तंभ क्या है?

- प्रकाशस्तंभ या लाइटहाउस एक टावर, इमारत या अन्य प्रकार की भौतिक संरचना होती है जिसे लैंप और लेंस की एक प्रणाली से प्रकाश उत्सर्जित करने तथा समुद्र या अंतर्देशीय जलमार्गों पर समुद्री पायलटों की नेविगेशनल सहायता के लिए एक बीकन के रूप में काम करने हेतु डिजाइन किया गया है।
- लाइटहाउस अधिनियम 1927 को निरस्त करके समुद्री परिवहन के लिए समुद्री सहायता अधिनियम 2021 लागू किया गया है। इसी अधिनियम के तहत हेरिटेज लाइट हाउस का प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य:

- यह महोत्सव 'लाइटहाउस हेरिटेज टूरिज्म' अभियान का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में 75 ऐतिहासिक लाइटहाउसों को

पुनर्जीवित करना और उन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देना है।

- इस पहल का उद्देश्य इन शानदार संरचनाओं की समृद्ध संस्कृति, महत्त्व और आकर्षण को प्रदर्शित करना है जिससे वे पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा दे सकें तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान कर सकें।

लक्ष्यः

- भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का लक्ष्य ऐतिहासिक स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों में विकसित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मार्ग हेतु आधार तैयार करने के लिए भारतीय लाइटहाउस महोत्सव का लाभ उठाना है। लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय ने पहले ही 75 ऐसे लाइटहाउस की पहचान की थी। यह त्यौहार हमारी समुद्री विरासत का जश्न मनाने और संरक्षित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।

पहले लाइटहाउस महोत्सव का आकर्षणः

- भारत के पहले लाइटहाउस फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक प्रदर्शनियां, समुद्री इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डालने वाले सत्र, शास्त्रीय प्रदर्शन, प्रकाश तथा ध्वनि शो, सेलिब्रिटी गायकों के साथ मधुर शाम व तट के साथ सामुदायिक जुड़ाव हैं।

आगे की राहः

'लाइटहाउस फेस्टिवल' एक शानदार उत्सव है जो समय और सुंदरता के माध्यम से एक मनोरम यात्रा होने का वादा करता है। एक यात्रा जो समुद्री इतिहास के छिपे हुए रत्नों को उजागर करके देश के ऐतिहासिक प्रकाशस्तंभों की अनकही कहानियों को उजागर करेगी। ऐसे प्रकाशस्तंभों को शैक्षिक, सांस्कृतिक और पर्यटन उद्देश्यों के लिए विकसित किया जाएगा।

6 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान पुरस्कारों की चार श्रेणियों की घोषणा की जो विज्ञानरत्न, विज्ञानश्री, विज्ञानयुवा-शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम हैं।

इस पुरस्कार का उद्देश्यः

- राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों तथा नवप्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या टीमों में किए गए उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान को मान्यता देना है।

पुरस्कार श्रेणियाँः

- **विज्ञानरत्न (वीआर) पुरस्कारः** यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में की गई जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।
- विज्ञानश्री (वीएस) पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
- विज्ञानयुवा-शांति स्वरूपभटनागर (वीवाई-एसएसबी) पुरस्कार 45 वर्ष की आयु तक के युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करेगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो।
- विज्ञान टीम (वीटी) पुरस्कार तीन या अधिक वैज्ञानिकों/शोध कर्ताओं/नवप्रवर्तकों की एक टीम को दिया जाएगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में एक टीम में काम करके असाधारण योगदान दिया हो।

RATIONALISATION OF SCIENCE AWARDS

National Science Awards will be given in four categories

Vigyan Ratna: For lifetime achievements & contributions	Vigyan Shri: For distinguished contributions	Vigyan Yuva-Shanti Swarup Bhatnagar: Recognize & encourage young scientists up to the age of 45 years who made an exceptional contribution

Vigyan Team: Award to be given to a team comprising three or more scientists/ researchers/ innovators who have made an exceptional contribution

➤ There will be total 56 awards in these four categories put together	➤ There will be no cash component in these awards	➤ Awards will have a 'Sanad' and a medal each	➤ Awards will be given in the 13 domains of science

- **अनुशासनात्मक क्षेत्रः** राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 डोमेन में दिया जाएगाः
  - भौतिकी
  - रसायन विज्ञान
  - जैविक विज्ञान
  - गणित और कंप्यूटर विज्ञान
  - पृथ्वी विज्ञान
  - दवा
  - इंजीनियरिंग विज्ञान
  - कृषि विज्ञान
  - पर्यावरण विज्ञान
  - प्रौद्योगिकी और नवाचार
  - परमाणु ऊर्जा
  - अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी
  - 13 वीं श्रेणी मे 'अन्य' है।

आयु सीमाः

- अधिकांश पुरस्कारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, सिवाय विज्ञानयुवा-शांति स्वरुपभटनागर पुरस्कारों के, जहां प्राप्तकर्ता 45 वर्ष या उससे कम आयु का होना चाहिए।

पुरस्कार अनुसूचीः

- आरवीपी पुरस्कारों की घोषणा सालाना 11 मई (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस) पर की जाएगी और पुरस्कार समारोह 23 अगस्त (राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस) आयोजित किया जाएगा। इन सभी पुरस्कारों में एक सनद और एक पदक होगा।

प्रशासनः

- पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये जायेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान

पुरस्कार पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति (आरवीपीसी) के समक्ष रखे जाएंगे जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) करेंगे जिसमें विज्ञान विभागों के सचिव, विज्ञान और इंजीनियरिंग अकादमियों के सदस्य, विज्ञान-प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीविद् शामिल होंगे।

पुरस्कारों में कमी:

- आरवीपी पुरस्कार केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा पहले दिए गए लगभग 300 विज्ञान पुरस्कारों में महत्त्वपूर्ण कमी की हैं। केवल कुछ अपवादों को छोड़कर, इनमें से अधिकांश पुरस्कार बंद कर दिए गए हैं।
- आरवीपी पुरस्कार की शुरूआत 2024 में होने की संभावना है।

आगे की राह:

इन पुरस्कारों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और आयु समूहों में भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में योगदान को पहचानना और सम्मानित करना है।

7 संविधान सदन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नए संसद भवन के पहले सत्र के आयोजन से कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भवन के गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुराने संसद भवन को 'संविधान सदन' का नया नाम दिया गया है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पीएम मोदी ने यह नाम रखने का सुझाव दिया था।

नई संसद भवन:

- नई संसद में छह प्रवेश द्वार हैं जिनमें से प्रत्येक द्वार एक अलग भूमिका दर्शाता है। सभी छह प्रवेश द्वारों पर शुभ जानवरों की लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां भारतीय संस्कृति में उनके महत्त्व, उनकी सौंदर्य उपस्थिति, सकारात्मक गुणों और वास्तु शास्त्र के अध्ययन के आधार पर 'अभिभावक मूर्तियों' के रूप में स्थापित की गई हैं।

सांस्कृतिक प्रतीकवाद:

- **गज:** उत्तर के प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए एक हाथी या गज की मूर्ति स्थापित की गई है क्योंकि यह जानवर ज्ञान और धन, बुद्धि तथा स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह निर्वाचित लोगों की आकांक्षाओं का भी प्रतीक है।
- **अश्व:** दक्षिणी प्रवेश द्वार पर सतर्क तथा तैयार खड़ा अश्व शक्ति और गति का प्रतीक है जो शासन की गुणवत्ता का वर्णन करता है।
- **गरुड़:** ईगल जैसा गरुड़ पूर्वी औपचारिक प्रवेश द्वार पर खड़ा है जो देश के लोगों और प्रशासकों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। वास्तु शास्त्र में पूर्वी दिशा उगते सूरज से जुड़ी है जो आशा, जीत की महिमा और सफलता का प्रतिनिधित्व करती है।
- **मकर:** एक पौराणिक जलीय जीव मकर विभिन्न जानवरों के शारीरिक अंगों को जोड़ता है जो देश के लोगों के बीच विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है।
- **शार्दुला:** शार्दुला को सबसे शक्तिशाली, सभी जीवित प्राणियों में अग्रणी कहा जाता है जो देश के लोगों की शक्ति का प्रतीक है।
- **हम्सा:** लोकतंत्र में लोगों का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण विवेक से पैदा हुई विवेक और आत्म-बोध की शक्ति होती है। इसके अनुसार, उत्तर पूर्व के सार्वजनिक प्रवेश द्वार पर हम्सा या हंस लोगों को इस आवश्यक विशेषता की याद दिलाएगा।

औपचारिक प्रवेश द्वार:

- इन छह प्रवेश द्वारों में से तीन को विशेष मेहमानों के स्वागत और विशेष आयोजनों को चिह्नित करने के लिए औपचारिक प्रवेश द्वार के रूप में डिजाइन किया गया है। ये औपचारिक प्रवेश द्वार भारतीय कला, संस्कृति, लोकाचार और देशभक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें क्रमशः ज्ञान, शक्ति और कर्म नाम दिया गया है जो भारतीय ज्ञान प्रणाली, देशभक्ति तथा कलात्मक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लोकसभा:

- नए लोकसभा कक्ष में एक मोर विषयवस्तु को अपनाया गया है जिसमें दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किये गए हैं जो टील कार्पेट से सुसज्जित हैं। लोकसभा कक्ष में 888 सीटें होंगी।

राज्यसभा:

- राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। राज्यसभा कक्ष अब 384 संसद सदस्यों को समायोजित कर सकता है जिससे नये संसद भवन की क्षमता बढ़कर 1,272 हो जाएगी। परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या में भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि को ध्यान में रखकर दोनों कक्षों की क्षमता को पहले से अधिक किया गया है।
- लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर दो सांसद बैठ सकेंगे और प्रत्येक सांसद की डेस्क पर टच स्क्रीन होगी।

संविधान सभागार:

- नए भवन में एक संविधान सभागार बनाया गया है जहाँ भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है।
- नई संसद के पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण के अनुसार सभी रिकॉर्ड 'सदन की कार्यवाही, प्रश्न और अन्य व्यवसाय' को डिजिटाइज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टैबलेट और आईपैड इस दिशा में एक आदर्श प्रदर्शित करेंगे।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

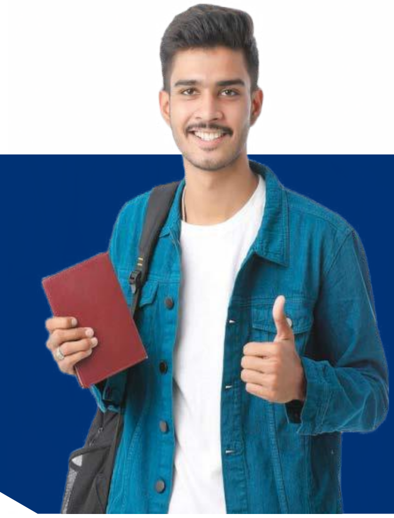

20 Years of Trust

Success is Our Tradition

4500+ Selections in IAS & PCS

ADMISSIONS OPEN FOR

Offline / Online Courses

GENERAL STUDIES | CSAT | OPTIONAL SUBJECTS
MAIN TEST SERIES FOR IAS & PCS

Looking to crack **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination**. Look no further than Dhyeya IAS! Our comprehensive preparation program offers everything you need.

Expert lectures from experienced subject specialists

Dedicated mentors to guide you through every step of the process and answer your questions

Special lectures from top experts in the field

Holistic PMI (Prelims, Mains, and Interview) tests to prepare you for every stage of the exam

Complete coverage of current affairs to keep you up-to-date on the latest news and trends

Daily answer writing practice with expert guidance

Join the many successful candidates who have benefited from Dhyeya IAS's proven approach for **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination.** *Contact us today to learn more*

FOR OFFLINE COURSES, CALL RESPECTIVE CENTRE

Available Optional Subjects

- HISTORY
- POLITICAL SCIENCE & IR
- GEOGRAPHY
- SOCIOLOGY

UPSC PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

UP-PCS PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

BPSC PRELIMS & MAINS
GS & OPTIONAL TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

FORTNIGHTLY AVAILABLE PERFECT 7 MAGAZINE FOR COMPREHENSIVE COVERAGE OF CURRENT AFFAIRS

FOR ONLINE COURSES CALL 9205274741 / 42

Delhi (Mukherjee Nagar): Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: **9289580074/75** • Delhi (Laxmi Nagar): 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: **9205212500/9205962002** • Greater Noida: Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: **9205336037/38** • Prayagraj: SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: **0532-2260189/8853467068** • Lucknow (Aliganj): A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: **9506256789/7570009002** • Lucknow (Gomti Nagar): Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: **7234000501/ 7234000502** • Lucknow (Alambagh): Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: **7518373333/7518573333** • Kanpur: 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: **7887003962/7897003962** • Gorakhpur: Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: **0551-2200385/7080847474**

ऑपरेशन सजग

हाल ही में ऑपरेशन सजग नामक तटीय सुरक्षा सैन्य अभ्यास पश्चिमी तट पर भारतीय तट रक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया। यह अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगा और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाएगा।

ऑपरेशन सजग के बारे में:

- इस अभ्यास के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने वाली सभी नौकाओं के दस्तावेजों और चालक दल के पासों की व्यापक जांच तथा सत्यापन किया गया।
- इस अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाजों ने भाग लिया।
- इस अभ्यास में तटीय सुरक्षा निर्माण को मजबूत करने के लिए मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जारी किया जायेगा। प्रत्येक राज्य के अनुसार मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रंग कोडिंग, मछली लैंडिंग केंद्रों की व्यवस्था और प्रवेश एवं निकास जांच बिंदुओं पर पहुंच नियंत्रण जैसे कई उपाय शामिल किए जायेंगे।
- इस दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियों को बायोमेट्रिक कार्ड रीडर भी जारी किए गए हैं। इससे तटीय सुरक्षा निर्माण के तहत द्वीप सुरक्षा और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों को संस्थागत बनाया गया है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष (PDUNWFS)

हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री द्वारा नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्सपर्सन (PDUNWFS) के तहत खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- इस कोष की स्थापना 1982 में गरीब परिस्थिति के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी जिन्होंने खेलों में देश को गौरवान्वित किया था जो गरीब और जरूरतमंद परिवार से सम्बन्ध रखते हैं।
- यह योजना खेल उपकरण और प्रशिक्षण की खरीद में मदद करेगी। हालाँकि अब तक 270 खिलाड़ियों को लगभग 8 करोड़ 15 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है।
- यह योजना गरीब परिस्थितियों में रहने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों, कोचों और उनके परिवार के सदस्यों की स्थिति में सुधार करेगी जो चिकित्सा उपचार व खरीद जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जाएगी।
- इस योजना के लिए आवेदक को एक कार्यरत या सेवानिवृत्त व्यक्ति (खेल डॉक्टर, खेल मनोवैज्ञानिक, खेल सलाहकार, फिजियोथेरेपिस्ट, मालिश करने वाले, कोच, सहायक कर्मी, अंपायर, रेफरी या मैच अधिकारी) होना चाहिए।

उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा (PTP-NER 2.0)

हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TRIFED) ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु चरण 2 (PTP-NER 2.0) योजना की शुरुआत किया है।

योजना से सम्बंधित मुख्य बातें:

- इस पहल का उद्देश्य आदिवासी कारीगरों को और अधिक सशक्त बनाना जिससे देश के अन्दर अथवा बाहर वैश्विक मंच पर उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जा सके।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत कपड़ा, वन उपज, बांस की वस्तुएं, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग और 3,115 से अधिक जनजातीय उत्पादों की खरीद की जाएगी।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रौद्योगिकी अपनाने और प्रभावी विपणन तथा आकर्षक पैकेजिंग के माध्यम से बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके आदिवासी कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है।
- इस योजना के प्रथम चरण में 8 राज्यों और 38 जिलों को शामिल किया गया।
- 64 जनजातीय कारीगरों के पैनल मेलों (TAEM) का आयोजन ट्राइफेड और उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम (NEHHDC) की टीमों द्वारा किया गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान सम्मेलन

हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस दो दिवसीय सम्मेलन में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों तथा पेरिस सिद्धांतों की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई।

सम्मेलन से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- इसका आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा एशिया प्रशांत फोरम (APF) के सहयोग से विज्ञान भवन में किया गया।
- इस अवसर पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर एक उप-विषय आयोजित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने व्यवसाय और मानवाधिकार पर भी एक सेमिनार का आयोजन किया।
- इस सम्मेलन में 23 देशों और पांच पर्यवेक्षक देशों के एनएचआरआई के प्रमुख, सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों, राज्य मानवाधिकार आयोगों, विशेष प्रतिवेदकों, मॉनिटरों, संरक्षण तथा प्रचार में शामिल विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
- इसके मुख्य उदेश्यों में जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और व्यापार में सामंजस्य स्थापित करना तथा 'व्यापार एवं उद्योग में मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना' शामिल हैं।

लंदन इंडिया क्लब

हाल ही में लंदन का ऐतिहासिक इंडिया क्लब (जो कभी राष्ट्रवादियों का केंद्र था) को बंद कर दिया गया है। इस क्लब की स्थापना 1950 के दशक में भारतीय प्रवासियों के मिलने और मेलजोल के लिए एक स्थान के रूप में की गई थी।

मुख्य बिंदु:

- इंडिया क्लब दशकों से लंदन के दक्षिण एशियाई समुदाय के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व रखता है।
- इस क्लब के संस्थापक सदस्य कृष्ण मेनन थे जो ब्रिटेन में स्वतंत्र भारत के पहले उच्चायुक्त बने।
- इंडिया क्लब ब्रिटेन के शुरुआती भारतीय रेस्तरां में से एक था और भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह ब्रिटिश दक्षिण एशियाई समुदाय के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ।
- यह क्लब लंदन में विभिन्न भारतीय संगठनों जैसे द इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन और इंडियन सोशलिस्ट ग्रुप के लिए एक संगठन के रूप में कार्य करता था।
- कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण यूके के कई रेस्तरां के व्यवसाय प्रभावित हुए और रहने की लागत के संकट के बीच किराए में तेजी से बढ़ोतरी हुई। ऐसे में इंडिया क्लब को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ।

सरोजा वैद्यनाथन का निधन

हाल ही में 86 वर्षीय भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का कैंसर से निधन हो गया। इन्हें 2002 में पद्म श्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

सरोजा वैद्यनाथन के बारे में:

- सरोजा वैद्यनाथन का जन्म 1937 को बेल्लारी कर्नाटक में हुआ था। इन्होंने चेन्नई के सरस्वती गण निलयम के भरतनाट्यम में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया था।
- वैद्यनाथन को कोरियोग्राफी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। इन्होंने भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत में भी विशेष भूमिका का निर्वहन किया।
- यह मद्रास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पी. संबामूर्ति के अधीन कर्नाटक संगीत का भी अध्ययन किया है और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ से नृत्य में डी.लिट की उपाधि प्राप्त की।
- वैद्यनाथन दिल्ली सरकार के साहित्य कला परिषद सम्मान तथा तमिलनाडु इयाल इसाई नाटक मनराम द्वारा प्रदत्त 'कलिमामणि उपाधि' तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की भी प्राप्तकर्ता हैं। इन्हें 2006 में 'भारत कलाई सुंदर' की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
- सरोजा जी ने 'गणेशा नाट्यालय' की स्थापना की जहां नृत्य के अलावा छात्रों को तमिल हिंदी और कर्नाटक संगीत भी सिखाया जाता है।

वैज्ञानिक स्वाति नायक ने नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जीता

हाल ही में ओड़िया वैज्ञानिक डॉ. स्वाति नायक को भोजन और पोषण के क्षेत्र में इनके कार्य एवं क्षेत्रीय अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई. बोरलॉग पुरस्कार के 2023 प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जनक डॉ. नॉर्मन ई बोरलॉग के सम्मान में रखा गया।
- अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) में बीज प्रणाली, उत्पाद प्रबंधन एवं दक्षिण एशिया के किसानों को मांग-संचालित चावल बीज प्रणालियों में शामिल करने के उनके अभिनव दृष्टिकोण को देखते हुए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- डॉ. नायक यह पुरस्कार पाने वाली तीसरी भारतीय और पहली उड़िया हैं।
- इन्होंने एशिया और अफ्रीका के पारिस्थितिकी तंत्रों में हजारों छोटे किसानों के साथ काम करते हुए, 500 से अधिक चावल की किस्मों के लिए 10,000 से अधिक व्यापक ऑन-फार्म परीक्षणों का आयोजन किया है।
- इनकी टीम ने सूखा चावल की किस्म 'शाहभागी धन' एवं बाढ़ की किस्म 'बीना धन-11' बनायी है जो प्रत्येक किसान परिवार के आहार और फसल चक्र का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। इसके लिए उन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा 'बिहाना दीदी' के नाम से जाना जाता है।

नासा के पहले क्षुद्रग्रह के नमूने पृथ्वी पर पहुंचे

हाल ही में नासा का एक अंतरिक्ष कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरे एक क्षुद्रग्रह की सतह से अब तक का सबसे बड़ा मिट्टी का नमूना लेकर यूटा रेगिस्तान में उतरा और खगोलीय नमूने को वैज्ञानिकों तक पहुंचाया।

मुख्य बातें:

- यह नासा का पहला क्षुद्रग्रह नमूना वापसी मिशन है जिसके माध्यम से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि हमारे ग्रह और सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, साथ ही उन जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई जिनके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ?
- NASA के OSIRIS-REx उत्पत्ति स्पेक्ट्रल व्याख्या संसाधन पहचान और सुरक्षा-रेगोलिथ एक्सप्लोरर अंतरिक्ष यान 2020 में बेन्नू क्षुद्रग्रह की सतह पर उतरा था चट्टान और धूल का एक नमूना एकत्र किया गया था।
- जापान ने इससे पहले 2020 में हायाबुसा-2 मिशन के दौरान पृथ्वी पर 0.2 औंस धूल लाने के बाद नासा को क्षुद्रग्रह रयुगु से कुछ प्राप्त हुए थे।

युद्ध अभ्यास-23

हाल ही में भारतीय सेना ने अलास्का में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास 2023' के 19वें संस्करण में भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना एवं दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना है।

युद्ध अभ्यास के मुख्य बिंदु:

- इस अभ्यास के संस्करण में 350 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी ने भाग लिया।
- इस युद्धभ्यास में भारत की ओर से प्रमुख बटालियन मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट तथा अमेरिका की ओर से 1 ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की 1-24 इन्फैंट्री बटालियन ने प्रतिभाग किया।
- इस अभ्यास के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के संचालन में अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के लिए सामरिक अभ्यासों की एक शृंखला का अभ्यास किया।
- इस अभ्यास का विषय संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के अध्याय 7 के तहत 'पर्वतीय/चरम जलवायु परिस्थितियों में एक एकीकृत युद्ध समूह का नियोजन' है।
- इस अभ्यास में लड़ाकू इंजीनियरिंग बाधा निवारण बारूदी सुरंग और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस सहित युद्ध कौशल के व्यापक स्पेक्ट्रम पर विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान भी शामिल है।

आईएनएस सह्याद्रि ने भारत-इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया

हाल ही में इंडो-पैसिफिक में तैनात भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई

नौसेना के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है।

अभ्यास से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- यह त्रिपक्षीय अभ्यास तीनों समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत और स्थिर करने तथा शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित इंडो-पैसिफिक का समर्थन करने के लिए अपनी सामूहिक क्षमता में सुधार करने का अवसर प्रदान करेगा।
- इस अभ्यास में रणविजय, कावारत्ती और सिंधुकेसरी के अलावा लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P8I की भी भागीदारी शामिल है।
- आईएनएस सह्याद्रि, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट-17 श्रेणी के मल्टीरोल स्टील्थ फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज, मझगांव डॉक लिमिटेड (मुंबई) में बनाया गया।
- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से इस सप्ताह 13वें इंडो-पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्क्लेव, 47वें इंडो-पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार और सीनियर एनलिस्टेड लीडर्स फोरम का भी आयोजन किया।
- दुनिया की आबादी का 64 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का योगदान 63 प्रतिशत और विश्व के वस्तु व्यापार में 46 प्रतिशत की महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ इंडो-पैसिफिक दुनिया में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रखता है।

चौथा 'नदी उत्सव' दिल्ली के यमुना घाट पर आयोजित

हाल ही में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन और जनपद सम्पदा प्रभाग द्वारा दिल्ली में यमुना नदी के तट पर चौथा 'नदी उत्सव' आयोजित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शामिल हुए जिनमें विभिन्न विषयों पर पर्यावरणविदों और विद्वानों के साथ विद्वतापूर्ण चर्चाएं फिल्मों की स्क्रीनिंग प्रख्यात कलाकारों की प्रस्तुतियों पर चर्चाएं शामिल थी।
- इस कार्यक्रम के दौरान प्राचीन ग्रंथों में नदियों का उल्लेख नदियों के किनारे सांस्कृतिक विरासत और लोक एवं सांस्कृतिक परंपराओं में नदियों का उल्लेख समेत कई विषयों पर चर्चा सत्र आयोजित किये गये।
- इस दौरान 18 फिल्में भी दिखाई गई जिनमें से 6 फिल्में आईजीएनसीए द्वारा निर्मित की गई।
- 'नदी उत्सव' नदी संस्कृति इसकी परंपरा अनुष्ठानों और ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने का एक प्रयास है। राष्ट्रीय सेमिनार में पांच शैक्षणिक सत्र हुए जिसमें वरिष्ठ विद्वानों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
- नदी उत्सव में तीन तरह की प्रदर्शनियां शामिल थीं जिसमें सांझी प्रदर्शनी देश के 16 घाटों पर आधारित हुई। इसके अलावा नदी सभ्यता से संबंधित फोटोग्राफी प्रदर्शनी और दिल्ली के स्कूली बच्चों द्वारा नदियों पर बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के प्रदर्शन कला के क्षेत्र के 84 कलाकारों को एकमुश्त संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए।

पुरस्कार से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदर्शन कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों शिक्षकों और विद्वानों को दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय सम्मान है।
- इसमें प्रतिष्ठित संगीतकारों नर्तकों थिएटर कलाकारों और विद्वानों के साथ-साथ भारत सरकार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामांकित व्यक्ति शामिल होते हैं।
- प्रत्येक पुरस्कार में रु. 100000 एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार समारोह का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में हुआ जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का प्रतीक है।
- यह पुरस्कार उन कलाकारों को प्रदान किया गया है जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है तथा प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान दिया गया है।

कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च

हाल ही में भारत सरकार ने कृषि-सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल (UPAg) लॉन्च किया है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह हितधारकों को

कृषि क्षेत्र में सूचित निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय और मानकीकृत डेटा प्रदान करेगा।

पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ:

- यह पोर्टल कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एक महत्त्वपूर्ण घटक है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र की विविधता और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में डेटा का उपयोग करना है।
- यह पहल भारत के कृषि क्षेत्र में स्मार्टनेस तथा पारदर्शिता लाएगा जो ई-गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
- यह एल्गोरिदम का उपयोग करके कमोडिटी प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करेगा, व्यक्तिपरकता को कम करेगा और उपयोगकर्ताओं को व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
- कृषि क्षेत्र में डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने तथा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया यह मंच, अधिक कुशल और उत्तरदायी कृषि नीति ढांचे की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन

हाल ही में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और देश में 'हरित क्रांति' के प्रमुख वास्तुकार, एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से मशहूर मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन का चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

स्वामीनाथन से सम्बंधित मुख्य बातें:

- इनका जन्म 7 अगस्त, 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था।
- स्वामीनाथन ने 1949 में आलू, गेहूं, चावल और जूट के आनुवंशिकी पर शोध करके अपना करियर शुरू किया। जब भारत बड़े पैमाने पर अकाल के कगार पर था जिसके कारण खाद्यान्न की कमी हो गई थी, स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग और अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म के बीज विकसित किए।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इन्हें 'आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक' के रूप में जाना जाता है।
- भारत में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को विकसित करने और उनका नेतृत्व करने के लिए उन्हें 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की।
- इन्हें 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
- इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया।
- टाइम पत्रिका द्वारा इन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक नामित किया गया था।
- 1988 में इन्होंने प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष के रुप में कार्य किया था।

वहीदा रहमान

हाल ही में अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है।

मुख्य बिंदु:

- वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी, 1938 को हुआ था परन्तु 1955 से इन्होंने तेलुगु सामाजिक नाटक 'रोजुलु मारायी' में एक नर्तकी के रूप में भारतीय फिल्म उद्योग से अपने करियर की शुरूआत किया।
- इन्हें गाइड, प्यासा, कागज के फूल, तीसरी कसम और खामोशी जैसी फिल्मों में काम के लिए जाना जाता है।
- रेशमा और शेरा में एक कुलवधू की भूमिका के लिए इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था।
- वहीदा रहमान ने देव आनंद के साथ सीआईडी से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था।
- रोमांटिक और भावनात्मक ड्रामा के अलावा, इन्होंने हिट थ्रिलर नील कमल, हॉरर फिल्म कोहरा तथा कॉमेडी राम और श्याम में भी अभिनय किया।
- इन्होंने कभी-कभी, चांदनी, लम्हे, त्रिशूल, नमक हलाल, रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में काम किया है। इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1971 में रेशमा और शेरा के लिए प्रदान किया गया था।
- इस पुरस्कार का नाम अग्रणी फिल्म निर्माता धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। इनके द्वारा निर्देशित 1913 में भारत की पहली फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' थी।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) कार्यालय को राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया है।
2. भुगतान उद्योग की वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टरकार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को मास्टरकार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है।
3. असम के राज्यपाल ने राजभवन में भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के एक मोबाइल एप्लिकेशन ऐप 'सरपंच संवाद' का अनावरण किया। इस पहल के माध्यम से सरपंच अपने गांवों में विकास गतिविधियों को उजागर कर सकते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जान सकते हैं और राष्ट्रव्यापी कनेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं।
4. भारतीय तट रक्षक बल ने भारत पश्चिमी तट पर 'ऑपरेशन सजग' अभ्यास किया। इस ड्रिल का उद्देश्य समुद्री मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए मौजूदा तंत्र को मजबूत करना है।
5. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्रमिकों के कल्याण के लिए 'मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत श्रमिकों के परिवारों के लिए मातृत्व लाभ बढ़ाकर 1000 से 6000, प्राकृतिक मृत्यु पर मुआवजा 50 हजार रूपये से बढ़ाकर दो लाख रूपये और दुर्घटना मृत्यु मुआवजा एक लाख रूपये से बढ़ाकर चार लाख रूपये कर दिया गया है।
6. महाराष्ट्र सरकार ने 'एडॉप्ट ए स्कूल' योजना के कार्यान्वयन के लिए एक आदेश जारी किया। इस योजना के तहत सेबी पंजीकृत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) प्रमाण पत्र रखने वाला कोई भी व्यक्ति, संगठन या निजी उद्यम वर्तमान में राज्य सरकार, जिला परिषद या नगरपालिका परिषदों द्वारा संचालित स्कूल को गोद ले सकता है।
7. वहीदा रहमान को इस वर्ष का दादासाहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने अपने करियर में गाइड, रेश्मा, शेरा, प्यासा और रंग दे बसंती जैसी हिट फिल्मों में काम किया है।
8. जम्मू-कश्मीर का उधमपुर रेलवे स्टेशन अब 'शहीद कैप्टन तुषार महाजन' के नाम से जाना जाएगा। यह रेलवे स्टेशन जम्मू और श्री वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित है।
9. डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत ने 121 देशों में से 52वीं रैंकिंग हासिल की है। यह वार्षिक सर्वेक्षण, पांच प्रमुख कारकों के आधार पर देशों का आंकलन करता है जिसमें इंटरनेट गुणवत्ता, इंटरनेट सामर्थ्य, ई-बुनियादी ढांचा, ई-सरकार और ई-सुरक्षा शामिल है।
10. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने फिल्म अभिनेता 'सुरेश गोपी' को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट सोसाइटी (SRFTI) के अध्यक्ष तथा तीन साल की अवधि के लिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।
11. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जिसे 'स्टैच्यू ऑफ वननेस' नाम दिया गया। ओंकारेश्वर बारह ज्योतिर्लिंग में से एक है।
12. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना से गहरे पानी में जीवंत नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे आमतौर पर गर्नार्ड्स या सी-रॉबिन्स के नाम से जाना जायेगा।
13. भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास 'वेस्टर्न लेन' को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया।
14. भारत, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के I2U2 समूह ने एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, संस्थानों तथा उद्यमियों के लिए एक 'अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण' बनाना है।
15. भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्जिम बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (AIFI) के लिए बेसल-3 पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को लागू करने के लिए एक व्यापक मसौदा ढांचा जारी किया।
16. रक्षा मंत्री ने हिंडन वायु सेना स्टेशन पर पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह-प्रदर्शन 'भारत ड्रोन शक्ति 2023' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पहला सी-295 परिवहन विमान को भी औपचारिक रूप से भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया।

17. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश में तेजू हवाई अड्डे के नव विकसित बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया।
18. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर फेलोशिप 'ली कुआन यू एक्सचेंज' से सम्मानित किया गया।
19. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ भार्गव दासगुप्ता को तीन वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह एडीबी के निजी क्षेत्र संचालन विभाग, बाजार विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यालय के संचालन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे।
20. प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेत्री माता अमृतानंदमयी देवी को बोस्टन ग्लोबल आफ फोरम (BGF) और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन (MDI) की ओर से '2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड' के लिए चुना गया।
21. वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लिए 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में 31 अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन को अधिसूचित किया है।
22. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने नई दिल्ली में 'आरोग्य मंथन' नामक दो दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी किया।
23. पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में 6,400 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाएं समर्पित कीं।
24. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया।
25. नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट (NCCD) के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने देश भर में कोल्ड चेन हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए अपना समर्पित मिशन जारी किया।
26. पटना नगर निगम ने हाल ही में स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है।
27. प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत 56वीं नेटवर्क योजना कार्य बैठक में छह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की चार परियोजनाएं तथा रेल मंत्रालय की दो परियोजनाएं शामिल हैं।
28. अजरबैजान के बाकू में आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के अमनप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
29. चीन के हांगचोओ में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने तीसरा स्वर्ण पदक जीता। घुड़सवारी की ड्रेसेज टीम स्पर्धा में सुदीप्ति हजेला, दिव्याकृति सिंह, हृदय छेदा और अनुष अग्रवाल की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया।
30. भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन हांगचोओ में एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया।
31. ब्राजील के रियो डी जनेरियो में भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वेलारिवन ने आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वेलारिवन ने फाइनल में 252.2 का स्कोर बना कर फ्रांस की ओसिएने मुलर को हराया।
32. विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज हरियाणा के झज्जर जिले के तलाओ गांव को कांस्य श्रेणी में 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023' के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ।
33. फ्रांस ने अफ्रीकी देश नाइजर में सेना द्वारा तख्तापलट करने के लगभग दो माह के बाद अपने सैन्य दलों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है।
34. बांग्लादेश सरकार ने अपने व्यापारियों को भारत में लगभग 4,000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली बेचने की अनुमति दी।
35. ब्राजील के उत्तरी शहर बार्सिलोस में ब्राजीलियन अमेजन में एक विमान दुर्घटना में 14 लोगों की मृत्यु हो गई।
36. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीन मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट शृंखला में 2-1 से हरा दिया।
37. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए पांच बेड़ा सहायक जहाजों की खरीद के लिए विशाखापट्टनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HAL) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

जी-20 नई दिल्ली घोषणापत्र

चर्चा में क्यों?

भारत के जी-20 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने महीनों के कठिन परिश्रम के बाद जी-20 नई दिल्ली घोषणापत्र नामक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति में विभिन्न मुद्दों पर दी गई चर्चाओं को स्थान दिया गया है। इसे अलग तरीके से तैयार किया गया है, न कि सामान्य पैराग्राफ के रूप में, जो संयुक्त घोषणा में संरचित होते हैं।

प्रस्तावना

- हम एक पृथ्वी, एक परिवार हैं और हमारा भविष्य एक है।
- जी-20 के नेताओं की श्वसुधैव कुटुंबकमश विषय के तहत 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में बैठक हुई।
- जी-20 के सदस्य निम्न के लिए प्रतिबद्ध हैं:
  - मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास में तेजी लाना।
  - सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाना।
  - एक एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए निम्न-जीएचजी/निम्न-कार्बन उत्सर्जन, जलवायु-लचीला और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास मार्गों को अपनाना।
  - जी-20 विकास और जलवायु चुनौतियों का समाधान करने, सतत विकास के लिए जीवन शैली को बढ़ावा देने (LiFE) और जैव विविधता, जंगलों और महासागरों के संरक्षण के लिए अपने कार्यों में तेजी लाएगा।
  - भविष्य में स्वास्थ्य आपात स्थितियों के विरुद्ध बेहतर तैयारी के लिए विकासशील देशों में चिकित्सा संबंधी उपायों तक पहुंच में सुधार और अधिक आपूर्ति और उत्पादन क्षमता की सुविधा प्रदान करना।
  - विकासशील देशों के ऋण मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
  - एसडीजी हासिल करने के लिए वित्तपोषण बढ़ाना।
  - पेरिस समझौते के परिणामों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास और संसाधन।
  - बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के लिए सुधारों को आगे बढ़ाना।
  - सतत और समावेशी विकास के लिए डिजिटल सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार करना।
  - सतत, गुणवत्तापूर्ण, स्वस्थ, सुरक्षित और लाभकारी रोजगार को बढ़ावा देना।
  - लैंगिक अंतर को कम करना और निर्णय लेने वालों के रूप में अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सार्थक भागीदारी।
  - वैश्विक निर्णय लेने में विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना।

पृथ्वी, लोगों, शांति और समृद्धि के लिए:

- दुनिया भर में युद्धों और संघर्षों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण अपार मानवीय पीड़ा से अत्यधिक चिंतित।
- जी20 स्वीकार करता है कि भू-राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

- यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा को जन्म दिया है। इसने आपूर्ति शृंखला, वृहत-वित्तीय स्थिरता, मुद्रास्फीति और विकास को प्रभावित किया है।
- सभी राष्ट्रों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया गया।
- आज का समय युद्ध का नहीं है।

जी-20 नई दिल्ली घोषणापत्र

मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास

1. वैश्विक आर्थिक स्थिति

- यापक संकटों ने दीर्घकालिक विकास के लिए चुनौतियाँ स्थापित कर दी हैं। अत: व्यापक आर्थिक और संरचनात्मक नीतियों के कार्यान्वयन पर चर्चा की गयी।
- समान विकास को बढ़ावा देने और व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाकर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की रक्षा करना।
- नीतिगत विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है।
- विकास को गति देने और सतत आर्थिक परिवर्तनों में निजी उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा की गई। निजी क्षेत्र के साथ निम्न उद्देश्यों के लिए काम करना:
  - समावेशी, सतत और लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनाना, और विकासशील देशों को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए समर्थन देना।
  - स्थायी व्यापार मॉडल की दिशा में एफडीआई सहित निवेश की सुविधा प्रदान करना।
  - निवेश जुटाने के लिए एमडीबी की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर विकासशील देशों में निवेश योग्य परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार करना।
  - व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा और लागत कम करना।

2. विकास के लिए व्यापार को बढ़ाना

- सूचना तक पहुंच के संबंध में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानें और सूचना तक एमएसएमई की पहुंच बढ़ाने के लिए कदमों की सराहना।
- सदस्यों को जोखिमों की पहचान करने और लचीलापन बनाने में मदद करने के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के मानचित्रण के लिए जी-20 जेनेरिक फ्रेमवर्क को अपनाकर कार्य करना।
- व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर उच्च-स्तरीय सिद्धांतों का स्वागत है।
- व्यापार और पर्यावरण नीतियों के लिए काम करें जो पारस्परिक रूप से सहायक हों, डब्ल्यूटीओ और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के अनुरूप हों।
- विकासशील देशों, विशेष रूप से एलडीसी को वैश्विक व्यापार में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए डब्ल्यूटीओ की 'व्यापार के लिए सहायता' पहल का महत्व।

3. भविष्य के लिए तैयारी

कौशल कमियों को दूर करने, अच्छे काम को बढ़ावा देने और सभी के लिए समावेशी सामाजिक सुरक्षा नीतियों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना होगा:

- मूल और गंतव्य दोनों देशों के लिए एकीकृत और पर्याप्त रूप से कुशल श्रमिकों का महत्व।
- सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए वैश्विक कौशल को प्रभावी ढंग से संबोधित करना।
- एक व्यापक टूलकिट डिजाइन करना और डिजिटल अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रम शुरू करना।
- सतत रूप से वित्तपोषित सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य।
- समावेशी विकास, सतत विकास और सभ्य कार्य का समर्थन करने के लिए सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र के आर्थिक महत्व और सामाजिक मूल्य को स्वीकार करना।
- गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और सभ्य कामकाजी परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ बाल श्रम और जबरन श्रम के उन्मूलन के लिए प्रयासों को बढ़ाएंगे।

4. वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना

- जी-20 2023 वित्तीय समावेशन कार्य योजना (FIAP) का समर्थन किया गया।
- डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी और सतत विकास के लिए वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है।

5. भ्रष्टाचार से लड़ना

जी-20 के तीन सिद्धांत:

- भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझाकरण को मजबूत करना।
- भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करना।
- भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक निकायों और प्राधिकरणों की ईमानदारी और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना।

जी-20 नई दिल्ली घोषणापत्र

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति में तेजी लाना

वर्तमान में, एसडीजी पर वैश्विक प्रगति आशानुरूप नहीं है और लक्ष्य के केवल 12% पर ही संतोषजनक कार्य हो रहा है। जी-20 ने 2030 एजेंडा को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने और एसडीजी की दिशा में प्रगति में तेजी लाने का संकल्प लिया है।

1. एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्धता

- डिजिटल रूपांतरण, एआई, डेटा प्रगति की भूमिका और डिजिटल विभाजन को संबोधित करने की आवश्यकता है। विकास के लिए डेटा के उपयोग (D4D) पर जी-20 सिद्धांतों का समर्थन किया गया।
- एजेंडा-2030 और अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के कार्यान्वयन हेतु विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए किफायती, पर्याप्त और सुलभ वित्तपोषण जुटाने की प्रतिबद्धता।
- विकसित देशों द्वारा ओडीए प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से पूरा करने का आह्वान।
- सतत सामाजिक आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए पर्यटन और संस्कृति की भूमिका पर जोर।
- सतत वित्त को बढ़ाना।

2. भूखमरी और कुपोषण को मिटाना

खाद्य सुरक्षा और पोषण 2023 पर जी20 डेक्कन उच्च-स्तरीय सिद्धांतों के अनुरूप सभी के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ाना है। इसे प्राप्त करने के लिए:

- बाजरा, ज्वार और अन्य पारंपरिक फसलों जैसे जलवायु-लोच्य और पौष्टिक अनाज पर अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- उर्वरक और कृषि आदानों तक पहुंच बढ़ाने और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के महत्व पर जोर देना।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य श्रृंखला में खाद्य हानि और बर्बादी को कम करने और बेहतर विपणन और भंडारण के लिए नवाचार और निवेश।

3. खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा के व्यापक आर्थिक प्रभाव

- वैश्विक खाद्य और ऊर्जा की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से कम हुई हैं, परन्तु वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं के कारण खतरा बना हुआ है।
- खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा के व्यापक आर्थिक प्रभावों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव पर जी-20 की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है।
- अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) संसाधनों की पुनःपूर्ति।

4. वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करना और एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को लागू

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करने और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ध्यान देना।
- एक स्वास्थ्य संयुक्त कार्य योजना (2022-2026) द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाने और जलवायु लोच्य और कम कार्बन वाले स्वास्थ्य प्रणालियों को विकसित करना।
- अनुसंधान एवं विकास, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण सहित वन हेल्थ दृष्टिकोण का पालन करते हुए रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने को लागू करना और प्राथमिकता देना।
- सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता-सुनिश्चित और किफायती टीकों, चिकित्सीय, निदान और अन्य चिकित्सा उपायों तक समान पहुंच की सुविधा प्रदान करना।
- स्वास्थ्य में साक्ष्य-आधारित पारंपरिक और पूरक चिकित्सा की संभावित भूमिका को पहचानना।
- समावेशी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और मनोसामाजिक सहायता तक पहुंच को बढ़ावा देना और सुधारना।

5. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

- शिक्षा और रोजगार के लिए प्राथमिक निर्माण खंड के रूप में मूलभूत शिक्षा (साक्षरता, संख्यात्मकता और सामाजिक-भावनात्मक कौशल) का महत्व।
- सभी शिक्षार्थियों के लिए डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग ।
- शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षकों को एआई सहित उभरते रुझानों और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए समर्थन प्रदान करना।
- उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) तक पहुंच बढ़ाने पर जोर देना।
- स्वच्छंद, न्यायसंगत और सुरक्षित वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना और अनुसंधान और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की गतिशीलता को प्रोत्साहित करना।

जी-20 नई दिल्ली घोषणापत्र

सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता

1. जलवायु परिवर्तन और संक्रमण काल में उत्पन्न होने वाले व्यापक आर्थिक जोखिम

- विकास, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी सहित जलवायु परिवर्तन और संक्रमण नीतियों के भौतिक प्रभावों के लघु, मध्यम और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन करना महत्वपूर्ण है।
- हितधारकों के विविध समूह से इनपुट के बाद, व्यापक आर्थिक निहितार्थों पर, जो उचित हो, आगे कार्य किया जाए, विशेष रूप से राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की प्रासंगिकता के सन्दर्भ में।

2. सतत विकास के लिए मुख्यधारा की जीवनशैली (LiFE)

- सतत विकास के लिए जीवनशैली हेतु जी-20 के उच्च-स्तरीय सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी के विकास, तैनाती और प्रसार के माध्यम से उच्च-स्तरीय सिद्धांतों (एचएलपी) के कार्यान्वयन का समर्थन करना।
- जी-20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आवश्यकतानुसार अपने कार्यक्रमों में एचएलपी को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- 'यात्रा फॉर लाइफ' और स्मार्ट गंतव्यों के विकास के लिए विशेष समर्थन जो रेस्पोंसिबल और सतत हैं।

3. एक सर्कुलर इकोनॉमी वर्ल्ड तैयार करना

- सतत विकास प्राप्त करने में चक्रीय अर्थव्यवस्था, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी और संसाधन दक्षता द्वारा निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण है।
- संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी उद्योग गठबंधन का शुभारंभ महत्वपूर्ण है।
- पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने, 2030 तक अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करने और शून्य अपशिष्ट पहल के महत्व के लिए प्रतिबद्ध।

4. स्वच्छ, टिकाऊ, न्यायसंगत, किफायती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन लागू करना

- विकासशील देशों को कम कार्बन/उत्सर्जन की ओर उनके बदलाव में समर्थन की आवश्यकता है, इस प्रयास हेतु कम लागत वाला वित्तपोषण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और समाधानों और नवाचार के अन्य प्रयासों को विकसित करने, प्रदर्शित करने और तैनात करने के लिए सहयोग पहल को आगे बढ़ाने का संकल्प।
- '2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दोगुना करने पर स्वैच्छिक कार्य योजना' इस प्रयास में एक दिशा प्रदान करती है।
- हमारी शून्य और निम्न-उत्सर्जन विकास रणनीतियों में सतत जैव ईंधन के महत्व और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संभावित प्रभाव को पहचानना।

5. महासागर आधारित अर्थव्यवस्था का दोहन और संरक्षण

- 'चेन्नई एक टिकाऊ और लचीली नीली/महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए उच्च-स्तरीय सिद्धांत' अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने के साथ-साथ विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीकों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता।

6. प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना

- जी-20 ने 2024 के अंत तक अपना काम पूरा करने की महत्वाकांक्षा के साथ, समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्था विकसित करने के लिए एक अंतर सरकारी वार्ता समिति (INC) स्थापित करने के संकल्प का स्वागत किया है।
- जी-20 ओसाका ब्लू ओशन विजन में बताए गए जी-20 समुद्री कूड़ा एक्शन प्लान पर भी कार्य करेगा।

7. आपदा जोखिम को कम करना और लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना

- राष्ट्रीय और स्थानीय क्षमताओं को मजबूत करने, नवीन वित्तपोषण व्यवस्था, निजी क्षेत्र के निवेश और ज्ञान साझा करने के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई पर प्रगति में तेजी लाना।
- सेंदाई फ्रेमवर्क के सभी सिद्धांतों को लागू करते हुए पुनर्प्राप्ति अनुभवों की पारस्परिक सीख को बढ़ावा देना।

जी-20 नई दिल्ली घोषणापत्र

21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान

1. बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना

- संयुक्त राष्ट्र को संपूर्ण सदस्यता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, अपने संस्थापक उद्देश्यों और अपने चार्टर के सिद्धांतों के प्रति वफादार होना चाहिए और अपने जनादेश को पूरा करने के लिए अनुकूलित होना चाहिए।
- 21वीं सदी की समसामयिक वैश्विक चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान करने और वैश्विक शासन को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए पुनर्जीवित बहुपक्षवाद की आवश्यकता है।

2. वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन

- निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रभावी, व्यापक और व्यवस्थित तरीके से ऋण कमजोरियों को संबोधित करने का विषय महत्वपूर्ण है।
- इस उद्देश्य से, जी-20 ने उचित अनुशंसाएं करने के लिए कॉमन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन से जुड़े नीति-संबंधी मुद्दों पर निरंतर चर्चा का आह्वान किया।

3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार

- 21वीं सदी को एक अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त प्रणाली की आवश्यकता है जो उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो, जिसमें विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे गरीब और सबसे कमजोर देशों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने की शक्ति हो।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली को विकासशील देशों और ईएमई को गरीबी से लड़ने, वैश्विक चुनौतियों से निपटने और विकास प्रभाव को अधिकतम करने में मदद करने के लिए काफी अधिक वित्तपोषण प्रदान किया जाना चाहिए।
- जी-20 निम्न और मध्यम आय वाले देशों की विकास आवश्यकताओं को संबोधित करने पर निरंतर ध्यान देने के साथ 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एमडीबी को विकसित और मजबूत करने के महत्वाकांक्षी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय कराधान

- जी-20 ने 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप वैश्विक स्तर पर निष्पक्ष, टिकाऊ और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के प्रति सहयोग जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- जी-20 ने वैश्विक एंटी-बेस इरोजन (GloBE) नियमों को एक सामान्य दृष्टिकोण के रूप में लागू करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया।
- जी-20 ने क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ("CARF") के त्वरित कार्यान्वयन और ब्ैं में संशोधन का आह्वान किया।
- जी-20 ने रियल एस्टेट पर अंतर्राष्ट्रीय कर पारदर्शिता बढ़ाने पर व्म्ब्क रिपोर्ट और गैर-कर उद्देश्यों के लिए कर संधि द्वारा जानकारी के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने पर ग्लोबल फोरम रिपोर्ट पर चर्चा की।

जी-20 नई दिल्ली घोषणापत्र

तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

1. डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण

- दिल्ली घोषणापत्र में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) की प्रणालियों के लिए जी-20 फ्रेमवर्क का स्वागत किया गया, जो DPI के विकास, तैनाती और शासन के लिए एक स्वैच्छिक और सुझाया गया ढांचा है।
- समूह ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी (जीडीपीआईआर) के निर्माण और रखरखाव की भारत की योजना का स्वागत किया, जो DPI का एक वर्चुअल रिपॉजिटरी है, जिसे स्वेच्छा से जी-20 सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है।
- समूह ने वन फ्यूचर एलायंस (ओएफए) के भारतीय प्रेसीडेंसी के प्रस्ताव पर ध्यान दिया, जो एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण करना और एलएमआईसी में डीपीआई को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता और पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

2. डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा, लचीलापन और विश्वास का निर्माण

- समूह ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा, लचीलापन और विश्वास के निर्माण में व्यवसायों का समर्थन करने के लिए गैर-बाध्यकारी जी-20 उच्च-स्तरीय सिद्धांतों का स्वागत किया।
- बच्चों और युवाओं की साइबर शिक्षा और साइबर जागरूकता पर जी-20 टूलकिट की भी सराहना की गई।

3. क्रिप्टो-परिसंपत्तियाँ: नीति और विनियमन

- क्रिप्टो-परिसंपत्ति गतिविधियों और बाजारों और वैश्विक स्थिर मुद्रा व्यवस्था के विनियमन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की उच्च-स्तरीय सिफारिशों का समर्थन।

4. सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा

- समूह ने सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) की शुरूआत और अपनाने से उत्पन्न होने वाले संभावित मैक्रो-वित्तीय प्रभावों, विशेष रूप से सीमा पार भुगतान के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली पर चर्चा का स्वागत किया गया।

5. डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना

- G20 किसानों और एग्री-टेक स्टार्ट-अप और एमएसएमई के पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार, टिकाऊ और समावेशी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- समूह ने संबंधित डेटा सुरक्षा नियमों के अनुपालन में एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए डब्ल्यूएचओ-प्रबंधित ढांचे के भीतर डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल (जीआईडीएच) की स्थापना का स्वागत किया।

6. भलाई और सभी के लिए जिम्मेदारीपूर्वक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

- घोषणापत्र ने G20 AI सिद्धांतों (2019) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और डिजिटल अर्थव्यवस्था में समाधानों का समर्थन करने के लिए AI के उपयोग के तरीकों पर जानकारी साझा करने का प्रयास किया।
- यह एक प्रो-इनोवेशन विनियामक/शासन दृष्टिकोण अपनाएगा जो लाभों को अधिकतम करता है और एआई के उपयोग से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखता है।
- यह एसडीजी हासिल करने के लिए जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देगा।

जी-20 नई दिल्ली घोषणापत्र

लैंगिक समानता एवं सभी महिलाओं को सशक्त बनाना

1. आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ाना

- G20 ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव और दुर्व्यवहार सहित लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- डिजिटल वित्त और माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से आर्थिक संसाधनों तक उनकी पहुंच को मजबूत करके औपचारिक वित्तीय प्रणाली में महिलाओं के समावेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
- लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को खत्म करना, और लैंगिक असमानता को कायम रखने वाले मानदंडों, दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलना।

2. लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना

- डिजिटल प्रौद्योगिकियों की पहुंच, सामर्थ्य, अपनाने और उपयोग में लैंगिक मानदंडों और बाधाओं को हल करने का प्रयास करना।
- सिद्ध समाधानों की पहचान, वित्त पोषण और तेजी लाकर पहल को प्रोत्साहित करें, जिससे महिलाओं की आजीविका और आय सुरक्षा में सुधार होगा।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तीकरण का समर्थन करने वाली पहल का स्वागत है।

3. लिंग समावेशी जलवायु कार्यवाही को संचालित करना

- जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन, तथा पर्यावरणीय मुद्दों पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों एवं नीति ढांचे में महिलाओं की भागीदारी, साझेदारी, निर्णय लेने और नेतृत्व करने का समर्थन करना।
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के प्रभाव के प्रति लचीलापन बनाने के लिए जल और स्वच्छता (WASH- Water, Sanitation and Hygiene) समाधानों सहित लिंग-उत्तरदायी और पर्यावरण-लचीले समाधानों का समर्थन करना।

4. महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण सुरक्षित करना

- समावेशी, सतत और लचीली कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश हेतु प्रोत्साहन।
- स्कूली भोजन कार्यक्रमों में सुलभ, किफायती, सुरक्षित, पौष्टिक एवं स्वस्थ आहार का समर्थन।
- महिला किसानों के लिए एवं उनके द्वारा समावेशी कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं और प्रणालियों के लिए नवाचार को बढ़ावा देना।
- भूख और कुपोषण को समाप्त करने के लिए नवीन वित्तपोषण उपायों और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का लाभ उठाकर लिंग-उत्तरदायी एवं आयु-संवेदनशील पोषण और खाद्य प्रणाली हस्तक्षेप का समर्थन करें।

वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे

- समूह ने G20 टेकस्प्रिंट 2023 के सफल आयोजन का स्वागत किया, जो बीआईएस इनोवेशन हब के साथ एक संयुक्त पहल है, यह सीमा पार भुगतान में सुधार लाने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को बढ़ावा देगा।
- G20 ने सतत पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस हेतु, समूह ने ओईसीडी की रिपोर्ट, 'व्यवस्थित हरित परिवर्तन की ओर - निवेश आवश्यकताएँ और पूंजी प्रवाह के जोखिमों का प्रबंधन' पर चर्चा की।

आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला

- G20 ने छोटे हथियारों और हल्के हथियारों की अवैध तस्करी और विचलन के बारे में चिंता व्यक्त की।
- निर्यात, आयात नियंत्रण और ट्रेसिंग सहित इन घटनाओं से निपटने के लिए राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है।
- G20 ने शांति के लिए सभी धर्मों की प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए, जेनोफोबिया, नस्लवाद और असहिष्णुता के अन्य रूपों या धर्म या विश्वास के नाम पर आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ई-कोर्ट प्रोजेक्ट चरण III के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण 'पहुंच और समावेशन' पर आधारित है।
2. यह योजना कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार तथा ई-कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त साझेदारी के तहत कार्यान्वित की जा रही है।
3. यह न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच होगा जो अदालतों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक सहज और कागज रहित इंटरफेस प्रदान करेगा।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

A. 1 और 2 B. केवल 2
C. सभी तीन D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. हाल ही में वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का निर्यात 6.86% घटकर, व्यापार घाटा 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। इससे सबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वस्तु और सेवाओं सहित भारत का कुल निर्यात 5.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60.87 अरब डॉलर रहा।
2. 2022-23 में सेवा निर्यात 26.7% की दर से बढ़ने और धीमी मांग के बीच अब तक स्थिर रहने के बाद अगस्त में 0.4% घटकर 26.39 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
3. वैश्विक मांग में कमी के कारण 2023 की पहली छमाही के दौरान भारत का विदेशी व्यापार 800 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गया।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही हैं/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी तीन B. उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा 'कलैगनार मगलिर उरीमाई थिट्टम' नामक वित्तीय सहायता योजना शुरू की गयी है। इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस योजना के अंतर्गत परिवार की पात्र महिला मुखियाओं को 1,000 रुपये का मासिक अनुदान प्रदान किया जायेगा।
2. इस योजना के लिए वार्षिक 4000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी।
3. इस योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तथा परिवार प्रति वर्ष 3600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च न करता हो।

उपर्युक्त कथनों की सहायता से सही कथन का चुनाव करें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. 1, 2 और 3 D. केवल 1 और 3

4. हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने हाई बीपी के वैश्विक प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की है। इससे सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च रक्तचाप दुनिया भर में तीन में से एक वयस्क व्यक्ति को प्रभावित करता है।
2. स्लीप एप्निया से भी व्यक्ति के शारीरिक रक्तचाप में वृद्धि होती है।
3. शारीरिक गतिविधि, अच्छी नींद की आदतें, वायु प्रदूषण के संपर्क में कमी के साथ ही योग, ध्यान और संगीत से रक्तचाप को कम किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. 1, 2 और 3 D. केवल 1 और 3

5. हाल ही में जारी की गयी कंसल्टेंसी वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रिपोर्ट में पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिक बिजली आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
2. ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए प्रति वर्ष $1.9 ट्रिलियन के निवेश की आवश्यकता है।
3. दुनिया को 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए सालाना 2.7 ट्रिलियन डॉलर की अवश्यकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. दोनों D. कोई नहीं

6. प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा योजना के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रधानमंत्री ने कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए 13,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY) की शुरूआत की है।
2. इस योजना के तहत कारीगरों तथा हस्तशिल्प श्रमिकों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्रदान किया जायेगा।
3. इसके अंतर्गत प्रशिक्षण के दो प्रकार जिसमे बुनियादी प्रशिक्षण और उन्नत प्रशिक्षण भी शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 2 और 3 D. कोई नहीं

7. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा के सन्दर्भ में

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) की घोषणा की है।

2. यह एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना के केंद्र के रूप में कार्य करेगा जो बुनियादी ढांचे को एशिया से यूरोप तक जोड़ेगा।

3. इस गलियारे के अंतर्गत भारत के पश्चिमी तट पर जिन बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा उनमें विशाखापत्तनम और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (नवी मुंबई) शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A. केवल 1 B. 1 और 2
C. 1 2 और 3 D. कोई नहीं

8. **हाल ही में एक साइबर अपराध जांच उपकरण रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं (TTP) तैयार किया गया है। इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. यह किसी भी साइबर हैकर या खतरा समूह से जोड़ने और हमले की रूपरेखा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।

2. यह उपकरण सड़क दुर्घटनाओं को ट्रैक करने, वर्गीकृत करने और अपराधियों को दोषी ठहराने के लिए सबूतों को फ्रेमवर्क पर मैप करने में मदद करेगा।

3. इसमें हैकिंग, फिशिंग, मैलवेयर, डेटा उल्लंघन और पहचान की चोरी जैसे विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की जांच के लिए विशेष उपकरणों और तकनीकों का उपयोग शामिल होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A.केवल 1 B. 1 और 3
C. 1 2 और 3 D. कोई नहीं

9. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर के शोधकर्ताओं ने सांप के जहर से एक रोगाणुरोधी पेप्टाइड विकसित किया है। इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. अमीनो अम्ल की छोटी शृंखलाओं को पेप्टाइड कहते हैं और कई पेप्टाइड मिलकर प्रोटीन का गठन करते हैं।

2. सांप के जहर से SP1V3_1 नामक रोगाणुरोधी पेप्टाइड अणु को विकसित किया गया है।

3. इसके रोगाणुरोधी तथा इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मोटिफ के कारण इसे भविष्य में एक एंटीकैंसर अणु के रूप में भी परीक्षण किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A.केवल 1 B. 1 और 3
C. 1 2 और 3 D. कोई नहीं

10. **नुआखाई महोत्सव के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. नुआखाई एक संबलपुरी त्यौहार है जो पश्चिमी ओडिशा में अत्यधिक लोकप्रिय है।

2. इस अवसर पर मग बारा, रस बारा, मग माडा, सूजी माडा, चौल माडा, काकरा पीठा, खीरी, दालमा दाल सहित अन्य पारंपरिक उड़िया व्यंजन, जैसे रसगुल्ला, जलेबी और पायस तैयार किए जाते हैं।

3. इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को गति देना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A.केवल 1 B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3 D. कोई नहीं

11. **डाकघर विधेयक 2023 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. यह विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करेगा।

2. यह विधेयक किसी डाक अधिकारी को घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से प्राप्त किसी वस्तु को सीमा शुल्क या किसी संबंधित प्राधिकारी को वितरित करने का अधिकार देगा।

3. यह विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक माध्यम बनेगा जबकि 1898 के अधिनियम ने केवल मेल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया था।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3 D. कोई नहीं

12. **हाल ही में टाटा स्टील ने पोर्ट टैलबोट प्लांट के लिए यूके सरकार के साथ £1.25 बिलियन का सौदा किया। इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. पोर्ट टैलबोट प्लांट वेल्स में स्थित एक एकीकृत इस्पात उत्पादन संयंत्र है जो प्रति वर्ष लगभग 5 मिलियन टन स्टील स्लैब का उत्पादन करता है।

2. पोर्ट टैलबोट में स्टीलवर्क्स का स्वामित्व अप्रैल 2007 से टाटा स्टील के पास है।

3. इस परियोजना का उद्देश्य यूके के संपूर्ण कार्बन उत्सर्जन को लगभग 1.5 प्रतिशत तक कम करना है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3 D. कोई नहीं

13. **किसान ऋण पोर्टल तथा घर-घर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अभियान के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान डेटा, ऋण वितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट के दावों और योजना उपयोग की प्रगति

का एक व्यापक दृश्य प्रदान करेगा।
2. यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक किसान को अपनी कृषि गतिविधियों को संचालित करने वाली ऋण सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच प्राप्त न हो सके।
3. किसान ऋण पोर्टल (KRP) तथा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा।
उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3 D. कोई नहीं

14. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी के शोधकर्ताओं ने ड्राई पाउडर इनहेलर (DPI) पर एक शोध किया है। इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. शोधार्थियों का दावा है कि इस नई तकनीक से दमा रोगी के फेफड़ों तक 100 प्रतिशत तक दवा पहुंचाने वाले इनहेलर डिजाइन करने में मदद मिलेगी।
2. शोध में पाया गया है कि 70 प्रतिशत या उससे अधिक दवा के कण, उपकरण की दीवार, मुंह या ऊपरी वायुमार्ग पर चिपक जाते हैं।
3. ड्राई पाउडर इनहेलर उपकरणों में ट्विस्टहेलर,फ्लेक्सहेलर, एलिप्टा, ब्रीजहेलर शामिल होता है।
उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3 D. कोई नहीं

15. 12 सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग 45,000 करोड़ रुपये के नौ खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें 12 Su-30 MKI लड़ाकू जेट भी शामिल है।
2. इस विमान को भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित किया जाता है।
3. यह फाइटर जेट अधिकतम 2120 किमी प्रतिघंटा की गति से 57 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है।
उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3 D. कोई नहीं

16. हाल ही में केरल में एंटिलिआन की दो नई प्रजातियाँ खोजी गई है। इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एंटिलिआन की दो नई प्रजाति 'नेमोलियन घोषी' और 'नेमोलियन मैडायेंसिस' की खोज की गयी है।
2. यह प्रजाति केरल से रिपोर्ट की गई 8वीं और 10वीं एंटीलियन प्रजाति है तथा भारत की 120वीं और 121वीं प्रजाति है।
3. यह प्रजाति न्यूरोप्टेरा क्रम के मायर्मेलेओन्टिडे परिवार से सम्बन्ध रखती हैं।
उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3 D. कोई नहीं

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है?
A. नागोर्नो कारबाख उत्तर पश्चिमी अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है।
B. फोर डे वार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वर्ष 2017 में हुआ।
C. वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच 6 हफ्ते तक पूर्ण पैमाने पर युद्ध हुआ जो 1990 के दशक के बाद का सबसे घातक संघर्ष था।
D. अमेरिका के सहयोग से वर्ष 2023 में दोनों देशों के बीच एक संयुक्त शांति अभ्यास की पहल की गई।

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है।
2. शंकर ने 'अद्वैत वेदांत' और 'दशनामी संप्रदाय' का प्रचार किया।
3. हाल ही में महाकालेश्वर तथा उज्जैन में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
A. केवल एक B. केवल दो
C. सभी तीन D. कोई भी नहीं

19. फाइव आई ग्रुप के संबंध में सही कथन पर विचार करें:
A. फाइव आई ग्रुप की उत्पत्ति प्रथम विश्व युद्ध से मानी जाती है।
B. फाइव आईज एक रणनीतिक खुफिया-साझाकरण गठबंधन है जिसमें पांच अंग्रेजी भाषी देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं।
C. इसकी शुरुआत ब्रिटेन-यूएसए (ब्रूसा) समझौते के रूप में हुई जो बाद में यूके-यूएसए (यूकेयूएसए) समझौते में विकसित हुआ।
D. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्ष 2000 में फाइव आई गठबंधन में शामिल हुए।

20. निम्नलिखित नीचे दिए गए सही कथनों का चयन कीजिए।
A. ग्लोबल साउथ पोल में मुख्यता विकसित देश आते हैं।
B. नई दिल्ली में हुए जी-20 की बैठक में 21वां सदस्य

अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया।
C. संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल नॉर्थ में क्षमता निर्माण साझेदारी पहल आधारित एक व्यापक सहयोग मंच है।
D. संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2025 तक सतत विकास के लक्ष्य को हासिल कर लेना है।

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हाल ही में ओड़िया वैज्ञानिक डॉ. स्वाति नायक को भोजन और पोषण के क्षेत्र में इनके कार्य एवं क्षेत्रीय अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई. बोरलॉग पुरस्कार के 2023 प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है।
2. विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जनक डॉ. नॉर्मन ई बोरलॉग के सम्मान में रखा गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
A. कथन 1 B. कथन 2
C. दोनों D. कोई नहीं

22. हाल ही में दिल्ली के यमुना घाट पर आयोजित नदी उत्सव के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन और जनपद सम्पदा प्रभाग द्वारा दिल्ली में यमुना नदी के तट पर चौथा 'नदी उत्सव' आयोजित किया गया।
2. इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति में पारिस्थितिकी और नदियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
A. कथन 1 B. कथन 2
C. दोनों D. कोई नहीं

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. प्रोजेक्ट 15 फ्यूल सेल बसें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक पहल है।
2. भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन-संचालित ईंधन सेल बस मुंबई से गांधी नगर के बीच यात्रा करेगी।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
A. केवल 1 B. केवल 2
C. दोनों D. न तो 1 और न ही 2

24. ब्रह्माण्ड संबंधी स्थिरांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह पदार्थ या ऊर्जा का एक रूप है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है।
2. इसे डार्क एनर्जी के समतुल्य माना जाता है।
3. ब्रह्माण्ड संबंधी स्थिरांक का विचार सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
A. केवल एक B. केवल दो
C. कोई भी नहीं D. सभी

25. निम्नलिखित में से किस देश ने रक्षा सहयोग में सुधार के लिए 'K9 वज्र' तकनीक का आदान-प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है?
A. रूस और भारत
B. भारत और जापान
C. दक्षिण कोरिया और भारत
D. भारत और इजराइल

26. फाइव आईज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था है।
2. इसके तहत इन पांच देशों की खुफिया एजेंसियां आपस में सिग्नल, सैन्य और मानव खुफिया जानकारी साझा करती हैं।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

27. हाल ही में खबरों में देखी गई बायोहैकिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
A. डेटा चुराने या संशोधित करने के लिए जैविक प्रणालियों में हैकिंग।
B. जीवित जीवों के गुणों या क्षमताओं में सुधार के लिए किया गया जैविक प्रयोग।
C. जीवन के नए रूपों का उत्पादन करने या मौजूदा रूपों को संशोधित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग।
D. नुकसान या व्यवधान पैदा करने के लिए जैविक कमजोरियों का शोषण करना।

उत्तर

1. **C**	5. **D**	9. **C**	13. **B**	17. **C**	21. **C**	25. **C**
2. **C**	6. **A**	10. **C**	14. **C**	18. **B**	22. **C**	26. **B**
3. **D**	7. **B**	11. **C**	15. **C**	19. **C**	23. **A**	27. **B**
4. **C**	8. **B**	12. **C**	16. **B**	20. **B**	24. **D**	

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **असत्य** है?

(a) इस मकबरे का निर्माण *'आठ स्वर्गों'* अथवा 'हश्त बिहिश्त' की परंपरा में हुआ था।

(b) हुमायूँ के मकबरे में केन्द्रीय विशाल गुंबद और ऊँचा मेहराबदार प्रवेशद्वार (पिश्तक) सबसे पहली बार देखा गया।

(c) यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था।

(d) इनमें से कोई नहीं

2. मौर्य समाज के संबंध में मेगस्थनीज के विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मेगस्थनीज ठीक तरह से भारतीय समाज को समझ नहीं सका एवं जाति, वर्ण और व्यवसाय के बीच भेद करने में विफल रहा।
2. बेगार और बंधुआ मजदूरी बहुत ही सीमित पैमाने पर मौजूद थी।
3. भारत में दासता विद्यमान थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया:

(a) द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए भारतीय समर्थन पाने के लिए

(b) स्वशासन के लिए भारतीय मांगों को पूरा करने के लिए

(c) भारतीय नेतृत्व को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए चर्चा करने और योजना बनाने के लिए

(d) भारत छोड़ो आंदोलन को स्थगित करने हेतु भारतीय नेतृत्व को सहमत करने के लिए

4. नेहरू रिपोर्ट ने:

1. भारत के लिए नया डोमिनियन स्टेटस प्रस्तावित किया।
2. अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र में निहित होने के साथ सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की।
3. अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मण्डल प्रदान किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

5. 'रामानुज' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रामानुज ने 'विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत' को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा, परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है।
2. रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नयी धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

6. अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। निम्नलिखित में से कौन की सहायक संधि की शर्त **नहीं** थी?

(a) अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे।

(b) सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी और अंग्रेज इस टुकड़ी के रख-रखाव की व्यवस्था करेंगे।

(c) सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति से ही किसी अन्य शासक के साथ संधि या युद्ध में प्रवेश कर सकेगा।

(d) इनमें से कोई नहीं

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कांग्रेस की प्रांतीय समितियाँ ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थीं।
2. नेहरू और पटेल कांग्रेस के भीतर दो अलग राजनीतिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरूत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था।
2. आर्य समाज पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

9. 'लखनऊ समझौते' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपसी समझ को प्रदर्शित करता है।
2. इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार नहीं किया।
3. इस समझौते ने नरमपंथियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गाँधी ने 'निम्न जातियों' के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की माँग का विरोध किया था।
2. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भारत के लिए काफी निर्णायक था क्योंकि इस सम्मेलन में भारत के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

11. 'भारतीय संसदीय कार्य प्रणाली' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. संविधान 'सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत' एवं 'व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत' प्रदान करता है।
2. संविधान में मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सहायता करने और सलाह देने का प्रावधान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

12. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुदान तब दिया जाता है जब चालू वित्त वर्ष में विशेष सेवा के लिए विनियोग अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा अधिकृत राशि उस वर्ष अपर्याप्त हो जाती है?

(a) अतिरिक्त अनुदान
(b) अधिक अनुदान
(c) अनुपूरक अनुदान
(d) अपवाद अनुदान

13. राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. परिहार का अर्थ है-दण्ड को भविष्य में लागू करने के लिए विलंबित करना।
2. विराम का अर्थ है-बिना दण्ड की प्रकृति में परिवर्तन किये दण्ड में कमी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

14. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही **नहीं** है ?

(a) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उतना ही वेतन दिया जाता है जितना भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं।
(b) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
(c) उच्च न्यायालय भी किसी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकता है जो न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश करें।
(d) राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं।

15. केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण :

1. इसकी परिधि में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के सेवा के सभी मामलों और भर्ती के संबंध में मूल अधिकारिता का प्रयोग करता है।
2. एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं।
3. 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बंधा हुआ है।
4. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

16. मौलिक अधिकार:

1. राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने एवं निरंकुश प्रयोग के विरूद्ध नागरिकों की रक्षा करते हैं।
2. भारतीय संविधान की 'अंतरात्मा' के रूप में निर्दिष्ट किये जाते हैं।
3. गैर-वादयोग्य अधिकार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

17. 'सूचना का अधिकार':

1. लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अंतर्गत सूचनाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करता है।
2. प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है।
3. संवेदनशील जानकारियों की गोपनीयता को संरक्षित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 1 और 2

18. भारत का महान्यायवादी:

1. राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।

2. ऐसे पारिश्रमिक को प्राप्त करेगा जैसा संसद द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

19. 1773 ई. के रेग्यूलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की।
2. इसने कंपनी के सेवकों को, किसी भी प्रकार के निजी व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबंधित किया।
3. इसने भारत में विकेन्द्रीकृत प्रशासन की नींव रखी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

20. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के प्रशासन के लिए 1726 का चार्टर जारी किया गया। इसके बारे में क्या सच **नहीं** है?

1. इस चार्टर के जरिए कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति दी गई।
2. इसके तहत् भारत स्थित ईस्ट इंडिया कम्पनी और गवर्नर जनरल की परिषद को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और कंपनी- प्रशासन के निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में दंडित करने की शक्ति भी दी गई।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

21. भारत के लिए संविधान के निर्माण हेतु चलने वाले प्रयासों में कैबिनेट मिशन, 1946 एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु है। इसके बारे में क्या **असत्य** है?

(a) इसके द्वारा भारत पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की समाप्ति की अनुशंसा की गई।
(b) सभी अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होंगी।
(c) इस मिशन के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन का सुझाव दिया गया।
(d) इस मिशन ने सभी राजनीतिक दलों की सहमति से अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया।

22. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। इस अनुच्छेद से संबंधित प्रावधानों के बारे में क्या सच **नहीं** है?

1. संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची में संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी जरूरत होती है।
2. विशेष बहुमत से आशय है दो-तिहाई बहुमत।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

23. डिकी बर्ड प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसे लार्ड माउंटबेटन के द्वारा अप्रैल, 1947 को प्रस्तुत किया गया।
2. इसके तहत् भारत और पाकिस्तान को दो पृथक राष्ट्रों के रूप में विभाजित किया गया।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

24. मूलाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का दायरा इतना व्यापक है कि यह अपने अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम उद्घोषणा के तहत परिकल्पित सारे अधिकारों को समाहित करता है।
2. किसी भी व्यक्ति द्वारा मूलाधिकारों को त्यागना संभव है।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

25. यदि सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति लोकदायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सम्बद्ध व्यक्ति को 'लोकदायित्वों' के निर्वाह का निर्देश दे सकता है। ऐसे रिट **नहीं** जारी किए जा सकते हैं:

1. राष्ट्रपति के विरूद्ध
2. राज्यपाल के विरूद्ध
3. प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते न्यायाधीशों के विरूद्ध

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

26. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा?

(a) राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति
(b) राज्यसभा का उपसभापति

(c) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य-न्यायाधीश
(d) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित कोई व्यक्ति।

27. निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल नहीं किया जाता है?
1. सभी केन्द्रीय मंत्रियों को
2. सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को
3. राज्य विधानपरिषद के सदस्यों को

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में कोई नहीं

28. 98वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2012 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. यह संशोधन कर्नाटक और आंध्रप्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के जरिए राष्ट्रपति को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि आवश्यक समझने पर वे राज्यपाल को अतिरिक्त जिम्मेवारियाँ सौंप सके।
2. इसके तहत् कर्नाटक के राज्यपाल हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकेंगे और इस क्षेत्र के लोगों के लिए समान अवसरों और सुविधाओं की उपलब्धता हेतु इस क्षेत्र में अवस्थित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आनुपातिक आरक्षण की दिशा में पहल कर सकेंगे।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

29. निम्नलिखित कथनों की सत्यता पर विचार करें:
1. राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
2. राज्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद-पर्यंत पद धारण करते हैं। अगर राज्यपाल चाहें, तो वे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटा सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

30. यदि किसी कारणवश पंचायतों को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जाता है, तो:
1. तीन माह के भीतर नए सिरे से चुनाव करवाए जायेंगे।
2. नए चुनाव के जरिए गठित पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड (स्टार्च) तथा शर्करा के रूप में होते हैं।
2. यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड (स्टार्च) है तो इसका परीक्षण तनु आयोडीन विलयन की सहायता से किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है।
2. पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण का होना इंगित करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

33. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए:

1. ऊंची कूद के खेल वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है।

2. क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे-धीरे पीछे की ओर खींचता है।

निम्नलिखित में से कौन-सा नियम उपर्युक्त दी गई घटनाओं के संदर्भ में प्रयुक्त होता है?
(a) गति का प्रथम नियम
(b) गति का द्वितीय नियम
(c) गति का तृतीय नियम
(d) बल और गति पर गैलीलियो के विचार

34. निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए:

	खनिज		उपयोगिता
A.	फॉस्फोरस	1.	बालों व नाखूनों का मुख्य घटक
B.	सोडियम	2.	अंतरकोशिकीय परासरणीय दाब के लिए आवश्यक
C.	पोटैशियम	3.	शरीर द्रव का मुख्य घटक

D.	सल्फर	4.	हड्डी व दातों के निर्माण के लिए आवश्यक

कूट:

	A	B	C	D
(a)	4	2	1	3
(b)	4	3	2	1
(c)	2	3	4	1
(d)	2	3	1	4

35. वाटर गैस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **असत्य** है?

(a) वाटर गैस कार्बन डाई ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है।
(b) वाटर गैस से धुंआरहित ज्वाला प्रज्ज्वलित होती है।
(c) 1000°C तापमान पर लाल तप्त कोक पर वाष्प को गुजारकर वाटर गैस उत्पन्न की जाती है।
(d) इसकी अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है।

36. निम्नलिखित में से कौन श्वेत प्रदूषण कहलाता है?

(a) प्लास्टिक व उसकी रद्दी का उच्च उपभोग
(b) डेरी के दूध में पाई जाने वाली अशुद्धता
(c) समुद्र एवं महासागरों का प्रदूषण
(d) नौकरशाही में भ्रष्टाचार व लाल फीताशाही

37. द्रव्यमान संरक्षण के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश।
2. रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात् प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

38. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है।
2. अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का pH मान बढ़ जाता है।
3. ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

39. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'पीलिया' के संदर्भ में सही **नहीं** है?

(a) इससे यकृत प्रभावित हो जाता है।
(b) त्वचा और आंख पित्त वर्णकों के जमा होने से पीले रंग के दिखाई देते हैं।
(c) आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

40. 'प्रकाशानुवर्त्तन' क्या है?

(a) जानवरों और पौधों की प्रकाश की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति
(b) वह वास्तविक कारण जिससे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं।
(c) सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन
(d) वह सिद्धांत जो एलईडी के प्रकाशीय प्रभाव को परिभाषित करता है।

41. निम्नलिखित में से कौन-सा/से ओजोनमण्डल में उपस्थित ओजोन के मुख्य अपमार्जक है/हैं?

1. एयरोसोल स्प्रे
2. शीतलक
3. क्लीनिंग एजेन्ट्स
4. इन्सुलेण्ट्स
5. प्लास्टिक फोम

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 2
(b) केवल 1, 2 और 5
(c) केवल 1, 2, 3 और 5
(d) केवल 1, 2, 3, 4 और 5

42. 'सौर पवनों' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. 'सौर पवन' क्रोमोस्फीयर से लगातार बहने वाली गैस की एक धारा है।
2. 'सौर पवनें' लगभग 40 खगोलीय इकाइयों की दूरी तय करती हैं।
3. 'सौर पवनें' उपध्वनि (सबसोनिक) की गति से बहती हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

43. महासागरों की गहराई के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. महासागरों की गहराई मापने में सुपरसोनिक तरंगों का प्रयोग

किया जाता है।
2. इस सिद्धांत को सोनार (SONAR) के नाम से जाना जाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

44. ब्रिजमेनाइट खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है।
2. ब्रिजमेनाइट पृथ्वी के भू-पर्पटी में लगभग 70 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है।
3. यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 38% है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

45. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अतिचालकता (सुपरकन्डक्टीविटी) पदार्थ का वह गुणधर्म है जो ऊष्मीय प्रतिरोधकता के क्षय से सम्बन्धित होता है।
2. यदि किसी धातु को अपेक्षाकृत आसानी से तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके तो इसे डक्टाइल (तारतम्यता) कहते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

46. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वह उपकरण जो धमनीय रक्त दाब का मापन करता है, स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है।
2. लेंस की शक्ति (पावर) को डाइऑप्टर में मापा जाता है।
3. विद्युत धारा एम्पीयर में मापी जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

47. सौर मण्डल के किस ग्रह पर सबसे ऊँचा पर्वत है?
(a) मंगल (ओलिम्पस मॉन्स)
(b) बुध (कैलॉरिस मॉन्ट्स)
(c) शुक्र (मैक्सवेल मॉन्ट्स)
(d) चंद्रमा (मॉन्स हिजेंस)

48. क्लाउड कम्प्यूटिंग के सन्दर्भ से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक ऐसी सेवा है जो सामान्यत: एक तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की जाती है।
2. यह केवल सॉफ्टवेयर की सेवा को शामिल करता है हार्डवेयर की नहीं।
3. यह सामान्यत: एक-से-एक (one-to-one) के आधार पर प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त कथनो में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

49. क्वाट्र्ज क्रिस्टल्स जो सामान्यत: क्वाट्र्ज घड़ियों इत्यादि में प्रयुक्त होते हैं, वे रासायनिक रूप से होते हैं:
(a) सिलिकॉन डाईऑक्साइड
(b) जर्मेनियम ऑक्साइड
(c) जर्मेनियम ऑक्साइड एवं सिलिकॉन डाईऑक्साइड का मिश्रण
(d) सोडियम सिलिकेट

50. किसी विशेष एण्टीबायोटिक के विरूद्ध जीवाणु क्यों धीरे-धीरे प्रतिरोधकता विकसित कर लेते हैं?
1. जीनों में बदलाव के कारण।
2. क्षैतिज जीन स्थानांतरण के कारण।
3. ऊर्ध्वाधर जीन स्थानांतरण के कारण।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर

1.	(d)	14.	(a)	27.	(c)	40.	(a)
2.	(b)	15.	(b)	28.	(b)	41.	(d)
3.	(a)	16.	(b)	29.	(a)	42.	(b)
4.	(b)	17.	(a)	30.	(d)	43.	(b)
5.	(c)	18.	(a)	31.	(c)	44.	(b)
6.	(b)	19.	(c)	32.	(c)	45.	(b)
7.	(d)	20.	(d)	33.	(b)	46.	(d)
8.	(c)	21.	(c)	34.	(b)	47.	(a)
9.	(c)	22.	(c)	35.	(a)	48.	(a)
10.	(a)	23.	(a)	36.	(a)	49.	(a)
11.	(c)	24.	(d)	37.	(c)	50.	(b)
12.	(c)	25.	(a)	38.	(b)		
13.	(d)	26.	(c)	39.	(c)		

मुख्य परीक्षा हेतु संभावित अभ्यास प्रश्न

1. महिला सशक्तीकरण ऐसी नीतियां बनाने का समर्थन करता है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में लैंगिक समानता के लिए सर्वोत्तम हो। विवेचना करें।

2. हाल ही में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और उद्देश्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

3. ग्रामीण भारत में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार के महत्त्व का उल्लेख करते हुए इससे संबंधित चुनौतियां की विवेचना करें।

4. हर देश की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य अपनी प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा करना है। हाल ही में भारत-कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों के आलोक में इस कथन का औचित्य स्पष्ट करें।

5. अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम क्या है? यह भारतीय धरोहरों के संरक्षण में किस प्रकार उपयोगी होगा?

6. भारत की समुद्री सुरक्षा में तटरक्षक बल की भूमिका का मूल्यांकन करें।

7. भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस कथन के आलोक में भारत में किसान अधिकार संरक्षक और किसान सुरक्षा के विभिन्न प्रयासों का उल्लेख करें।

8. घर-घर किसान क्रेडिट अभियान कृषकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में किस प्रकार सहायक हो सकती है?

9. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है? इस योजना के संभावित निहितार्थ को स्पष्ट करें।

10. हाल ही में घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोपीय आर्थिक गलियारा अवसंरचना के साथ-साथ एक रणनीति पहल भी है। विवेचना करें।

11. फाइव आईज ग्रुप क्या है? हाल ही में इससे संबंधित विवादों का उल्लेख करें।

12. शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य क्या है? इसकी महत्ता व संबंधित चुनौतियां का परीक्षण करें।

13. साइबर जांच रणनीति TTP क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएं तथा इसकी महत्ता का वर्णन करें।

14. बीमा सुगम पोर्टल क्या है? इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें।

15. नए संसद भवन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके सांस्कृतिक प्रतीकों को विस्तार से बताएं।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Offline & Online

लक्ष्यभेद

Scholarship Criteria
Rank-1-3 : 100% Discount
Rank-4-6 : 75% Discount
Rank-7-10 : 50% Discount
Registration Fee For Scholarship Test - Rs. 50/-

"The more we sweat in peace, the less we bleed in war"

ALL INDIA CIVIL SERVICES EXAMINATION (PRELIMS) TEST SERIES 2024

Starting From

22nd October 2023

TOTAL TESTS : 29
(14 Sectional Tests with Current Affairs + 10 GS Full Test + 5 CSAT)

Fee Structure	For Dhyeya Students
Offline : Rs. 15,000/-	Offline : Rs. 10,000/-
Online : Rs. 10,000/-	Online : Rs. 8,000/-

Scholarship Test
Only for Offline Students

22nd October
12:00 Noon

OFFLINE CENTRE

Delhi (Mukherjee Nagar) Ph: 9289580074 / 75 | Delhi (Laxmi Nagar) Ph: 9205212500 / 9205962002 | Greater Noida Ph: 9205336037 / 38 | Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 | Lucknow (Aliganj) Ph: 0522-4025825/9506256789 | Lucknow (Gomti Nagar) Ph: 7234000501/ 7234000502 | Lucknow (Alambagh) Ph: 7518373333/7518573333 | Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 | Gorakhpur Ph: 0551-2200385/7080847474

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

Prelims Warrior

अब प्रीलिम्स दूर नहीं

UPSC/UPPCS Target Prelims 2024

50% Discount for first 100 candidates & 50% Discount for Dhyeya Students

Batch starting from

25th October 2023

Offline & Online

Scholarship Test-1
15th October 2023
only for Dhyeya Students

Scholarship Test-2
22nd October 2023
Open for All

Key Features

- Complete coverage of UPSC / UPPCS prelims syllabus (500 hrs class).
- Regular test & performance evaluation.
- Weekly current affairs classes.
- All India Test Series 2024.
- One to one mentorship.
- One year subscription of Perfect-7 magazine.

Registration starts from 6th October 2023

9219200789 A-12 Sector-J Aliganj, Lucknow

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744